खण्ड-187, अंक-3
बुधवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(4 सितम्बर, 1957 ई0)

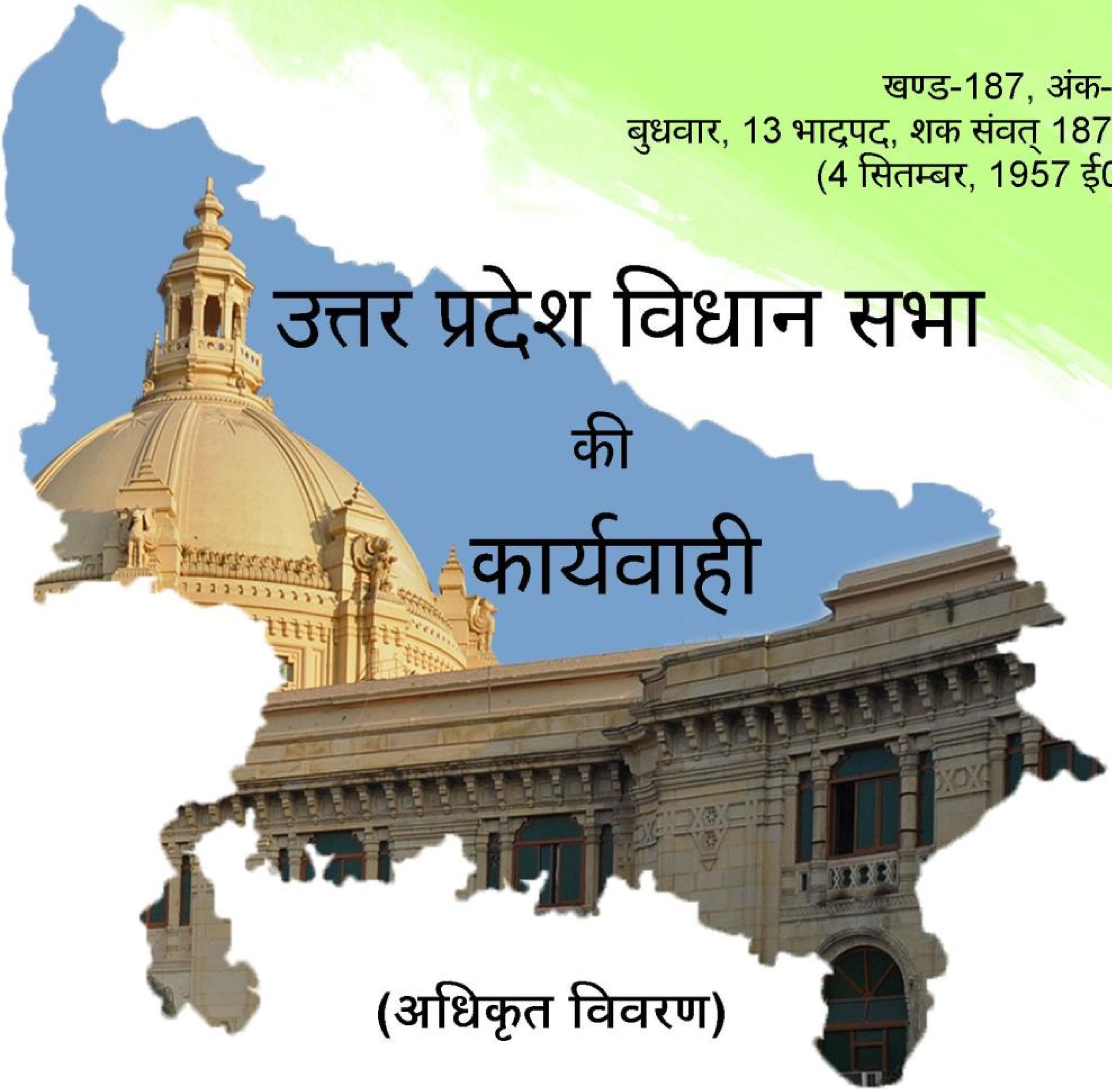

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१९७
कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (जारी) ..	१९७–२०८
विधान सभा सदस्य श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई की सजा पानी के सम्बन्ध में जानकारी	२०८
कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	२०८–२४३
नत्थियां	२४४–२५१

विधान सभा प्रदेश उत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ सितम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य (३१०)

अक्षयवरसिंह, श्री,
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असगरअली, खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा श्री,
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी,
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिका प्रसाद, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, वैद्य श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह, भण्डारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री

मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, श्री वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ४ सितम्बर, १९५७

तारांकित प्रश्न

मझपुरा, थाना कोठी, जिला बाराबंकी में सुखलाल की मृत्यु

*१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बारा बंकी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि ८ अप्रैल को मझपुरा, थाना कोठी, जिला बाराबंकी में एक कत्ल हुआ था ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सम्बन्धित ग्राम में इस तारीख को कत्ल की कोई घटना नहीं हुई। किन्तु दिनांक ७-४-१९५७ को सुखलाल नामक एक ७० वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु मिरगी आ जाने के कारण तालाब में गिर कर डूबने से हो गयी।

*२—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त थाने में पंचनामा द्वारा लाश को दफना दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गांव के प्रधान तथा पंचों ने पंचायतनामा तैयार कर लाश की अन्त्येष्ठि क्रिया के लिए आदेश दे दिये। इस घटना की रिपोर्ट थाने में दूसरे दिन गांव के चौकीदार द्वारा दी गयी।

रसूलपुर, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में डकैती

*३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि रसूलपुर (सूरजपुर), थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में अप्रैल में एक डकैती पड़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*४—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस विषय में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया मगर गवाहों द्वारा शनाख्त न किये जाने के कारण उनको छोड़ दिया। अभी कार्यवाही जारी है और जांच हो रही है।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ११ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

जिला जेल आजमगढ़ में सुपरिन्टेंन्डेंट को प्रमाणपत्र के लिए दरख्वास्तें

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल आजमगढ़ के सुपरिन्टेंण्डेन्ट के पास कितने व्यक्तियों की दरख्वास्तें प्रमाण-पत्र के लिए जून एवं जुलाई मास, सन् १९५७ में पड़ी हैं और कितने को प्रमाण-पत्र दिया गया है ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—१२५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से ११ व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज सुरक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केवल ११ व्यक्तियों को ही प्रमाण-पत्र दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जिन ११ की तमाम तफसीलात मुकम्मल थीं उनको तो वह दिये जा चुके हैं, ६ के और तैयार हो रहे हैं और ५ व्यक्तियों के रिकार्ड की जांच हो रही है और बाकी १०३ में तफसीलात नहीं थीं, उनको मालूम करने के लिए खतोकिताबत हो रही है, उनकी तफसील आ जायगी, तो उनके भी तैयार हो जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि क्या जेल में इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी कि जिससे प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र लोगों को मिल जायं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने बजट के मौके पर ही अर्ज किया था कि हम एक मुकम्मल फेहरिस्त बना रहे हैं और सब की इमदाद लेकर उसको मुकम्मल किया जायगा ताकि इस तरह की दिक्कत रफा हो सके।

*८-९—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*१०-११—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*१२-१४—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का सुझाव

*१५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने ६ अक्तूबर, १९५६ को राज्य सरकार के पास कुछ सुझाव भेजे थे? यदि हां, तो वह सुझाव क्या थे?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में फरवरी, १९५६ में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया। केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव दिया कि मैट्रिकुलेट ट्रेन्ड अध्यापकों का न्यूनतम वेतन ५० रु० तथा अन्ट्रेन्ड अध्यापकों का ४० रु० रक्खा जाय।

*१६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उन सुझावों को अस्वीकार कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित वेतन वृद्धि में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के हेतु 'शिक्षा कर' लगाने तथा स्कूल भवन निर्माण पर व्यय कम करने के जो प्रस्ताव किये, उनको कार्यान्वित करना प्रदेशीय सरकार को उचित प्रतीत न हुआ। केन्द्रीय सरकार ने उक्त अतिरिक्त व्यय का आधा भाग केवल उस समय तक देना स्वीकार किया जब तक उनके द्वारा राजस्व आयोग की स्थापना न कर दी जाय इससे यह अनिश्चित था कि किस अवधि तक केन्द्रीय सरकार अनुदान देगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इस फरवरी के पत्र-व्यवहार के अलावा ६ अक्तूबर, सन् १९५६ को केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या था?

श्री कैलाश प्रकाश—पत्र तो प्राप्त होते ही रहते हैं, परन्तु उस निश्चित तिथि का पत्र क्या था, इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो सुझाव केन्द्रीय सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में दिये थे और जिन्हें हमारी सरकार ने स्वीकार नहीं किया, उसके सिलसिले में यह सरकार कोई दूसरी योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो उत्तर उनको दिया गया है वह तो स्पष्ट कर दिया गया है। वास्तव में हमारे प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापकों का वेतन ५० रुपया वह इस शर्त पर करना चाहते थे कि जो शिक्षा कार्य उनका है, वह तो है ही, साथ ही वह मैट्रिकुलेट हों। हमारे यहां वह जरूरी नहीं है बल्कि जूनियर हाई स्कूल पास करके जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं वही हमारे इन स्कूलों में अध्यापक हो जाते हैं। अब मैट्रिकुलेट का वेतन तो ६० रुपये से शुरू होता है तो हमने उनको यह लिखा और केन्द्रीय सरकार से कहा कि हमने तो अध्यापकों की वेतन-वृद्धि की है, लेकिन इसके साथ-साथ जिन शैक्षिक योग्यताओं के अनुसार हम लोगों को अपने यहां रखते हैं उसमें अगर वह उसी क्रम को स्वीकार करें और उन्हें ज्यादा वेतन देने की बात उन्हें स्वीकार हो तो वह लिखें ताकि प्रादेशिक सरकार इस पर विचार कर सके।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह ज्ञात है कि राजस्व आयोग की नियुक्ति हो चुकी है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के उस सुझाव पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---केन्द्रीय सरकार सुझाव तो शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में बहुत कुछ करती है। फिर उसमें जो कुछ सहायता उनसे प्राप्त हो जाय वह सधन्यवाद स्वीकार करेंगे। नहीं तो अपने ढंग से तो हम अपना काम करते ही चल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व आयोग से भी कोई पत्र इस सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---राजस्व आयोग से प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के सम्बन्ध में कोई पत्र तो प्राप्त हुआ नहीं, न उसका प्रश्न ही था। राजस्व आयोग स्थापित हो चुका है और भारत सरकार ने जो प्रस्ताव किया था उसके मुताबिक शायद उनकी शर्त यह थी कि जब तक आयोग की स्थापना नहीं होती है तब तक वह प्रस्ताव है। शायद उनका प्रस्ताव अब न भी हो। लेकिन हम उनसे बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं।

*१७---श्री तेज बहादुर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि आजमगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल में इन्टर सेक्शन खोलने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

*१८---श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---[७ अक्तूबर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१९---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[१० अक्तूबर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२०-२२---श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---[१० अक्तूबर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ६४-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हरदोई में महिला डिग्री कालेज खोलने की मांग

*२३---श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई के आर्य कन्या इन्टर कालेज को निकट भविष्य में डिग्री कालेज करने का उसका विचार है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं।

*२४---श्रीमती विद्यावती वाजपेयी---यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी---क्या सरकार उक्त शिक्षा के प्रस्तार को ध्यान में रखते हुये इस बात पर विचार करेगी कि हरदोई में कोई महिला डिग्री कालेज की स्थापना की जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—जहां तक डिग्री कालेज की स्थापना का सम्बन्ध है उसका तरीका तो यह है कि जो इंटर कालेज अपने को डिग्री कालेज कराना चाहता है वह विश्वविद्यालय को अपना प्रार्थना पत्र भेजता है। विश्वविद्यालय ही उसकी करीब-करीब स्वीकृति देता है। चांसलर साहब के पास वह स्वीकृति के लिये आता है और चांसलर साहब उसमें सरकार की भी सलाह ले लेते हैं। जहां तक हरदोई में कोई डिग्री कालेज स्थापित करने का सम्बन्ध है वहां का जो कालेज अपने को इस योग्य समझता हो वह विश्वविद्यालय को प्रार्थना-पत्र दे।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आर्य कन्या इंटर कालेज, हरदोई में बी०ए०की प्राइवेट कोचिंग दो तीन साल से चल रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी यहां तो कोई सूचना नहीं है। लेकिन यह सम्भव है कि ऐसी कक्षायें चलती हों क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय ने इस बात की बालिकाओं को सुविधा दे रखी है कि वह भी बी० ए० की परीक्षा में प्राइवेट बैठ सकती हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जब चांसलर के पास यूनिवर्सिटी किसी नाम को भेजती है कि वे उस कालेज को डिग्री कालेज बनाने की मंजूरी दे दें, तो ऐसा करने से पहले वह गवर्नमेन्ट की राय लेते हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। बहुधा ले लेते हैं।

*२५-२७—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८-२९—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०—श्री देवकीनन्दन विभव—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*३२-३३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

सूचना विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी श्री सुरेन्द्र शर्मा का आवेदन-पत्र

*३४—श्रीश्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार के पास सन् ५६ में सूचना विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी श्री सुरेन्द्र शर्मा का कोई आवेदन-पत्र (मेमोरेन्डम) उनके पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा की मृत्यु के सम्बन्ध में आया है जिसमें रेलवे पुलिस और बरेली जिले की पुलिस की लापरवाही और अकर्मण्यता की शिकायत की गई है ? अगर हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। श्री सुरेन्द्र शर्मा का ऐसा आवेदन-पत्र सरकार के पास आया था। उसमें लगाये गये आरोपों की जांच की गई और दोषी पाये गये पुलिस अधिकारी दंडित किये गये।

*३५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार उपर्युक्त आवेदन-पत्र को सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—आवेदन-पत्र की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४४—२४६ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि कितने अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाये गये और उनको क्या-क्या दण्ड दिये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश---एक थानेदार और एक कांस्टेबिल । थानेदार की चरित्रावली में दुराचरण की प्रविष्टि कर दी गई और कांस्टेबिल को सेंसर किया गया ।

*३६-३८---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

राज्य में अपराधों में बढ़ती

*३९---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९५४ व १९५५ की अपेक्षा सन् १९५६ में सारे प्रदेश में सभी प्रकार के अपराधों में जैसे डकैती, राहजनी, हत्या, दंगे और सेंध लगाना आदि में वृद्धि हुई है और इसके क्या विशेष कारण हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, सन् १९५४ व १९५५ की अपेक्षा सन् १९५६ में अपराधों में किंचित वृद्धि हुई है । इसके विशेष कारण निम्नलिखित हैं ---

(१) बलिया, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, बुलन्दशहर तथा बुन्देलखंड के जिलों में कुछ डाकू गिरोहों द्वारा किये गये अपराध ।

(२) पंचायत तथा अन्य चुनावों के सम्बन्ध में लोगों में फैला हुआ वैमनस्य ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बतायेगी कि जो अपराधों में १९५४ और १९५५ के मुकाबिले १९५६ में वृद्धि हुई है, वह किस प्रतिशत से हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, प्रतिशत तो मेरे पास नहीं है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं आंकड़े इन सनों के दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---यह आंकड़े आपने उनको दे दिये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं आंकड़े नहीं दिये गये ।

	१९५४	१९५५	१९५६
डकैती	९०१	८४४	९३२
राहजनी	४८८	४१४	५६२
हत्या	१,५९२	१,४४८	१,५९९
दंगे	३,०८२	२,७६५	३,०८७
सेंध लगाना..	१८,९८१	१६,५९०	१९,४२०

*४०-४१---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२-४३---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४४-४५---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

केन्द्रीय कारागार बरेली में सोशलिस्ट सत्याग्रही बन्दियों को बाहर लेटने की आज्ञा न देना

*४६---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दो सत्याग्रही जिनको उरई में सोशलिस्ट सत्याग्रह के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था, उरई जेल से बरेली जेल भेज दिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां ।

*४७---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि उनको सत्याग्रही न मान कर रात को बाहर सोने की इजाजत नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी आदेश की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जिला जेल उरई में इन बंदियों को बाहर सोने की आज्ञा दी गई थी परन्तु जब वे केन्द्रीय कारागार बरेली में आये तो यह न मालूम होने के कारण कि वे सोशलिस्ट सत्याग्रही बन्दी हैं उनको अन्य साधारण बंदियों की तरह बाहर नहीं सोने दिया गया। किन्तु ज्यों ही यह पता चला कि वे सोशलिस्ट हैं उनको बाहर सोने की इजाजत दे दी गई ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने दिनों बाद सरकार को मालूम हुआ कि यह सोशलिस्ट सत्याग्रही बन्दी हैं और उनका पता लगने का जरिया क्या था ?

श्री मुजफ्फर हसन---बात यह है कि वे जुवनाइल जेल भेजे गये जहां आमतौर से इस तरह के कैदी नहीं थे। इसलिये जेल वालों को यह खयाल नहीं हुआ। जब उनके कुछ मिलने वाले आये तो उनको कुछ पता चला। तब उन्होंने जिस जेल से वह आये थे वहां दरियाफ्त किया और जैसे ही मालूम हुआ उनको इजाजत दी गई। एक वजह यह भी थी कि उन्होंने इस बीच में कभी खुद भी इसका मतालबा नहीं किया और न इसका जिक्र किया।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना उरई जेल से बरेली जेल में किस तारीख को पहुंची ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस वक्त तो इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । दरियाफ्त करने पर बता सकूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मिलने वालों से उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि यह सत्याग्रही बन्दी थे, क्या सरकार के पास भी कोई ऐसे साधन हैं कि जिनके द्वारा वह जान सके कि सत्याग्रही बन्दी किस प्रकार के होते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---वैसे तो कोई खास साधन नहीं हैं फिर भी यह खयाल रखा जाता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो जेल अपने यहां से दूसरी जेल के लिये कैदी भेजती है उसका यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह कैदियों के बारे में उन्हें भेजने के साथ-साथ यह सूचना भी दे कि वह किस प्रकार के कैदी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---बात यह है कि दफायें तो वही हैं जिनमें कि आमतौर से लोगों को सजा दी जाती हैं फिर भी कुछ न कुछ खबर रखी जाती है। मुझे मालूम नहीं कि इस मामले में क्या हुआ ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कैदियों के ट्रांसफर के साथ जो चालान फार्म चलता है उसमें कोई ऐसा कालम होता है जिसमें कैदियों की तफसील लिखी जाती हो और यदि ऐसा कालम है तो उसमें क्या यह तफसील लिखी थी कि यह सत्याग्रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसा कोई कालम नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस प्रकार के कैदियों को उसने बाहर सोने की इजाजत दी है ? जिस प्रकार के कैदियों को उसने बाहर सोने की इजाजत दी है उनकी कोई कैटेगरी जेल में होती है या नहीं और जेल अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है या नहीं कि उस कैटेगरी की सूचना दूसरी जेल में कैदियों को भेजते समय दें ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने पहले ही अर्ज किया कि कुछ तो खबर रखी जाती है। इस मामले में क्या गड़बड़ी हुई यह मालूम करने की कोशिश की जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उरई जेल से भेजे गये इन सत्याग्रहियों को जो असुविधा हुई इसको ध्यान में रखते हुये इस बात का आदेश जेलरों को देंगे कि जब कभी राजनीतिक बन्दी एक जेल से दूसरी जेल में भेजे जायं तो उसी समय फार्म पर यह लिखा जाय कि यह राजनीतिक बन्दी हैं ताकि उन्हें असुविधा न उठानी पड़े ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई राजनीतिक कैदी नहीं माना जाता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार उरई जेल के अधिकारियों से इस बात की जांच करेगी कि इस प्रकार की गड़बड़ी क्यों हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जरूर ऐसा किया जायगा।

*४८—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४९-५०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१-५२—श्री रामसिंह चौहान, वैद्य (जिला आगरा)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५३-५४—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५५—श्री नत्थूसिंह—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५६-५७—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये।]

बुलन्दशहर जिले में कत्ल और डकैतियां

*५८—श्री छत्तर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में गत वर्ष में कितने कत्ल और कितनी डकैतियां हुयीं और उनमें क्या-क्या कार्यवाहियां हुयीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४७ पर)

श्री छत्तर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उनके उत्तर से ज्ञात होता है, इस प्रकार की डकैतियों और कत्लों की संख्या के बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, संख्या तो १९५६ में १९५५ के मुकाबिले में घटी है।

श्री छत्तर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ब्योरा उन्होंने दिया है उसमें जो सरकार ने चालान किये हैं उनमें सजा पाने वालों की बनिस्बत छूटने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो अदालत से कैदी छूटते हैं। अदालत का विवेक।

फतेहगढ़ जिला जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामचन्द्र गुप्त और डाक्टर में झगड़ा

*५९—श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल फतेहगढ़ में २ जून, १९५७ के लगभग श्री रामचन्द्र गुप्त, सोशलिस्ट सत्याग्रही को जो जेल अस्पताल में दवा लेने गये थे वहां पर एक और सत्याग्रही को पिटते हुये देख कर पूछ-ताछ करने पर डाक्टर और कम्पाउण्डर ने खूब मारा पीटा ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। श्री रामचन्द्र गुप्त तथा डाक्टर व कम्पाउन्डर के बीच कुछ कहा सुनी ३१-५-१९५७ को हो गयी थी।

*६०—श्री भजनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घटना के फलस्वरूप वहां के ९३ सत्याग्रहियों ने भूख हड़ताल की ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

*६१—श्री भजनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश महोदय ने यह आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जावेगी ? क्या आज तक कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जो दोषी पाये गये और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जिलाधीश ने जांच कराने का आश्वासन दिया था। मैजिस्ट्रेट द्वारा चांज कराई लेकिन जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुये, अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*६२-६३—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५७-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६४-६५—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६—श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६७-६८—श्री गोपीकृष्ण आजाद (जिला बांदा)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले से राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*६९—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार आजमगढ़ जिले के राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन इत्यादि के प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में २४-७-५७ के तारांकित प्रश्न ४२ के उत्तर के क्रम में बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ के जिन १२० राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन आदि के प्रार्थना-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन हैं उनमें से तहसील सगड़ी के कितने हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बतलाना असम्भव है क्योंकि प्रार्थना-पत्रों में प्रार्थियों ने तहसील का नाम नहीं दिया है ।

*७०--श्री इन्दुभूषण गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समस्त उत्तर प्रदेश में ५५ वर्ष से कम अवस्था वालों को जो इनवेलिड नहीं हैं राजनीतिक पीड़ित सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

*७१--श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७२-७४--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७५-७६--श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

ग्राम अतरसावां, थाना दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ के हरिजनों का पुलिस कप्तान को पत्र

*७७--श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस कप्तान आजमगढ़ को ११ मार्च, १९५७ को कोई लिखित शिकायती पत्र अतरसावां ग्राम, थाना घोसी के हरिजनों की ओर से प्राप्त हुआ है कि उनके ऊपर भूतपूर्व जमींदारों के एक गिरोह ने श्री पटेश्वरी राय के नेतृत्व में १० मार्च, १९५७ की रात में हमला किया और बुरी तरह मारा पीटा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसा एक शिकायती पत्र ग्राम अतरसावां, थाना दोहरीघाट के हरिजनों ने दिया था ।

*७८--श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उनकी ओर से इस विषय में हरिजनों को राहत देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जांच करने पर यह शिकायत गलत पायी गयी, फिर भी थाना अध्यक्ष को हिदायत दे दी गयी वे सावधानी से देख रेख रखें और किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने दें ।

प्रधानाध्यापिका डिप्रेस्ड क्लास गर्ल्स स्कूल, नवयुगनगर, नरवासा, आगरा का शिकायती पत्र

*७९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार (हरिजन शिक्षा संचालक) के पास जनवरी या फरवरी, १९५७ में नवयुग डिप्रेस्ड क्लास गर्ल्स स्कूल, नवयुग नगर, नरवासा, आगरा के प्रबन्धक के विरुद्ध कोई अपील या शिकायत आयी ? वह शिकायत क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, १८ जनवरी, १९५७ को प्रधानाध्यापिका डिप्रेस्ड क्लास गर्ल्स स्कूल, नवयुग नगर, नरवासा, आगरा से अपने अवैधानिक रूप से निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्धक के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है । यह मामला विचाराधीन है ।

रामपुर जिले के जे० टी० सी० अध्यापकों का शिकायती-पत्र

*८०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार के पास रामपुर जिले और आगरा नगरपालिका आदि से जे० टी० सी० अध्यापकों के वेतन-क्रम और सेवा स्थाई न होने आदि की कुछ शिकायतें १९५६-५७ में आयीं ? सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश---आगरा नगरपालिका के जे० टी० सी० अध्यापकों की तो कोई शिकायत नहीं आई। रामपुर जिले के जे० टी० सी० अध्यापकों का प्रतिनिवेदन इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १८ जनवरी, १९५७ से यानी आज ९ महीने तक यह मामला विचाराधीन है, इसका निर्णय हो जाने की आशा कब तक है ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, इन मामलों में देर लगती ही है। क्योंकि यह मामला प्राइवेट संस्थाओं से सम्बन्धित है तो कभी-कभी वे उत्तर देने में या स्पष्टीकरण भेजने में काफी समय लगा देती हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले के जे० टी० सी० अध्यापकों का प्रतिनिवेदन कब आया था और उस पर निर्णय हो जाने की आशा कब तक है ?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रतिनिवेदन की तो तिथि इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका मामला काफी दिनों से चल रहा है। फिर रामपुर की एक विशेष स्थिति है। वह विलीनीकरण रियासतों में है और उसी के कारण जो नियम विलीनीकरण रियासतों के लिये बनाये गये हैं उनका लागू करना आवश्यक होता है क्योंकि सब रियासतों से सम्बन्धित है, इसलिये उनके लागू करने में देर लगेगी। सरकार का उनको शीघ्र लागू करने का विचार है।

श्री प्रतापसिंह---जो शिकायतें आई हैं उनमें से प्रमुख शिकायतें क्या सरकार सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---शिकायतों के ब्यौरे के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

बांसगांव हायर सेकेण्डरी स्कूल, गोरखपुर के प्रबन्ध समिति के मंत्री द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध जांच

*८१---श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि बांसगांव हायर सेकेन्डरी स्कूल, बांसगांव, गोरखपुर की प्रबन्ध समिति के मंत्री के विरुद्ध विद्यालय कोष के दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितताओं के अभियोग की विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में धारा १०७/११४/११७/१५१ के अन्तर्गत मुकदमे

*८२---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के प्रत्येक थाने में अप्रैल से जून, सन् १९५७ तक कितने-कितने मुकदमें धारा १०७/११४/११७/ १५१ के अनुसार चलाये गये ?

*८३---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन थाने के अन्तर्गत उक्त धाराओं में किन-किन गांवों के कितने-कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश---मांगी गई सूचनायें संलग्न तालिकाओं में दी हुई हैं ।

(देखिये नत्थी ' ग' आगे पृष्ठ २४८-२४९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में मुकदमें चलाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अपराध हुये होंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर---प्रश्न में जिन धाराओं का जिक्र किया गया है उनके अन्तर्गत आपसी झगड़े होते हैं, कोई अपराध नहीं होता । तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन झगड़ों का पुलिस से क्या ताल्लुक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिस का ताल्लुक झगड़ों से नहीं है, अपराध रोकने के लिये इन धाराओं का प्रयोग करने से है । प्रयोग किया गया है, तभी मुकदमें चलाये गये हैं ।

मधुवन थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*८४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन थाने के बहरामपुर, देवनाथपुर, खोजीपुर, हसनपुर, कोतवालपुर के कितने व्यक्तियों ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध अप्रैल, १९५७ से जून तक प्रार्थना-पत्र भ्रष्टाचार जांच अफसर के यहां दिये थे ?

श्री कैलाश प्रकाश---पांच ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन गांवों के किन-किन व्यक्तियों ने थानेदार और पुलिस के खिलाफ दरख्वास्तें दी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, बहरामपुर में शिवदर्शन नौनिया ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध प्रार्थनापत्र दिया । बहरामपुर बनकट के खिलारी भर ने भी दरख्वास्त दी । देवनाथपुर में सुमेर अहीर ने परेशान करने और बदला लेने का आरोप लगाया । खोजीपुर के लक्षण अहीर और उसकी माता सहपिया-भ्रष्टाचार का आरोप लगाया । कोतवालपुर---यहां से भ्रष्टाचार का कोई प्रार्थनापत्र नहीं आया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दरख्वास्तों की जांच किसने की और उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश---किस-किस ने दरख्वास्त की जांच की, यह तो इस समय मेरे पास लिखा नहीं है, लेकिन जो इनका परिणाम है वह इस भांति है कि पहले जो बहरामपुर गांव के प्रार्थना-पत्र दिये गये थे, उनमें जो आरोप लगाये गये वह निराधार साबित हुये । देवनाथपुर का जो आरोप लगाया गया वह गलत साबित हुआ । खोजीपुर का आरोप निराधार सिद्ध हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि प्रश्न ८३ में जो सूची दी गयी है देवनाथपुर, खोजीपुर इत्यादि की मुकदमें चलाये जाने की, क्या यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त दी थी और उसके बाद दफा १०७ उनके विरुद्ध चलायी गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, ये वही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यह निराधार है कि जो पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त देते हैं उन्हीं के विरुद्ध मुकदमें चलाये जाते हैं और यह भी गलत है कि जो नहीं देते हैं वह किसी अपराध से बच जाते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने दरख्वास्त दी थीं और उन दरख्वास्तों की जांच में निर्दोष ठहराये गये, उसके बाद जो १५१ की गिरफ्तारियां हुई और १०७ / १७ के मुकदमें चलाये गये, वह उन्हीं पर चले जिन्होंने दरख्वास्तें दीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दरख्वास्त दे देने से, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस से मुस्तसना नहीं हो सकता ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय कृपया इसकी जांच करायेंगे कि उन्हीं व्यक्तियों पर , जिन्होंने पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, पुलिस ने जान-बूझ कर परेशान करने के लिये १०७/१७ के मुकदमें चलाये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस प्रकार की कोई शिकायत आयेगी तो जरूर जांच की जायगी ।

हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स द्वारा पत्र, पत्रिकायें तथा कलेण्डरों का प्रकाशन

*८५---श्री लक्ष्मणराव कदम(जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन विभाग के Head of the Departments द्वारा कौन-कौन से पत्र व पत्रिकायें तथा कलेन्डर प्रकाशित होते हैं ?

गृह मंत्री के सभा-सचिव(श्री इस्तफा हुसैन)---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८६---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ में उक्त पत्र, पत्रिकाओं व कलेन्डरों की कितनी -कितनी प्रतियां प्रकाशित हुई थीं तथा उन पर कितना रुपया व्यय हुआ था ?

श्री इस्तफाहुसैन---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---सूचना तो अभी तक एकत्रित नहीं हो सकी है, इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रश्नों को स्थगित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---स्थगित नहीं होंगे , अब तो आपको जवाब मिल गया ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी इन सूचनाओं के एकत्रित होने पर प्रश्नकर्त्ता के पास जवाब भेज देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, अवश्य भेज दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह कहा जाय कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो क्या प्रश्न का उत्तर मान लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---ऐसा जब उत्तर दिया जाय तब उस समय तक के लिये तो समुचित उत्तर मान लिया जायगा । नियम इस के बारे में यह है कि या तो फिर से प्रश्न पूछ लिया जाय या जब सरकार के पास सूचना आ जाय तो जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, सरकार के पास वह सूचना भेज दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरी प्रार्थना यह होगी कि अनेक ऐसे उत्तर आने लगे हैं इस लिये अगर यह उत्तर आप के कार्यालय में आये कि सूचना एकत्रित हो रही है तो आप स्वयं उसको स्थगित कर दें और जब पूर्ण उत्तर आ जाय तो ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मैं एक दफा मुल्तवी कर देता हूं लेकिन अगर फिर से सरकार कहती है कि सूचना नहीं आई, फिर से प्रश्न मुल्तवी किया जाय तो मैं यह कहता हूं कि वह सदन में इस बात की सूचना दें । अगर मैं मुल्तवी करता जाय तो यह तरीका न पड़ जाय कि साल भर तक किसी प्रश्न का जवाब मिलना मुश्किल हो जाय । लेकिन यहां सरकार जब कुछ उत्तर दे देती है तो वह एश्योरेंस हो जाता है और एश्योरेंस कमेटी के सामने वह प्रश्न आ जाता है और सूचना अवश्य इकट्ठी की जायगी । अगर सूचना इकट्ठी नहीं की गई और सरकार चुप हो गयी तो कमेटी कार्यवाही कर सकती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जवाब तलब कर सकते हैं कि ठीक समय पर जवाब क्यों नहीं दिया। इसलिये हम प्रार्थना करेंगे कि सर्वशक्तिमान शक्ति के अधिकार से ऐसा कर दें।

श्री अध्यक्ष---आप नियम पढ़ लें उस में यह अधिकार मुझे नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर सरकार स्वयं यह नियम बना ले कि सूचना एकत्रित नहीं हुई है तो सूचना आने पर वह सदन की मेज पर रख दिया करें तो क्या यह अच्छा नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं तो खुद ही यह कह रहा हूं कि यह चेष्टा करनी चाहिये कि जिस में पहिले यह उत्तर दिया जाय कि सूचना एकत्रित की जा रही है और फिर सूचना जब आजाय तो सदन की मेज पर रख दी जाय और माननीय सदस्य जिस ने सवाल पूछा है, उसके पास भी सूचना भेज दी जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, जब हम उत्तर देते हैं कि वांछित सूचना इकट्ठी की जा रही है तो नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम बड़े संकोच के साथ उत्तर देते हैं। लेकिन नियम यह है कि दो सप्ताह का स्थगन होता है और फिर दूसरा अवसर होता नहीं है और अगर होता है तो एक सप्ताह के लिये और जैसे यह प्रश्न हैं उनके लिये हमें बहुत सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। आपकी आज्ञा से यह अवश्य कर दिया जायगा कि जितनी जल्दी सूचना आजायगी वह सदन की मेज पर रख दी जायगी। टालने के विचार से उत्तर नहीं दिये जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, गृह मंत्री जी के विभाग के लिये ही यह बात नहीं है यह सब के लिये हो जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैंने सब विभागों के लिये कह दिया है। मुख्य मंत्री जी सुन रहे हैं तो सब मन्त्रीगण सुन रहे हैं और सब विभागों के लिये यह तरीका निश्चित हो जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह जो आपने व्यवस्था की है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन शख्स ऐसे एश्योरेंसेज को नोट करता जाता है या वह मंत्री जी की तरफ से सूचना भेजी जाती है।

श्री अध्यक्ष---जितने वायदे हैं उनको एश्योरेंस कमेटी अपनी बैठक में मांगती है और कार्यवाही देखती है और सब विभागों से कहती है कि तुमने जो एश्योरेंसेज दिये हैं वह पूरे क्यों नहीं किये। यह तो सदन के ही सदस्य हैं जो कमेटी में हैं, वे इस कार्य को करते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं यह जानना चाहता था कि क्या मंत्री जी इसकी सूचना दे दिया करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, देते हैं और हमारा सचिवालय भी तो काम करता है। जो चीजें यहां पर आती हैं उनको नोट करके एश्योरेंस कमेटी के लिये सूचनार्थ भेज देते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---प्रश्न ८६ के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि जो सूचना मांगी गयी है, जहां तक मैं समझा हूं, वह सचिवालय के यहीं के विभागों से सम्बन्धित है तो फिर एक महीने से ज्यादा क्यों देर लगी ? और अभी तक सूचना क्यों नहीं इकट्ठी हो पायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, उसकी चेष्टा कर रहे हैं। अभी आ नहीं पाई है यही कह सकते हैं। बहुत शीघ्र ही यह सूचना भी आ जायगी। और यही नहीं, जहां जिलों से भी सूचना मंगानी होती है तो हम बहुत चेष्टा करते हैं, टेलीफोन, तार सब भेजते हैं। जसे ही सूचना आयगी बसे ही दे देंगे।

मैनपुरी जिले में भ्रष्टाचार की शिकायतों का नतीजा

*८७--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिश्वतों की दरख्वास्तें लेने के लिये मैनपुरी जिले में जिन डी० एस० पी को रखा गया है उनके पास अब तक कितनी दरख्वास्तें आयीं और उनका क्या नतीजा हुआ, कितनी झूठी साबित हुई और कितनों पर उचित कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश--कुल १५४ दरख्वास्तें प्राप्त हुयीं जिनकी जांच की गयी। उनमें से ५६ शिकायतें सही पाई गयीं और उन पर उचित कार्यवाही की गई। शेष गलत पाई गयीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो रिश्वत लेने की ५६ दरख्वास्तें सही पायी गयीं उनमें अधिक शिकायतें किस विभाग की थीं।

श्री कैलाश प्रकाश--अधिकांश शिकायतें रिश्वत लेने, मारने-पीटने और परेशान करने की थीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ५६ शिकायतें सही पायी गयीं उनमें अधिकतम और न्यूनतम दण्ड क्या दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, ब्यौरा तो मेरे पास है और आपकी आज्ञा हो तो पढ़ भी दूं लेकिन इसमें से कम से कम और अधिक से अधिक ढूंढ़ना तो इस समय सम्भव नहीं मालूम होता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--उस में से दो एक बड़े-बड़े दण्ड और दो एक छोटे-छोटे दण्ड पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष--अब बड़े-बड़े भी तो फेहरिस्त से छांटना मुश्किल हो जायगा।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ५६ रिश्वत की दरख्वास्तों में से ऐसी दरख्वास्तें कितनी हैं जिनको उनसे संबंधित अधिकारियों ने दबा लिया था और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस साहब ने उखाड़ कर निकाला है ?

श्री अध्यक्ष--यह भी इतना लम्बा ब्यौरा है जिसके लिये उनको बहुत कागजात देखना पड़ेंगे और प्रश्न में आपने यह सवाल किया भी नहीं था।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५६ दरख्वास्तें उस जिले में अधिकारियों के रिश्वत लेने के खिलाफ दी गयीं उनमें से सब से ज्यादा किस विभाग के खिलाफ थीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--उनमें से अधिकांश पुलिस विभाग के खिलाफ थीं।

रायबरेली जिले में औरतों को भगाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*८८--श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सन् १९५६ व १९५७ में स्त्रियों के भगाये जाने की कितनी रिपोर्टें पुलिस को प्राप्त हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश--सन् १९५६ में ६ तथा सन् १९५७ में ४ ऐसी रिपोर्टें पुलिस को प्राप्त हुईं।

श्री अर्जुनसिंह कान्सटेबिल की पत्नी द्वारा रुद्रपुर, जिला नैनीताल के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुख्य मंत्री के सम्मुख शिकायत

*८९—श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि दिनांक ३ जुलाई को मुख्य मंत्री जी के सम्मुख एक कान्सटेबिल श्री अर्जुन सिंह की पत्नी ने रुद्रपुर, जिला नैनीताल के इलाके के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एवं उनके अमानुषिक व शर्मनाक व्यवहार का विलाप किया ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। यह घटना ३ जुलाई, १९५६ की है।

*९०—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार की ओर से उपर्युक्त मामले में कोई कदम उठाया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मामले की छानबीन की गई ज्ञात हुआ कि डी० एस० पी० ने श्री अर्जुनसिंह की स्त्री से अपने दफ्तर में उनके पति की अनुपस्थिति में पूछताछ की। यह व्यवहार अनुचित समझा गया और कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। डी० एस० पी० को दंड दिया गया।

*९१—श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि जो पुलिस अधिकारी इस घटना से सम्बन्धित थे उनमें से कुछ अधिकारियों की पदोन्नति भी हो गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो अधिकारी दोषी पाया गया उसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि डी० एस० पी० को क्या दंड दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—उनकी चरित्रावली में दुराचरण की प्रविष्टि कर दी गई है।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि डी० एस० पी० को मुरादाबाद कालेज का शिक्षक बना कर भेज दिया गया और तरक्की कर दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डी० एस० पी० को कहां भेज दिया गया, यह मैं नहीं जानता लेकिन उनकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है यह सही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जांच करने के बाद यह पता चला कि डी० एस० पी० साहब ने उन महिला को अपने दफ्तर में बुला कर क्या पूछ-ताछ की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूछताछ उनके घर में जो चोरी हुई थी उसके सम्बन्ध में थी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अर्जुन सिंह की पत्नी को डी० एस० पी० के दफ्तर में कैसे बुलाया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं सवाल का अर्थ ही नहीं समझा।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मेरा आशय यह है कि किस के द्वारा और क्यों बुलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बुलाया गया था जांच-पड़ताल करने के लिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब यह स्त्री डी० एस० पी० के बंगले में बुलाई गई थी तो इस स्त्री को नंगा करके और उसको बालों के बल लटका करके उससे कुछ पूछा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ये सब आरोप गलत हैं।

श्री मदन पांडेय—जिस डी० एस० पी० के खिलाफ यह शिकायत थी उसकी पदोन्नति कितने समय तक के लिये रोकी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रोकने की बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा कि कोई पदोन्नति नहीं की गई और उनके करेक्टर रोल में ऐडवर्स एन्ट्री कर दी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डी० एस० पी० साहब के उस महिला को अपने यहां बुलाने में कौन सा व्यवहार अनुचित समझा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह अनुचित समझा गया कि अपने दफ्तर में उस महिला को ऐसे समय पूछताछ करने के लिये बुलाया था जब उनके दफ्तर में कोई और महिला अथवा अफसर नहीं था। किसी स्त्री को अपने दफ्तर में अकेले बुला कर बातचीत की जाय यह सरकार को पसन्द नहीं है और इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की गई।

एटा की प्रदर्शनी में जिला सूचना अधिकारी द्वारा सहायता

*९२—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा नगर में सन् १९५७ में जो प्रदर्शनी हुई थी उसके लिये सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कितना रुपया दिया था।

श्री इस्तफा हुसैन—एटा नगर में सन् ५७ में आयोजित प्रदर्शनी के लिये सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एटा को कोई धन नहीं दिया गया था।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा नगर में जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें किसने खर्च किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रदर्शनी जिले के स्तर पर की गई थी। इसको प्लानिंग विभाग ने आयोजित किया अथवा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने, इसकी सूचना इस समय नहीं है, लेकिन उनको सूचना विभाग की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया गया। जिले के स्तर की प्रदर्शनी थी इसलिये वहां के जिला सूचना अधिकारी को २५० रुपये की मदद दी गई थी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदर्शनी किन तारीखों में हुई थी ?

श्री इस्तफा हुसैन—यह २२ अप्रैल से २ मई, १९५७ तक हुई थी।

प्राइमरी पाठशालाओं में निःशुल्क शिक्षा से बलिया जिला बोर्ड की आय में कमी

*९३—श्री रामलक्षण तिवारी—क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड बलिया के प्राइमरी पाठशालाओं में कक्षा ४ व ५ में कितनी फीस ली जाती रही है और निःशुल्क होने के बाद जिला बोर्ड बलिया की आर्थिक अवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिला परिषद् बलिया के प्राइमरी पाठशालाओं में कक्षा ४ व ५ में ७ आने प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से शुल्क ली जा रही थी। निःशुल्क होने के बाद परिषद् को ३८,४७२ रु० वार्षिक की कमी पड़ेगी।

श्री रामलक्षण तिवारी—क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बलिया की बुरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिक्षा निःशुल्क होने से उसे जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बहुत सहानुभूति-पूर्वक विचार कर रही है।

आजमगढ़ जिले में विभिन्न प्रकार के अपराध

*९४—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना अतरगैलिया, महाराजगंज, कन्धरापुर, निजामाबाद, गम्भीरपुर, सरायमीर और पवई, जिला आजमगढ़ में जनवरी, १९५७ से अब तक कितनी डकैतियां, चोरियां, राहजनी और कत्ल हुये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५० पर)

श्री विश्रामराय—क्या सरकार बतलायेगी कि जिन स्टेशन आफिसरों के हलके में अधिक चोरी होती हैं उनकी लापरवाही समझकर उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जांच-पड़ताल के रूप में वह की जाती है और कार्यवाही करने का प्रश्न तो इसलिये कुछ उठता नहीं है।

'गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ' की कथित जमीन

*९५—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि गोरखपुर शहर में "गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ" के लिये कोई जमीन ली गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की गई थी। जो अब वापस ले ली गई है।

*९६—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास कोई शिकायत आई है कि उक्त जमीन पर कुछ पुरानी कब्रें थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, आई थी।

उन्नाव जिला बोर्ड के जे० टी० सी० अध्यापकों को वेतन वृद्धि न मिलना

*९७—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या स्वायत्त शासन मंत्री इस बात से अवगत हैं कि उन्नाव जिला बोर्ड के अधिकांश अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि अब भी एक लम्बे अर्से से बकाया (arrears) में लगी है और दी नहीं जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं। केवल चन्द जे० टी० सी० अध्यापक हैं जिनको जिला परिषद् उन्नाव ने अवशेष वेतन वृद्धि आर्थिक संकट के कारण कुछ समय से नहीं दी। इस सम्बन्ध में जिला परिषद् से पूछ-ताछ की जा रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि उन्नाव जिले में कुल अध्यापकों में से केवल जे० टी० सी० के अध्यापकों की वेतन वृद्धि नहीं हुई या इनमें से चन्द जे० टी० सी० अध्यापकों की वेतन वृद्धि नहीं हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जो सूचना यहां उपलब्ध है उसके अनुसार यह जे० टी० सी० के अध्यापक हैं जिनको वेतनवृद्धि नहीं दी गयी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केवल जे० टी० सी० अध्यापकों को ही वेतन वृद्धि क्यों नहीं दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी पूछ-ताछ की जा रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—यह पूछ-ताछ का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब तक उसका उत्तर प्राप्त हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसमें शीघ्रता ही की जाती है। बहुत से मामलों में स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बातें पूछी हैं जब पूर्ण रूप से मालूम हो जायंगी तभी उत्तर दिया जा सकता है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा।

आजमगढ़ जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस

*९८—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ ई० में आजमगढ़ जिले में कितने रिवाल्वर के लाइसेन्स थे?

श्री कैलाशप्रकाश—२९८।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीश की सिफारिश पर कमिश्नर को लाइसेंस देने का अधिकार है। उसके अनुसार कमिश्नर जिलाधीश की क्या सभी सिफारिशों को मान लेते हैं या उसमें कुछ काट-छांट करते हैं, यदि काट-छांट करते हैं, तो किस आधार पर?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रिवाल्वर या पिस्टल के लाइसेंस देने का अधिकार ५१ से ५४ तक कलेक्टर को था। अब यह फिर कमिश्नर के जिम्मे कर दिया गया है। तो जो लाइसेंस रिन्यू होते हैं चाहे वह रिवाल्वर के हों या पिस्टल के उसका फैसला कमिश्नर ही करता है। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या एस० पी० से रिपोर्ट आती है उसको देखकर वह फैसला करता है। इसमें उनकी ही पूरी डिस्क्रीशन होती है कि चाहे तो वह रिन्यू करें या न करें। नये लाइसेंस भी देने का अधिकार पूरा कमिश्नर को ही है।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिवाल्वर लाइसेंस देने में खास ध्येय क्या होता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रूल्स में दिया हुआ है, माननीय सदस्य देख सकते हैं।

हरदोई जिले में विभिन्न प्रकार के अपराध

*९९—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरदोई जिले में थाना हरपालपुर सांडी, बिलग्राम मल्लावा व पुलिस चौकी अरवल में सन १९५५-५६ व १९५७ के जून के महीने तक कितनी चोरियां, कत्ल व डकैतियां हुईं?

श्री कैलाशप्रकाश—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५१ पर)

झांसी जिले में गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, तालबेहट की जमीन

*१००—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट (जिला झांसी) में गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल की इमारत बनवाने के लिये कोई जमीन ली गई थी? यदि हां, तो कब?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। १९२६ तथा १९३१ में।

*१०१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार का विचार उक्त जमीन पर स्कूल की इमारत बनाने का है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कैलाशप्रकाश—उक्त भूमि पर इमारत बनवाना सम्भव नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस भूमि अतिरिक्त किसी दूसरी भूमि पर स्कूल की इमारत बनाने का विचार है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, स्कूल की इमारत तो बननी ही चाहिये लेकिन रुपया होगा तब बनेगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—उक्त भूमि पर इमारत किन कारणों से नहीं बनाई जा सकी ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह भूमि १९२६ में ली गई थी। उस पर उस जमाने में इमारत नहीं बन सकी। कुछ लोगों ने उस पर अपने मकान बना लिये। सन् ४० में मकान बनने का पता लगा था और सिविल सूट भी नहीं हो सकता था। इसलिये उस समय में उस भूमि पर इमारत नहीं बनी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार उस भूमि को उसके मालिकों को देने की कृपा करेगी जिनसे वह ली गई थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसे देखा जायगा।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड के कार्यालय से सनदों की प्रतिलिपि न मिलने की शिकायत

*१०२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड के सेक्रेटरी के कार्यालय में हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट सनदों की प्रतिलिपि देने के कितने प्रार्थना-पत्र पड़े हैं और कब से ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—उक्त सूचना एकत्रित करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—कारण केवल एक ही है कि बोर्ड में बहुत अधिक पत्र आते रहते हैं। उनके एकत्र हो जाने पर यहां सूचना आवेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड में ५, ६ सालों से सनदें प्राप्त नहीं हुई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह सम्भव हो सकता है। माननीय सदस्य अगर किसी विशेष शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित करें तो उसकी पूछ-ताछ की जा सकती है।

इटावा जिले में न पता लगाये जा सके अपराध

*१०३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में सन् १९५५ व १९५६ में कितनी चोरी, डकैती और कत्ल ऐसे हुये जिनका पता पुलिस नहीं लगा सकी ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना निम्नलिखित है :—

	१९५५	१९५६
चोरी	२४७	२३७
डकैती	१	..
कत्ल	५	६

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--१९५५ में २४७ चोरियां हुईं जिनका सरकार पता नहीं लगा सकी, इनमें कितनी जनता की थीं और कितनी सरकारी अधिकारियों के यहां हुईं ?

श्री कैलाशप्रकाश--बहुत ब्योरे का प्रश्न है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव--यह जो उन्होंने बताया है कि इतनी बड़ी संख्या में चोरियां, डकैतियों और कत्लों का पुलिस पता नहीं लगा सकी, तो वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस खोज करती है और यह देखा जाता है कि काफी समय देकर खोज करें। उसके बाद भी यदि पता नहीं लगे तो उस पर कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--ये जो १९५५ में २४७ चोरियों का और १९५६ में २३७ का पता नहीं लगा, तो किस थाने में अधिक चोरियां हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह फिर बड़े ब्योरे का प्रश्न है। अलग से प्रश्न किया जाय तो सूचना एकत्र की जाय।

लखनऊ में बिना इमारत के बेसिक प्राइमरी स्कूल

*१०४--श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में कितने बेसिक प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें नहीं हैं, बच्चे मैदान में पढ़ते हैं ? सरकार उसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--११ ऐसे बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं जिनकी इमारत नहीं है। स्कूलों के भवन निर्माणार्थ शासन हर नगरपालिका को आवश्यकतानुसार उपलब्ध प्राविधान से अनावर्त्तक अनुदान देती है।

*१०५--श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस वर्ष लखनऊ शहर में प्राइमरी बेसिक स्कूलों में भी बच्चों की भर्ती नहीं हो पा रही है और उनके अभिभावक परेशान हैं ? अगर हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर और देवरिया जिलों में अनिवार्य शिक्षा लागू करने की प्रार्थना

*१०६--श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर और देवरिया जिलों में अनिवार्य शिक्षा कब से शुरू करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--गोरखपुर नगरपालिका में बालकों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है। देवरिया नगरपालिका तथा गोरखपुर व देवरिया जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ११ बेसिक स्कूलों की इमारतें नहीं हैं, बच्चे मैदान में पढ़ते हैं, वे कितने साल से हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न ब्योरे का है, सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अब्दलरऊफ लारी--बेसिक प्राइमरी स्कूल, लालबाग, जो दारुलसफा के अहाते में है, ८ वर्ष से चल रहा है और बच्चे मैदान में सड़कों पर पढ़ते हैं ?

श्री कैलासप्रकाश--हो सकता है, लेकिन नोटिस की आवश्यकता है।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या १०६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जिला बोर्ड फर्रुखाबाद के अध्यापकों का बकाया वेतन

*१०७—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड फर्रुखाबाद के अध्यापकों का वेतन कितने महीनों का बाकी है और उसके कब तक मिलने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

मैनपुरी जिले में नये हिस्ट्री शीटर्स

*१०८—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५६ व सन् १९५७ के ३० जून तक पुलिस ने कितनी हिस्ट्री शीट खोली हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना निम्नलिखित है :—

१९५६	१९५७
२३६	५६

मैनपुरी जिले में अपराधों की संख्या में बढ़ती

*१०९—श्री मलिखान सिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में जनवरी, १९५७ से जुलाई, १९५७ तक कितनी चोरियां, डकैतियां और कत्ल हुये हैं और १९५६ में उक्त सभी अपराधों (crimes) की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में सन् १९५७ में १९३ चोरियां, २१ डकैती एवम् २० कत्ल दर्ज किये गये तथा १९५६ में इसी अवधि में २१३ चोरियां २८ डकैती तथा २३ कत्ल दर्ज हुये ।

अध्यापकों का ग्रीष्मावकाश का वेतन

*११०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के स्कूल जो दिनांक २१ जुलाई तक बन्द रहे उस अवधि का वेतन अध्यापकों को मिलेगा ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश भेज दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ग्रीष्मावकाश के अवसर पर जो अध्यापक स्टाफ में थे और विद्यालय खुलने पर भी रहे उनको इस अवधि का वेतन अवश्य मिलेगा ।

जिला विद्यालय निरीक्षकों को कोई आदेश नहीं भेजा गया है ।

इटावा नार्मल स्कूल के ट्रेनीज

*१११—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष इटावा नार्मल स्कूल में कितने मास्टर नार्मल की ट्रेनिंग कर रहे हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड हैं व कितने हरिजन ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

हरदोई जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र

१—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५४ १९५५, १९५६, १९५७ में जिला हरदोई से रिवाल्वर के लाइसेंस के लिये कितनी दरख्वास्तें दी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५४ में ५८, ५५ में १३, ५६ में ३१ और ५७ में अब तक १४ ।

२—श्री मोहनलाल वर्मा—कितनी दरख्वास्तें जिलाधीश ने कप्तान पुलिस तथा हाकिम तहसील से जांच करवाकर अपनी सिफारिश करके कमिश्नर साहब के पास स्वीकृति के लिये भेजीं और कितनी स्वयं खारिज कीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिलाधीश ने सन् १९५४ में १९ प्रार्थना-पत्र में स्वयं स्वीकृति दी और ३९ अस्वीकार किये। सन् १९५५, ५६ तथा ५७ में क्रमशः उन्होंने ७,१५, तथा ६ प्रार्थना-पत्र कमिश्नर को भेजे तथा ६, १६ और ८ स्वयं अस्वीकार किया ।

३—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों को रिवालवर के लाइसेंस १९५४, १९५५, १९५६, १९५७ में कमिश्नर लखनऊ डिवीजन द्वारा हरदोई जिले में प्राप्त हुये हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिन व्यक्तियों को कमिश्नर ने सन् १९५५, ५६ व ५७ में लाइसेंस दिये उनकी संख्या क्रमशः ३,४,५ है ।

रेलवे गुड्स शेड, कानपुर में विस्फोट के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री भगवतीसिंह जी विशारद ने भेजा है जो कानपुर के कूपरगंज में कल ३ तारीख को ९ बजे रेलवे गुड्स शेड में जो विस्फोट हुआ उसके सम्बन्ध में है। वह कहते हैं कि बम्ब का विस्फोट हुआ और जो अखबार उन्होंने भेजा है उसमें लिखा है 'फायर वर्क्स वैगन एक्सप्लोड्स एट कानपुर' Fireworks wagon explodes at Kanpur। दूसरे, उसी की तहकीकात कुछ रेलवे आफिसर्स वगैरह ने करके एक प्रेस नोट निकलवाया है और वह भी अखबार में छपा है। यह केन्द्रीय सरकार का विषय है। इस घटना पर रेलवे वाले जांच करेंगे। उसके बाद यदि कोई चीज ऐसी निकलती है कि किसी ने शैतानी की और शहरवालों से कोई सम्बन्ध, रेलवे के बाहर, आया तो प्रान्तीय सरकार से सम्बन्ध आवेगा। इसलिये इस समय इससे कोई सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार से न होने से मैं इसे अवैध करार देता हूं।

इस विषय में अगर कुछ थोड़ी सी मालूमात माननीय मंत्री जी को हो, तो वह सूचना दे सकते हैं, क्यों कि इसमें कई आदमी मरे हैं और कई लाख की हानि हुई है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, थोड़ी सूचना इस सम्बन्ध में आ गयी है उसके आधार पर आपकी आज्ञा से यह निवेदन कर सकता हूं कि कानपुर के मालगोदाम में ९ बक्स, जिनका वजन ४ मन था जिनमें कुछ आतिशबाजी का सामान बंद था, सेंट्रल रेलवे स्टेशन के शेड नम्बर ३ में रक्खे हुये थे। दक्षिण में शिवकाशी एक स्थान है, वहां से यह आये हुये थे जहां आतिशबाजी बनाने के कई कारखाने हैं। इसमें एक बक्सा कानपुर की एक फर्म के लिये आया था जो कि आतिशबाजी के सामान की दूकान करती है, बाकी ८

दूसरे जिलों के लिये थे। यह एक्सप्लोजन ८—५५पर हुआ। जिससे दो आदमी वहीं मर गये। एक जो अस्पताल भेजा गया था वहां उसकी मृत्यु हुई। ६ आदमी घायल हुये जिसमें एक की हालत चिंताजनक है। इसका कारण क्या था, इसकी जांच अभी हो रही है। इसके लिये चीफ इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव को सूचना दे दी गयी है। वह सभवतः वहां पहुच गये होंगे। रेलवे के अधिकारी भी वहां जांच कर रहे हैं। यही सूचना इस समय तक आयी है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीण उपबन्ध) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ मई, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ जुलाई, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३१ अगस्त, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री—कर (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ जुलाई, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १ अगस्त, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३१ अगस्त, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २४ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ अप्रैल, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३ सितम्बर, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २५ वां अधिनियम बन गया।

*कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

**(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय माल मंत्री के प्रस्ताव पर कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय, जो चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, तथा उसमें उपस्थित किये गये संशोधनों पर विवाद, जारी होगा।

कल माननीय नरेन्द्र सिंह जी विष्ट भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस सदन के सामने यह कह रहा था कि जैसे कश्मीर के इलाके में और हिमांचल प्रदेश के पहाड़ी

---

*१८ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

**३ सितम्बर, १९५७ की कार्यवाही से।

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

इलाके में सीलिंग की व्यवस्था की गयी है, वैसी ही व्यवस्था कुमायूं की भूमि व्यवस्था के बारे में भी होनी चाहिए। आज इस सदन के सामने जो यह बिल है, उस में भी ऐसा प्राविजन होना चाहिए जिससे कि वहां पर सीलिंग कायम की जाय। मैं उसी के सम्बन्ध में कह रहा था कि जब सीलिंग का कोई विचार सदन के सामने आये, तो उसमें इस बात की व्यवस्था अवश्य की जाय।

(इस समय १२ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश की जो जमीनें हैं उन में उपज बहुत कम होने का भी ध्यान रखा जाय और वहां सिंचाई वगैरह न होने का भी ध्यान रखा जाय, क्योंकि कश्मीर की जो जमीन है, उसकी उपज हमारे कुमायूं के पहाड़ी इलाकों से कहीं ज्यादा है और कुमायूं में अब ऐसी जमीनें नहीं रह गयी हैं जहां कि लोग और ज्यादा खेती करके और ज्यादा उपज पैदा कर सकें। कारण यह है कि वहां आबादी बहुत बढ़ चुकी है और जमीन जितनी थी ज्यादा से ज्यादा खुद चुकी है और एक्सटेंसिव फार्मिंग करने की कोई भी गुंजाइश पर्वतीय प्रदेशों में नहीं दिखलायी देती।

श्री अधिष्ठाता—सदन में काफी शोर हो रहा है, माननीय सदस्य आहिस्ता-आहिस्ता लाबी में जायं।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के लिए भी सीलिंग बननी चाहिए और जब सीलिंग पर विचार किया जाय तो इन सब परिस्थितियों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय और उसी के आधार पर यह भूमि व्यवस्था कानून बनाया जाना चाहिए।

वैसे मैं यह भी सदन को बतलाना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र की सम्पत्ति अधिकांशतः दो भागों में विभाजित है। एक तो यह कि राष्ट्र की मशीन कितनी है, और दूसरे यह कि वहां जमीन कितनी है। वैसे तो अमीर आदमियों की सम्पत्ति और कई रूप में होती है, लेकिन अधिकांश जनता की सम्पत्ति इन्हीं दो हिस्सों में बटी हुई है। अगर हम सारी दुनियां के आंकड़े देखें तो हम को मालूम होगा कि आस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, इग्लैन्ड, रूस या किसी भी देश से राष्ट्रीय सम्पत्ति के आंकड़े हमारे इस प्रदेश के बहुत कम हैं। मैं एक्जाम्पिल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका में पर कैपिटा ३९६ रुपये की मशीन और साढ़े ७ एकड़ जमीन एक आदमी के हिस्से में रहती है, ऐसे ही इंग्लैन्ड में ३७६ रुपये की मशीन और २ एकड़ जमीन एक आदमी के हिस्से में आती है, और रूस में ३२६ रुपये की मशीन तथा ८ एकड़ जमीन एक आदमी के हिस्से में आती है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में २ आने ९ पाई की मशीन तथा आधा एकड़ जमीन हिस्से में आती है। यह तो हमारे देश का फीगर है, मगर पर्वतीय प्रदेश का मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि मशीन की जो सम्पत्ति है वह फी आदमी एक पाई भी नहीं है। वहां पर जितने भी मनुष्य हैं उनके जीवन निर्वाह करने का साधन सिर्फ जमीन ही है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य शान्ति रखें, सदन में काफी शोर हो रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मशीन की सम्पत्ति एक पाई भी वहां मनुष्यों के पास नहीं पहुंचती और जमीन एक चौथाई एकड़ भी एक आदमी के हिस्से में नहीं आती। ऐसी अवस्था में यह एक बहुत गम्भीर परिस्थिति है। अगर हम जमीन का वितरण वहां बिना सोचे समझे करें और कानून बना दें तो बजाय इसके कि हम वहां के लिए न्याय करें, अन्याय होने की सम्भावना है। मैं आप के सन्मुख कुछ आंकड़े रखूंगा और बताऊंगा कि वहां के ९० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो जमींदार की कैटेगरी में नहीं आते और बाकी वहां पर केवल दस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत थोड़े अंश में जमींदार कह सकते हैं। यदि

हमें वहां के लिए कोई कानून बनाना है तो केवल उन दस प्रतिशत के लिए ही हमें कानून बनाना चाहिए और जो लोग जमींदार हैं ही नहीं उनकी जमींदारी का विनाश करना तो एक अनर्गल सी बात होगी। वहां की आज की भूमि-व्यवस्था के विषय में कुछ आंकड़े मैंने सरकार से मांगे थे, लेकिन सरकार के पास वहां के कोई आंकड़े अभी नहीं हैं जिन से बताया जा सके कि कितने एकड़ के कितने भूमिपति वहां पर हैं। मैंने पूछा था कि ५ एकड़ तक के कितने हैं और उस से ऊपर के कितने हैं तो सरकार के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी हालत में वहां के लिए कोई कानून बनाना उचित नहीं है और अगर कोई कानून हम बनायेंगे तो वह गलत होगा। जहां तक मैं पता लगा सका हूं मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर ७० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं है और २० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ से दस एकड़ तक भूमि है और केवल १० प्रतिशत ही ऐसे लोग हैं कि जिनके पास दस एकड़ से ज्यादा भूमि है। जिसके पास दस एकड़ जमीन भी न हो उसको हम जमींदार नहीं मान सकते। इसलिए जिनके पास दस एकड़ से अधिक जमीन है केवल उन्हीं के लिए कोई व्यवस्था लाना न्यायोचित होगा वर्ना इस कानून के द्वारा जैसे कि हमारे एक मित्र कह रहे थे, उससे लाभ के बजाय वहां पर बड़ा भारी असन्तोष ही जनता में फैलेगा और बजाय न्याय के एक अन्याय की व्यवस्था वहां के लिए हो जायगी।

मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री श्री चरणसिंह जी एक पूज्य व्यक्ति हैं, वह दूरदर्शी भी हैं और एक अच्छे विद्वान हैं, इस मसले को उन्होंने काफी स्टडी भी किया है और उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कानून को बनाया है, लेकिन बावजूद इसके मुझे ऐसा विश्वास नहीं है कि इस कानून से पहाड़ की जनता में सुखसमृद्धि बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि वहां पर हालत यह है, जमीन इतनी कम है, कि आचार्य विनोबा भावे जैसे पूज्य नेता भी जायं, तो वह भी वहां की जनता को सन्तुष्ट नहीं कर सकते। वहां पर ९० प्रतिशत जनता जमीन के लिए भूखी है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है, वह लोग २४ घंटे के निरन्तर परिश्रम के बाद भी अपने लिए पेट पर अन्न नहीं पैदा कर सकते। वह एक परमानेन्ट डेफिसिट क्षेत्र है और वहां पर बराबर डिमान्ड ऐन्ड सप्लाई का प्रश्न बना रहता है। इसलिये जहां पर जमीन कम है और उसकी डिमान्ड ज्यादा है वहां आप कितनी भी न्यायोचित व्यवस्था के साथ जमीन का वितरण करें, लेकिन वहां जमीन की कमी बनी रहेगी। मैं कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न को जरा और गम्भीरता से देखें और जैसा कि श्री प्रतापसिंह जी कह रहे थे कि वहां के लिए तो एकमात्र साधन यही नजर आता है कि तराई भावर में अधिक लोगों को भेजा जाय तब कुछ वहां की जमीन की भूख मिट सकती है अन्यथा जमीन "अ" की जगह "ब" को देने से या "ब" की जगह "स" को भूमिधर बनाने से काम चलनेवाला नहीं है, इससे तो एक और उलझन ही पैदा होगी, वह इस समस्या का एक परमानेन्ट क्योर नहीं होगा, जिससे कि भूमि व्यवस्था का वहां का प्रश्न हमेशा के लिए हल हो सके। मैं आप को बताऊं कि इस में बहुत सी कमियां नजर आती हैं, जैसे इस में कहा गया है कि मकान के नजदीक कोई चाहे तो ढाई नाली जमीन प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से यहां पर यह चपरासी या बर्तन धोने वाले गरीब लोग दिखलायी पड़ते हैं, उनके लिए इस कानून के द्वारा यह प्राविजन किया जा रहा है कि अगर वह लखनऊ में नौकरी करते हैं तो वह उस जमीन को छोड़ दें जो उनके पास है और केवल मकान के समीप ढाई नाली रख लें। इसका मतलब यह है कि उनको केवल ६०५ स्क्वायर यार्ड जमीन मिलेगी। यह मुझे बड़ी अनोखी सी बात मालूम होती है। मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी ने इस चीज पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया और इसीलिए केवल ६०५ स्क्वायर यार्ड का स्वामी उसको बनाया है और उन ऐबसेन्टी लैन्डलार्डस् के लिए इस तरह की व्यवस्था की है।

पहाड़ की जो यह जमीनें हैं वह तो पुश्तों (generations) से ही जनता की हैं और वहां के लोग उन जमीनों से बहुत प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, वहां के लोग लाखों रुपये को उतने प्रेम और श्रद्धा से नहीं देखते जितने प्रेम और श्रद्धा से वह अपनी चौथाई या आधी नाली जमीन को देखते हैं। अगर आप इस तरह से ५०–६० रुपये की नौकरी करने वाले चपरासी को उसकी उस जमीन से वंचित करेंगे कि जो उसे उसके बुजुर्गों से मिली है और उसे ग्रामीण जनता में बांट देंगे तो

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

यह न्यायोचित बात न होगी। मैं बताना चाहता हूं कि वहां के जितने भी ऐसे ऐबसेन्टी लैन्डलार्ड्स हैं कोई वह बड़े आदमी नहीं हैं, वे भी गरीब लोग हैं और परिस्थितियों के शिकार हो कर ही वह यहां आकर बर्तन धोते हैं या चपरासगीरी या मीनियल सर्विसेज को मंजूर करते हैं। क्योंकि वहां की जमीन की ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने घरों में भी देखेंगे, आपके घरों में भी नौकर होते हैं। कहीं चपरासी या मीनियल सर्विस में होते हैं। उनसे आप को बात करने का मौका मिलेगा तो मालूम होगा कि वहां की जमीन इतनी नहीं है कि उससे इतनी खेती हो जाय, जिससे साल भर वह बसर कर सकें। बड़े से बड़े जमींदार के पास तीन चार महीने के लिए उस जमीन से अनाज पैदा होता है। इसलिए वहां का ऐग्रीकल्चर कोई सब्सिस्टेंस का तरीका नहीं है। वह तो उसको सिर्फ ऐसा समझता है कि बाहर विदेशों में जाकर कुछ धनोपार्जन करके उससे नमक, तेल और कपड़े की व्यवस्था उस रुपये से करता है और थोड़ा सा नाज उसकी जमीन से पैदा होता है। वह अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़कर विदेश में चला आता है और यहां से धनोपार्जन करके अपने घर भेजा करता है। ऐसी उसकी फैमिली की इकानामिक यूनिट है। उसमें अगर जरा सा भी डिस्टरबेंस इस कानून के जरिये से कर दें तो उसके प्रति घोर पाप और अन्याय होगा और उस की आर्थिक व्यवस्था में ऐसी हलचल पैदा होगी जिससे उसकी इस सरकार पर से भी श्रद्धा जाती रहेगी जो सोशलिस्ट पैटर्न के बिलकुल विरोध में जा पड़ेगा। मेरा तो सरकार से उतना ही प्रेम है जितना पहाड़ की जनता का, लेकिन पहाड़ी होने के नाते मुझे पर्वतीय प्रदेश से बड़ा प्रेम है। मैं चाहता हूं कि वहां की जनता सुखी हो, उसका भविष्य उज्ज्वल और उन्नत हो।

मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत की व्यवस्था में कोई ऐसी खामी न आ जाय जिससे वहां की जनता की श्रद्धा इस सरकार से हट जाय। मैं इस सरकार का ज्यादा हामी होने के नाते कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार इसको गम्भीरता से सोचे। जो वह चाहती है कि गरीब जनता का हित हो, इसका मैं बिलकुल समर्थक हूं। वह चाहती है कि हरिजन समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ है उसका उत्थान हो उसका भी मैं समर्थक हूं। सरकार अगर चाहती है कि पूंजीवाद का अन्त हो, उसका भी मैं समर्थक हूं, लेकिन साथ ही साथ इन सब स्लोगन्स के बीच में एक ऐसी चीज पैदा हो जाय कि गरीब का ही सिर टूटने लगे तो मैं कभी उसका साथ देने के लिये तैयार नहीं हूं।

मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि आपने जो यह ढाई नाली जमीन उसके मकान के साथ दी है, यह बहुत अन्याय है। जैसे एक चपरासी जिसको आप अच्छी सी वर्दी पहना कर ६० रुपये तनख्वाह देते हैं, वह अपने गरीब बीबी-बच्चों को तीस पैंतीस रुपये माहवार भेज कर उसका पालन पोषण करता है और आपके यहां नौकरी करता है। उसका खमियाजा आप यह देते हैं कि एक ऐसा कानून बना देते हैं कि जब वह घर में जाय तो उसकी जमीन जब्त कर दें। वह ढाई नाली जमीन में क्या करेगा? ढाई नाली में वह क्या बनायेगा? वह न सब्जी लगा सकता है, न खेती कर सकता है। इसके अलावा क्या गारंटी है कि आज वह चपरासी है तो उसका लड़का भी चपरासी बन जायगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे आदमी को आप उसकी सारी जमीन से वंचित कर दें यह मुझे एक बड़ा अन्याय सा मालूम होता है। इस पर सरकार बहुत ध्यानपूर्वक सोचेगी और कोई व्यवस्था इसके लिए करेगी।

दूसरे इसमें कम्पेंसेशन का भी जो तरीका बनाया गया है वह बड़ा डिफेक्टिव मालूम पड़ता है। लैंड रेवेन्यु के मुताबिक ही वहां कम्पेंसेशन देने की व्यवस्था की गयी है। मगर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि लैंड रेवेन्यू पहाड़ में बहुत कम है। वहां जमीन में ईल्ड कितनी होती है, उसके मुताबिक लैंड की कीमत नहीं लगानी चाहिये। पर्वतीय प्रदेश में लैंड से ईल्ड बहुत कम होती है लेकिन वहां की जमीनों की कीमत इसलिये ज्यादा है कि वहां टिरेसेज बनाये जाते हैं और उसमें बहुत खर्चा होता है। उसके मुताबिक वहां जमीनों की कीमत लगाने से कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ईल्ड

बहुत कम होती है। इसलिए यह भ्रम पैदा हो जाता है। प्लेन्स में जिस आधार पर कम्पेंसेशन डिसाइड किया है अगर उसी आधार पर पहाड़ों के लिये कम्पेंसेशन डिसाइड करें तो एक फ़ैलेसी होगी क्योंकि मैं पहाड़ों की जमीन की लैंड रेवेन्यू बतला देना चाहता हूं। वहां तलाऊ जमीन जो इर्रीगेटेड है उसकी लैंड रेवेन्यू डेढ़ रुपया फी एकड़ है। जो उपराऊ जमीन है, अनइर्रीगेटेड लैण्ड है उसकी सिर्फ एक रुपया फी एकड़ लैंड रेवेन्यू है। उसके मुताबिक अगर आप ने बारह या पन्द्रह गुना कंपेंसेशन डिसाइड किया तो वह गलत व्यवस्था होगी। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा तलाऊ जमीन की एक एकड़ की कीमत करीब चार हजार रुपया होती है और चार हजार जिस की कीमत है उसको अगर २४ रुपया कंपेंसेशन दें तो यह कहां की व्यवस्था है? मैं समझता हूं कि बड़ी रिडिक्यूलस सी फ़िगर होगी कि ४ हजार की जमीन छीनें और उसको २४ रुपया मुआवजा दें...

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—कम्पेंसेशन रेन्टल वैल्यू का १२ गुना दिया जायगा। आपका खयाल गलत है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—ऐसे ही उपराऊ जमीन की कीमत २ हजार रुपया प्रति एकड़ है। तो उस को भी ऐसी व्यवस्था के मुताबिक मुआवजा दें, गलत बात मालूम होती है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह जरूर कह रखा है कि जमींदारी एबालिश करेंगे। तो जहां जमींदारी है वहां कीजिये। जहां जमींदरी नहीं है वहां भी जमींदारी एबालिशन की विचाधारा को प्रतिपादित करना गलत मालूम होता है। सिर्फ १० परसेंट सही माने में पहाड़ों पर जमींदार हैं जो दूसरे के पसीने पर जीते हैं। तो ऐसे आदमियों की जमीन लेना जो गरीबों को ऐक्सप्लायट करते हैं, न्यायोचित है, मैं भी उसका समर्थक हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पर्वतीय जनता भी मंत्री जी को ऐसा करने पर श्रद्धा की दृष्टि से देखेगी। लेकिन, अगर केवल भावुकता के आवेश में आ कर ऐसा कर दें और कहें कि हरिजनों का उत्थान होगा, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरिजन समाज अभी तक कहीं भी जमीन पर काबिज नहीं है, इस कानून के मुताबिक उन्हें क्या फायदा होगा? फायदा उन्हीं का हो सकता है जो कहीं काबिज हों। तो हरिजनों के नाम से जो कानून बनाया जा रहा है उससे उनको किसी तरह से लाभ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट की पालिसी यही होनी चाहिये कि 'लेट दी स्लीपिंग डाग लाई'। इस कानून से तो वहां की ९० फीसदी जनता चक्कर में पड़ जायगी और उसका कोई लाभ नहीं होगा। १० परसेंट जो जमींदार हैं उनकी जमींदारी एबालिश की जाय। जो सीरतान हैं उनको आपने सिर्फ़ असामी का रूप दिया है। मैं चाहता हूं कि उनको भी भूमिधरी का राइट देकर भूमिधर बना दें तो और भी अच्छा होगा क्योंकि अभी तक यह व्यवस्था नहीं है। जैसे प्लेन्स में तीन हिस्सों में जमीन के मालिक बांटे गये हैं, भूमिधर सीरदार और असामी ऐसे ही मंत्री महोदय ने पर्वतीय प्रदेश में भी जमीन को तीन हिस्सों में बांटने की चेष्टा की है। तो मैं बतलाना चाहता हूं सरकार ने इस कानून में यह भी व्यवस्था नहीं की है कि जैसे विधवा, इनवैलिड, बूढ़ा, माइनर या जो कम तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी है, फ़ौजी है, ऐसे लोग जो ऐबसेंटी लैंडलार्ड रहें उनको सबलैट करने की कोई व्यवस्था इस कानून के अन्दर नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये क्योंकि जो विधवा है, बूढ़ा है, माइनर है या फौजी है या यहां आपके यहां कर्मचारी है, चपरासी है वह हल नहीं चला सकते। जिनके पास इतनी जमीन नहीं है अपनी पूरी रोजी उससे चला सकें तो थोड़ा धन उपार्जन करने के लिये बाहर चले आते हैं या खुद भी न कर सके तो किसी दूसरे को अधिया या तिहाई पर दे कर वहां की जमीन से भी थोड़ा बहुत धन उपार्जन करते हैं और बाहर जा कर नौकरी के जरिये धन उपार्जन करके वह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो उनके लिए भी खास व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनके लिए यह सब-लेटिंग का प्राविजन इस बिल के अन्दर हो।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि यह कम्युनिस्ट कन्ट्री होता तो उसमें पर्वतीय प्रदेश के लिये क्या

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

वह व्यवस्था करते ? पहाड़ी प्रदेश में खेती करने की भूमि उतनी नहीं है, वहां तो सिर्फ इतनी ही भूमि है जिसमें कि हम फलों को पैदा कर सकें। पहाड़ में अगर हम खेती करने लगें तो वह एक गलत बात होगी। अगर यह कम्युनिस्ट कन्ट्री होता तो पहाड़ों की आबादी को वहां से हटाकर मैदानों में बसाया जाता और सारे पर्वतीय प्रदेश में फलों के बाग व जंगल लगाये जाते और जानवर पालकर डेरी प्रोडक्ट्स का काम किया जाता। लेकिन यह कम्युनिस्ट कन्ट्री तो नहीं है और न ही मैं ऐसा चाहूंगा। परन्तु एक वायामीडिआ अवश्य निकल सकता है कि पर्वतीय प्रदेश को डेफिसिट एरिया मानकर, वहां अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं पैदा हो सकता इस बात को ध्यान में रखते हुये और वहां कोई मशीनें भी नहीं हैं, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है जिसके जरिये जनता अपना जीविकोपार्जन कर सके, इन सब बातों को देखते हुये सरकार इस का हल जरूर सोचे और तराई भावर में उनको जमीन देने की व्यवस्था जरूर करे। तभी हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न जिसका कि आज नारा लगाते हैं उसको पर्वतीय प्रदेश में भी कार्य रूप में परिणित कर सकते हैं।

अन्त में मैं दो तीन सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्री डिमरी जी ने जो कल भाषण दिया उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि कुमायूं की भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में आज यह ओरिजिनल बिल हाउस के सामने आया है। लेकिन फिर भी इसमें इतनी कमियां हैं कि बिना जितने लैंड रिफार्म के ऐक्ट बने हुये हैं उन सब को पढ़े हुए यह समझ में नहीं आता कि क्या कानून वहां के लिए बनाया गया है। उन्होंने अपने भाषण में यह जरूर मान लिया है कि यह सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। वह दो तीन महीने का समय जनमत जानने के लिए चाहते थे। तो यदि सेलेक्ट कमेटी भी ऐसे लोगों की बनी जो जनमत संग्रह करने को पर्वतीय प्रदेश में गए तो मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा इससे पूर्ण हो जायगी।

ऐसे ही श्री प्रतापसिंह जी ने भी दो महीने की बात कही है। मैं समझता हूं कि वह इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि उनकी भी मंशा यही है कि सेलेक्ट कमेटी को सभी जिलों का दौरा करना चाहिए और पूरी जानकारी के आधार पर इस बिल को पास करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि दो महीने पर बहुत जोर न देकर मन्त्री महोदय के चार महीने के समय को वह मंजूर करेंगे।

माननीय चन्द्रसिंह जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया कि पर्वतीय प्रदेश में जो खैकार हैं उनके लिए इसमें पूरा न्याय नहीं किया गया। तो मैं उनका ध्यान बिल के सेक्शन ८ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेक्शन ८ में यह साफ कहा गया है कि जैसे वहां के जो सीरतान हैं उनको तो इस सेक्शन ९ के मुताबिक सिर्फ असामी का ही अधिकार दिया गया है, लेकिन सेक्शन ८ के मुताबिक खैकारों को सीधे भूमिधर बनाने की व्यवस्था की गई है और उनको भूमिधरी के राइट्स दिए गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि माननीय चन्द्रसिंह जी इस बात पर क्यों नहीं संतुष्ट हैं कि खैकार को भूमिधर बना दिया जाय और सीरतान को असामी बना दिया जाय। सरकार ने उनकी भावनाओं का न्यायोचित प्रबन्ध किया है।

दूसरी बात जो उन्होंने कही वह टी एस्टेट्स के बारे में कही। उनके बारे में पूरी जानकारी शायद उन्हें नहीं है। अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसकी चर्चा हुई, दार्जिलिंग और आसाम के टी गार्डेन्स के बारे में चर्चा वहां हो चुकी है। टी एस्टेट्स जो वहां पर हैं उनके बारे में उनको जेलसी है तो इसलिये है कि पर्वतीय प्रदेश में सब लोग बहुत गरीब हैं। तो उनकी नजर में यह आता है कि इतने बड़े-बड़े प्लाट्स कैसे एक व्यक्ति के पास, उसके कब्जे में आ गये। पहाड़ की एक मात्र इंडस्ट्री अगर कोई है तो वह यही टी की इंडस्ट्री है और यह इंडस्ट्री केवल पहाड़ की ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष की एक बड़े ऊंचे दर्जे की इंडस्ट्री है। अगर डालर खींचने वाली इंडस्ट्री हमारे देश के अन्दर कोई है तो वे चाय के बगीचे ही हैं। इन पर्वतीय प्रदेशों में जो थोड़े बहुत चाय के बगीचे हैं उनके संबध में सरकार

की पालिसी यह होनी चाहिये कि उनको प्रोत्साहन दिया जाय जिससे हमारे प्रान्त का ही हित नहीं है, बल्कि सारे राष्ट्र का हित है। सारे हिन्दुस्तान से यह चाय विदेशों के लिये एक्सपोर्ट होगी और डालर लायेगी। लिहाजा उन जमीनों पर नजर लगाने के बजाय अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाय और चाय इंडस्ट्री को डेवलप करने की चेष्टा की जाय तो वहां की जनता का हित होगा। वहां इससे काफी लोगों को रोजगार मिलता है, काफी लोगों को रोजी मिलती है, नौकरी मिलती है और माली लोगों को व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता है। इन बगीचों से काफी धन पर्वतीय प्रदेश को मिलता है। सारे प्रदेश को तथा देश को भी विदेशों से डालर के रूप में धन मिलता है। इन विचारधाराओं पर अगर चन्द्रसिंह जी रावत समझने की कोशिश करेंगे तो चाय के बगीचों के खिलाफ वे कोई भी आपत्ति नहीं उठा पायेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं, श्रीमन्, यह पूछना चाहता हूं कि जो सदस्य इस माननीय सदन में नहीं हैं, उनके प्रति उनको सम्बोधित करके कुछ कहा जा सकता है, इस पर मैं आप की व्यवस्था जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—यह तो बहुत मामूली सी बात है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। एक बात किसी माननीय सदस्य ने कही, उसका वह जवाब दे रहे हैं। वह जवाब दे सकते हैं, इसमें व्यवस्था की क्या बात है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री हमारी बातों को गम्भीरता से सोचेंगे तो समझ सकेंगे कि मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूं। जो भाषण उन्होंने दिया उस भाषण से जो गलतफहमी पैदा हो गई उसको मैं जरा सदन के सामने रखना चाहता हूं कि गलत तरीके से इन चाय के बागीचों को न देखा जाय। अगर राष्ट्रीय भावना से उनको देखेंगे तो सही नतीजे पर पहुंचेंगे।

मैं सदन का अधिक समय न लेकर माननीय मंत्री महोदय से यह आशा करता हूं कि जो मैंने बातें कही हैं उन पर वे पूरा-पूरा ध्यान देंगे और मुझे आशा है कि जमींदारी एबालीशन के नाम पर ही यह एबालीशन का कानून नहीं बनाया जायगा, बल्कि उसी सेक्शन, को जो सही मानी में जमींदार हैं, अन्त करने के लिये यह कानून बनाया जायगा, न कि वहां की गरीब जनता में हलचल पैदा करके सरकार के लिये अश्रद्धा का वातावरण पैदा किया जायगा। यह हम लोगों के लिये, सरकार के लिये और पर्वतीय प्रदेश के लिये भी दुखमय चीज होगी। इन विचारधाराओं को लेकर सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी और जो सेलेक्ट कमेटी बनी है, जैसा कि कई महानुभावों ने कहा भी है, वह सारे पर्वतीय प्रदेश में सब तहसीलों में जाने की कोशिश करेगी। हो सके तो तहसील हेडक्वार्टर्स में और न हो सके तो कम से कम जिला हेडक्वार्टर्स में उसको जाना चाहिये, तभी हम सही नतीजे पर पहुंच सकेंगे। बार एसोसियेशन से भी उसका सीधा-सीधा सम्बन्ध बनना चाहिये ताकि सेलेक्ट कमेटी सही तरह से विचारधाराओं को समझ सकेगी और सही कानून बना सकेगी, जिससे पर्वतीय प्रदेश की दरिद्रता दूर हो सके, गरीब जनता और हरिजनों का उद्धार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिये और ४ महीने का समय उसको मिलना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं माननीय माल मंत्री जी से इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। पिछले वर्ष भी अगस्त के महीने में हमने अक्षरशः इस विधेयक पर विचार किया था और विधान सभा के उस सत्र में, जो प्रथम आम चुनाव के बाद बुलाया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

था, हमने एक प्रवर समिति के हेतु यह विधेयक निर्धारित किया था। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से प्रवर समिति की एक भी बैठक नहीं हो सकी और अब वह सारा समय फिर लगाना पड़ रहा है और इस विधेयक के उद्देश्यों और सिद्धान्तों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। खैर जितना भी हम इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करें उतना ही कम है। वास्तव में हम इस विधेयक के सिद्धान्तों का, इसके मन्तव्यों का, इसके उद्देश्यों का स्वागत करते हैं। इसलिए नहीं कि इस विधेयक की सब धाराओं से हम सहमत हैं, इसलिए नहीं कि इस विधेयक में हम संशोधन नहीं चाहते, इसलिए नहीं कि हम इस विधेयक जो जैसा यह है वैसा स्वीकार करना चाहते हैं बल्कि हमारा तो यह खयाल है कि इस विधेयक के लाने में बहुत ज्यादा देर की गयी है। मैं इस देर करने के लिए माननीय माल मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी तो नहीं मानता, लेकिन मेरी इतनी शिकायत अवश्य है कि सन् ५२ में जब उन्होंने इस विभाग का कार्यभार सम्भाला तो यह अपेक्षा की जा सकती थी कि वह कम से कम लैंड रेकार्डस् की दुरुस्ती जो अब पिछले साल से शुरू की गयी है, उसको सन् ५२ में शुरू कर दिये होते। विधेयक हम बना रहे हैं, लेकिन कब लागू होगा, इसको न मालमंत्री जी कह सकते हैं और न मैं कह सकता हूं। शायद इस साल के अन्त तक हम पास कर दें, लेकिन हमको नहीं मालूम कि कितने खैकारों पर यह लागू होगा, कितने सीरतानों पर और कितने हिस्सेदारों पर और कितने जमींदारों और मौरूसीदारों पर यह लागू होगा---हमको कोई पता नहीं है। कारण यह है कि लैंड रेकार्डस् हमारे अब बनना शुरू हुए। नैनीताल तहसील को छोड़ कर, अल्मोड़ा और गढ़वाल की कुछ पट्टियों को छोड़कर सब तहसीलों में, पट्टियों में अभी कार्य चल रहा है और मैं समझता हूं, जिस रफ्तार से चल रहा है इस रफ्तार से इस इन्दराज के काम को दुरुस्त करने में करीब ४ साल और लगेंगे और तब जाकर कहीं ४ साल के बाद खैकारों को अधिकार मिल पायगा। यानी धारा ४ के अनुसार जो पहला नोटिफिकेशन निकलना है वह ४ साल के बाद निकल सकेगा। यह हो सकता है कि इस बीच में मालमंत्री जी और रुपया खर्च करने के लिये तैयार हों, लेकिन वह मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ८३ लाख पहले ही खर्च हो चुका है। करोड़ों रुपया खर्च करें तो शायद कुछ जल्दी पूरा हो जाय। इसलिए यदि लैंड रेकार्डस् पहले बना दिये गये होते या जैसे यू० पी० जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बना तो उसके लिए एक कमेटी बनायी गयी, उसने सारी स्थिति का अध्ययन किया, उसके बाद उस कमेटी के आधार पर एक कानून बना, उसका ड्राफ्ट बना। कुमायूं के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, हम यह नहीं जानते कि कुमायूं की विशेष स्थिति क्या है। मुझे अच्छी तरह याद है कि माननीय माल मंत्री जी ने एक दिन सदन को बताया था कि एक दिन हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी जहूरुल हसन साहब रानीखेत से नैनीताल बस में बैठ कर गये और तब उन्होंने देखा कि यहां तो सीढ़ीनुमा खेत हैं, यहां चट्टानों और घाटियों में हल चलाये जाते हैं, तब कैसे रेकार्ड आपरेशंस होंगे। तभी उन्होंने १५ लाख से बढ़ा कर ८३ लाख रुपया इसके लिए कर दिया। इस प्रकार बस में एक बार रानीखेत से नैनीताल जाने से यह पहले पहल पता लगा। अगर यह काम पहले हो गया होता तो इससे काफी सहूलियत होती। अब जिस रफ्तार से काम चल रहा है और यह विधेयक लाया गया है उससे मुझे यह भय लगता है कि जो सरकार का मंशा है वह खटाई में पड़ने वाला है। जमींदारी अबालीशन करके निम्नवर्ग को अधिकार देने की बात भी खटाई में पड़ने वाली है। जिन्होंने कानून बनाया है, उनका दोष नहीं है। मैं अपने को योग्य नहीं मानता, एक साधारण पढ़ा-लिखा मानता हूं, अगर कोई मुझसे कहता है कि मद्रास के पहाड़ी ईस्टर्न या वेस्टर्न भाग के लिए कानून बनाओ तो मैं चाहे कितना ही अच्छा ड्राफ्ट्समैन होऊं, जब तक मुझे स्थानीय हालत न मालूम हो, मैं वहां के पहाड़ी हिस्से के लिए कानून नहीं बना सकता। अगर मुझ से हिमांचल के लिए कानून बनाने को कहें तो नहीं बना सकता। वही गलती यहां हो रही है।

मुझे भय है कि सेलेक्ट कमेटी में सारी कोशिश करने के बाद भी इस विधेयक को, इसके सिद्धान्तों को हम व्यवहारिक रूप देने में सफल नहीं हो पायेंगे। इसके में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, कि जैसे इस विधेयक का नाम है "कुमायूं जमींदारी अबालिशन ऐक्ट"। आप जमींदारी अबालीशन पर लिख रहे हैं, लेकिन "जमींदार" की परिभाषा इसमें कहीं नहीं है। ऐक्ट में जमींदार की परिभाषा नहीं है।

श्री चरणसिंह---जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी हां, वहां यानी पहाड़ों में जमींदार नहीं हैं।

श्री चरणसिंह---जमींदार की डेफिनीशन जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में नहीं है फिर भी ऐक्ट का नाम जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, पहले तो उन्होंने कहा कि जमींदार की डेफिनीशन ऐक्ट में है। अब कह रहे हैं कि नहीं है।

श्री चरणसिंह---मैंने आप से पूछा है कि है क्या ?

श्री अधिष्ठाता---माननीय नारायणदत्त जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसके प्रीएम्बिल में जिक्र है कि:

"To provide for the acquisition of the rights, titles and interests of persons between the State and tiller of the soil in Kumaun and for the introduction of land reforms therein."

तो यह बिटवीन दी स्टेट और टिलर आफ दी स्वायल है। उनके बीच के लोगों के लिये है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी कोई परिभाषा नहीं है जो टिलर आफ दी स्वायल और स्टेट के बीच में है। अब जानकारी की बात कहां आती है। मैं जो कह रहा हूं कोई प्रेजुडिस से नहीं कह रहा हूं बल्कि वहां के रहने वाले की हैसियत से जो मुझे मालूम है कह रहा हूं। वहां पर सारी जमीन स्टेट को वैस्ट नहीं करती है और आपके प्रीएम्बिल में गलत लिखा है। स्टावेल मैनुअल में लिखा है कि:---

"All other land is *Benap* and the rest of the land is the property of the State."

वहां पर जो स्टेट की जमीन है वह बेनाप की है, जहां जंगल है या गैर आबाद है या चट्टानें हैं और पहाड़ हैं। जो आबाद जमीन है वह राज्य की नहीं है, वह हिस्सेदारों की है। जो स्टावेल मैनुअल के अनुसार एक सामूहिक हिस्सेदारी सिस्टम है वह सामूहिक बाडी की जमीन है और स्टावेल मैनुअल में इस तरह से लिखा हुआ है कि:---

"In the most common type of village, however, we shall find a Proprietory Body representing the original community of cultivators and thus offer one caste or more or less interrelated."

वहां सिस्टम दूसरी प्रकार का है। वहां प्रोपराइटरी राइट्स एक सामूहिक बाडी को हैं। अब हम मिडिल मैन को खत्म करने का कानून बनाने जा रहे हैं। आपके कानून का प्रीएम्बिल गलत है। वह वहां की परिस्थितियों के विपरीत है।

दूसरी बात श्रीमन्, देखिए इस विधेयक में शब्द कई जगह इस्तेमाल किये गये हैं जो परिभाषा में देखेंगे। श्रीमन्, मैं यहां पर एक मिसाल लेता हूं। वैसे खायकर को ले लीजिये। वह इस प्रकार है कि:---

"Khaikar shall have the meaning assigned to it in existing law relating to land tenure applicable to Kumaun Division."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ऐसे ही तमाम जगह लिखे हुये हैं कि कुमायूं डिवीजन के कानून में जो परिभाषा है वही इसमें लागू होगी, लेकिन श्रीमन्, मैं अर्ज करूं कि वहां कोई परिभाषा नहीं है। कुमायूं में कोई कोडीफाई टेनेन्सी ला नहीं है। एक-एक शब्द की तीन-तीन चार-चार परिभाषायें हैं। सीरतान की तीन चार परिभाषायें दी हुई हैं। स्टावैल मैनुअल में चार सीरतान माने गये हैं। उसमें कहा गया है कि इस श्रेणी का सीरतान एविक्ट हो जायगा और उस श्रेणी का नहीं होगा। सीरतान चार प्रकार के होंगे--(१) नामिनल सीरतान, (२) माडर्न सीरतान, (३) गैर मौरूसी सीरतान, और (४) मौरूसी सीरतान। अब जो स्टावैल साहब ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है वह अलग है। वह भी कोडीफाई नहीं है। लेजिस्लेचर ने कभी सीरतान की परिभाषा नहीं पास की। उसने केवल एक परिभाषा पास की और वह है टेनेन्ट की जब सन् ५४ में हमने बेदखली रोकने का कानून बनाया तब। सीरतान की परिभाषा उसने तब भी नहीं पास की। तो जिसकी हम परिभाषा मानने जा रहे हैं वह एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस रूल के अनुसार वहां इस समय रेकार्ड आपरेशन हो रहे हैं और रेकार्ड आपरेशन की जो परिभाषायें हैं वे स्टावेल मैनुअल की परिभाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। इसलिये जब हमारा विधेयक लागू होने जायगा तो नतीजा यह होगा कि लैंड रेकार्ड आपरेशन्स में सीरतान की परिभाषा अलग और स्टावेल मैनुअल के सीरतान की परिभाषा अलग और जो सीरतान या हिस्सेदार दर्ज हुये हैं वे सेटिलमेंट कमिश्नर के बनाये हुये नियमों के अनुसार दर्ज हुये हैं, इस कानून के अनुसार दर्ज नहीं हुये हैं। तो अन्ततोगत्वा, चार पांच साल के बाद जब यह कानून लागू किया जायगा तो यह निरर्थक होगा। यह कैसे निरर्थक होगा इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। इसी विधेयक में खायकर की परिभाषा में मौरूसीदार को भी इन्क्लूड किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा ३ की उपधारा (८) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसके बाद वे रूल्स जिनके मातहत सर्वे आपरेशन्स हो रहे हैं उसके पेज १३ की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने "हिस्सेदार इन्क्लूड्स मौरूसीदार" माना है। विधेयक में हम मौरूसीदार को खायकर की परिभाषा में शामिल कर रहे हैं जब कि यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में हम मौरूसीदार को हिस्सेदार की परिभाषा में शामिल कर रहे हैं। कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। इसमें खायकर की परिभाषा इस प्रकार है:

"Khaikar shall have the meaning assigned to it in the existing law relating to land tenure applicable to Kumaon Division and includes a Maurusidar in Tehri-Garhwal."

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---हिन्दी में पढ़िये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, चूंकि सर्वे रेकार्ड आपरेशन्स के रूल्स अंग्रेजी में हैं इसलिये मुझे अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ रहा है। तो हिस्सेदार और खायकर में कितना फर्क है यह माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं। सर्वे दूसरे ढंग से हो रहा है और परिभाषा हम दूसरे ढंग से बना रहे हैं।

इसी प्रकार एक दूसरी चीज माननीय मंत्री जी देख लें। गांव पंचायत की जमीन खायकारी लैंड में शामिल दिखलायी गयी है। परिभाषा उसकी इस प्रकार है, "खायकरी लैंड इन्क्लूड्स गांव पंचायत" और इसी विधेयक में जो परिभाषा १७ है उसमें गांव पंचायत को अलग दिखाया गया है। गांव पंचायत खायकरी लैंड में कभी आती नहीं है। उसके माने तो हैं गांव भर की जमीन। इस प्रकार अगर हम गलत परिभाषा बना देंगे तो कैसे यह विधेयक व्यवहृत होने वाला है। अन्ततोगत्वा हमारा कानून गलत बनने वाला है।

दूसरी बात यह है कि सीरतान की परिभाषा को स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक सीरतान की परिभाषा स्पष्ट न होगी तब तक कोई भी कानून वहां के निम्न श्रेणी

के लोगों को राहत देने में सफल न हो सकेगा। आज सीरतान की भिन्न-भिन्न परिभाषायें हैं। स्टावेल मैनुअल में जो परिभाषा है, कुमायूं लाज में जो परिभाषा है, उससे इस सर्वे रेकार्ड आपरेशन की परिभाषा बिलकुल भिन्न है। सर्वे रेकार्ड आपरेशन के पेज १६ में कहा गया है सीरतान आर आकूपेंट। सर्वे रेकार्ड आपरेशन के कालम १० में यह सीरतान आर आकूपेंट लिखा जायगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि काबिज और सीरतान एक ही टर्म हो गये। जो जमीन का ट्रेसपासर है वह भी सीरतान लिख दिया जायगा। कुमायूं के किसी भी कानून के अनुसार ट्रेसपासर सीरतान नहीं है। माननीय मंत्री जी भी यह नहीं चाहते कि वह सीरतान लिखा जायगा लेकिन जो नियम बने हुए हैं वह कहते हैं कि यह लिखा जाय। अमीन ट्रेसपासर को भी सीरतान लिख दें तो एक अज्ञात शंका, जो कि निर्मूल है, उससे भी, वे लोग भयभीत होते हैं और सारे विधेयक के विरोधी हो जाते हैं और उनका विरोध सही माने में होता है क्योंकि वह देखते हैं कि ट्रेसपासर भी सीरतान के नाम से दर्ज हो रहा है।

इसी प्रकार आप आगे चल कर देखेंगे कि रेकार्ड रूल्स के पेज ९२ पर लिखा है कि आर्टिजन्स लाइक दर्जी, लोहार, एटसेट्रा शुड बी रेकार्डेड ऐज सीरतान। (Artisans like tailor, blacksmith, etc., should be recorded as sirtan) यह इस पेज ९२ का पैरा ५ है। तारीफ की बात यह है कि पता नहीं इसको किसने बनाया। मैंने सेटिलमेंट कमिश्नर साहब को समझाया भी था कि एक्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन को ऐक्ट का मंशा दे दिया गया है। इंस्ट्रक्शन्स आफ दि सेटिलमेंट कमिश्नर ही ऐक्ट की परिभाषा बन गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दर्जी, लोहार आदि काबिज हों या न हों लेकिन सीरतान दर्ज कर दिये जायं। यह कैसे हो सकता है? हां, अगर दर्जी का कोई काम करता हो और सीरतान के रूप में काबिज हो तो उसको जरूर दर्ज किया जाय, लेकिन जो स्टावेल मैनुअल में भी नहीं लिखा गया है वह इसमें जोड़ दिया गया, यह मैं समझता हूं ठीक नहीं है। जो काबिज ही नहीं हैं उनको सीरतान कैसे लिखा जायगा? मैं झगड़े की जड़ को बता रहा हूं। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा कि हलिया सीरतान नहीं है। लेकिन जो नियम लागू हैं, उनके पेज ९३, पैराग्राफ ९ को आप देखें "परसन्स कल्टीवेटिंग लैंड ऐज हलिया विल बि रेकर्डेड एज सीरतान्स।" (Persons cultivating land as Hallia will be recorded as sirtans). माननीय मंत्री जी असेम्बली में कहते हैं कि हलिया सीरतान नहीं है। लेकिन जो रेकार्ड आपरेशन्स वहां हो रहे हैं उनके हिसाब से हलिया भी सीरतान हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि सीरतान की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट होना चाहिये यदि आप वहां के गरीब लोगों को इस कानून से कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

श्री चरणसिंह—आपकी राय में होना चाहिये या नहीं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—होना चाहिये, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि एक्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स के द्वारा सीरतान की परिभाषा वहां लागू नहीं होनी चाहिये।

अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उनसे क्या-क्या अधिकार और किस प्रकार मिलने वाले हैं? श्रीमन्, आप देखेंगे कि परकैपिटा लैंड होल्डिंग हमारे पर्वतीय इलाकों में ३८ नाली है यानी २ एकड़ से कम, जब कि मैदानी इलाकों में पर कैपिटा होल्डिंग ३.४ एकड़ है। जो वहां बड़े-बड़े हिस्सेदार हैं उनकी हालत में माननीय मंत्री महोदय के शब्दों में ही कोट करना चाहता हूं कि 'वहां १२ ऐसे बड़े हिस्सेदार हैं कि जो सारे पहाड़ी इलाके में २५० रुपये से ऊपर मालगुजारी देते हैं। कुल ८ ऐसे हैं कि जो २५० रुपये से ५०० रुपये तक मालगुजारी देते हैं, ३ ऐसे हैं कि जो ५०० रुपये से १,००० रुपये तक मालगुजारी देते हैं और कुल १ ऐसा है कि जो १,००० रुपये से ऊपर मालगुजारी देता है और बाकी जितने हिस्सेदार हैं वह सब २५० से कम देते हैं और जो ५ रुपये से कम मालगुजारी देते हैं उनकी संख्या ५० हजार से ज्यादा है।' हिस्सेदारी का मतलब यह होता है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, कि वह लगान में भी हिस्सा रखते हैं जो प्रधान के द्वारा जमा की जाती है। इससे यह स्पष्ट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

होता है कि जिस प्रकार की तस्वीर आपने जमींदारी अबालिशन की अपने कानून में रखी है वह तस्वीर वहां पर ठीक नहीं बैठती है ।

अब हमें खायकर और सीरतानों को राहत पहुंचाना है तो हम यह देखते हैं कि यह बिल खायकर और सीरतानों को कोई राहत नहीं पहुंचाता है । उन खायकरों के रिकार्ड मौजूद हैं। अगर सरकार यह कहे कि खायकरों के रिकार्ड हमारे पास नहीं है तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है क्योंकि खायकर दो किस्म के होते हैं। एक पक्का खायकर और एक कच्चा खायकर. . . .

श्री चरणसिंह---मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह कि हमारे माननीय मित्र तिवारी जी अपनी तकरीर खत्म करने से पहले एक डैफिनिट अपनी राय बतला दें कि आया किसी हद तक हिस्सेदार को और सीरतान को बेदखल करने का अख्तियार होना चाहिये या नहीं । इस बात को आप क्लियर कर दें ।

विधान सभा सदस्य श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई की सजायाबी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, मैं एक जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूं । श्री हलीमुद्दीन साहब हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर थे, सेशन जज, मुरादाबाद ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है और उनको जेलखाना भेज दिया है । पेपर की यह रिपोर्ट है तो कृपया आप बतलाने की कृपा करें कि कोई ऐसी सूचना आपके पास आई है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---मैं लंच के बाद आप को पूछ कर बतला दूंगा। अभी तक तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---यह मैंने आपके नोटिस में ला दिया है ताकि बाद में कोई प्रिविलेज का सवाल उठे तो उस पर एतराज न हो ।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७---(क्रमागत)

श्री नारायणदत्त तिवारी---मुझे दुख है कि माननीय माल मंत्री कुछ मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हैं जो उन्होंने ऐसा सवाल पूछा । जब मैं अपना भाषण समाप्त कर लेता तब शायद यह पूछना उचित होता ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि खायकरों के लिये इस विधेयक में प्रयुक्त करके रोकना आवश्यक नहीं है क्योंकि खायकरों की लिस्ट सरकार के पास मौजूद है। पक्के खायकरों की कोई लिस्ट अकेले नाम से नहीं है। गांवों की सारी लिस्ट उनके पास मौजूद है। गांव में कहीं पक्के खायकर का हिस्सेदार बेदखल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर पक्का खायकर मर जाय तो उसकी जमीन हिस्सेदार को रिवर्ट करती है वह भी कच्ची खायकरी रिवर्ट करती है। जो पक्का खायकर काबिज है आज भी वहां उनके हिस्सेदार को कोई अधिकार नहीं है केवल नाम के मालिक बने हुये हैं। जो पक्के खायकरी गांव हैं कम से कम उनके हिस्सेदारों को कभी भी अधिकार नहीं मिला। पहले के हिस्सेदार बने हुये हैं उनके नाम ३, ४ साल के रिकार्ड में इन्दराज है लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है । ४ साल तक उनकी पक्की खायकरी रहेगी। तो पहले यह मांग होगी कि खायकरों के खासतौर से उन पक्के खायकरों के जो मौरूसी सीरतान हैं, जो १९०२ से काबिज हैं, जो पटवारी के कागज में काबिज हैं और जो बिना किसी इंतजाम हुये मौरूसी सीरतान हैं, आप उनको पहले अधिकार दे सकते हैं।

इसीलिए मैं कहता हूं कि इस कानून को बनाने में स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है जो नहीं है। नहीं तो इतनी देर लगने का कोई काम ही न था।

अब रहा सवाल दूसरे वर्ग के लोगों का कि सीरतान जो कि गैर मौरूसी हैं उनकी परिभाषा क्या हो। उस परिभाषा को हमें सेलेक्ट कमेटी में बनाना होगा। सारे रूल्स को पढ़ना होगा और यह भी देखना होगा कि उनमें हलहे आते हैं या नहीं, दर्जी आते हैं या नहीं, आदि आदि। यदि कोई दर्जी का काम करता है और उसकी ल्यू में कोई जमीन दी गई हो, तब तो दूसरी बात है, लेकिन दर्जी, जिसके पास कोई जमीन नहीं है वह सीरतान कैसे दर्ज होगा? लेकिन जहां तक मौरूसी सीरतान और खायकरों का संबंध है, उनको फौरन् ही अधिकार दिये जा सकते हैं। हम उनको आज अधिकार दे सकते हैं और सरकार उस बारे में आज ऐलान कर सकती है।

तीसरी बात माननीय मंत्री जी ने यू० पी० जमींदारी ऐक्ट को वहां लागू करने की कही। मेरा खयाल है हम जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को ठीक मानों में वहां लागू नहीं कर सकते, उस को माडीफाई करके भी लागू नहीं कर पायेंगे। इसके लिये जो माडीफिकेशन होगा वह माडीफिकेशन नहीं होगा बल्कि कांप्रीहेंसिव सब्स्टीट्यूशन होगा। माडीफिकेशन तो वह होता है जिसमें थोड़ी बहुत चीजों को माडीफाई कर के हम लागू करें, लेकिन जहां नयी धारायें ही सब्स्टीट्यूट कर दें तो वह माडीफिकेशन नहीं बल्कि कांप्रीहेंसिव सब्स्टीट्यूशन होगा, मौलिक रूप से विषयान्तरण होगा, मौलिक रूप से एक दूसरे ही रूप में लाना होगा। इसलिये मेरा विचार है कि हम वहां पर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट को माडीफाई कर के लागू नहीं कर पायेंगे। इसीलिये कुमायूं के लिये जो लाज कमेटी बनी थी जिसमें श्री जगमोहनसिंह नेगी, श्री हरगोविन्द पंत और माननीय गोविंदवल्लभ पंत भी थे, उसने सन् ३७ में ही यह रिकमेंड किया था कि कुमायूं के लिये हमें नया इनेक्टमेंट ही लाना होगा किसी माडीफिकेशन से काम बनने वाला नहीं है। श्रीमन्, मैंने यही बात जौनसार बावर के लिये भी कही थी और माननीय मंत्री जी को जो दिक्कतें लागू करने में हुईं उनको देखा होगा।

चौथी बात यह है कि धारा २ में कहा गया है कि यह ऐक्ट गवर्नमेंट एस्टेट्स में भी लागू किया जायगा। मेरे खयाल में यह ऐक्ट जैसा है वैसा गवर्नमेंट एस्टेट्स पर लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि गवर्नमेंट एस्टेट्स केवल कुमायूं डिवीजन में ही नहीं हैं। वह ५५० से ज्यादा हैं, मिर्जापुर में दुद्धी में हैं और रामपुर में भी हैं। यह ठीक है कि कुमायूं डिवीजन में सब से बड़ी है, लेकिन वे ५५० हैं उन सब पर यह ऐक्ट लागू नहीं हो सकता।

श्री चरणसिंह—वह केवल हिली स्टेट्स पर ही लागू होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—शायद माननीय मंत्री जी को बीच में उत्तर देने का अधिकार हो। अगर ऐसा हो तो आप की आज्ञा से वे ऐसा कर सकते हैं। खंड २, श्रीमन्, इस प्रकार है—

"The State Government may, by notification in the official Gazette, apply the whole or any provision of this Act subject to such exceptions or modifications, not effecting the substance as it may consider necessary to any estate or part thereof owned by the Central Government, State Government, or any local Authority."

कुमायूं डिवीजन का कहीं जिक्र इसमें नहीं है। इसलिये मेरा कहना यह है कि यह कानून, जैसा कि है, तमाम एस्टेट्स पर लागू नहीं हो सकता। फिर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एस्टेट्स का भी जिक्र है जब कि कुमायूं में कोई है ही नहीं। इसलिये मेरा विचार जैसा कि यह कुमायूं डिवीजन के लिये रिफार्म ऐक्ट है, उसे सारे राज्य के गवर्नमेंट स्टेट्स के लिये अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब यह हो सकता है कि सेलेक्ट कमटी में आप अमेंडमेंट कर लें, लेकिन यह बात इस समय नहीं है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पांचवीं बात सिद्धान्ततः मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है कि वह यह है कि हमारे माननीय माल मंत्री जी का विचार यह है कि वे सीरतानों को पहले असामी बनायेंगे और फिर असामी को वे सीरदार बनायेंगे और फिर सीरदार के बाद उसे भूमिधर बनायेंगे। यह बड़ा टार्चुअस प्रोसेस है, बड़ा घुमा फिरा कर तीन सीढ़ियों से निकलने वाला प्रोसेस है। मैं यह चाहूंगा कि सिद्धान्ततः इस बात की आवश्यकता पड़े ही नहीं कि सीरतान पहले असामी बने, फिर सीरदार बने और फिर भूमिधर बने।

श्री अधिष्ठाता:—असामी तो बनेगा नहीं, अधिवासी बनेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, आप को याद होगा कि सन् ५४ में जो संशोधन किया गया था उसी में अधिवासी समाप्त कर दिया गया। अब तो अधिवासी का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक इस विधेयक का फ्रेम वर्क है उसके अनुसार सारे सीरतान असामी बन जायेंगे और एक साल तक उनको मौका देंगे कि वे १५ गुना जमा कर के भूमिधरी अधिकार खरीद लें। अगर एक साल में वह भूमिधर नहीं बन सका तो फिर आप असामी को मौका देंगे कि वह सीरदार हो जाय और सीरदार होने के बाद वह लगान का दस गुना जमा करके भूमिधर हो सकता है। मेरा कहना यह है कि इस विधेयक का जो फ्रेमवर्क है उसमें असामी को सीरतान से सीरदार बनने के बीच में नहीं आना चाहिये। असामी बनने का स्टेज ही नहीं आना चाहिये। इसके अलावा एक साल डिले करने का जो मौका दिया जाता है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सीरतान को सीधे सीरदार बना दिया जाय।

दूसरी जो सिद्धान्ततः गलती इस विधेयक में रह गयी है, वह यह है कि माननीय माल मंत्री जी ने जहां हिस्सेदारों की जमीन जो खायकारी राइट्स वालों के पास है, उसे स्टेट में वेस्ट होने की बात कही है, लेकिन जो सीरतानों के हाथ में जमीन है उसके राइट्स को स्टेट में बिना वेस्ट किये हुए ही यह कह दिया कि वे भूमिधर हो जायंगे। मैं इस सम्बन्ध में धारा ८ की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि धारा ४ और ८ में बुनियादी फर्क है। बिना राज्य के हाथ में भूमि को वेस्ट किये आप किसी हिस्सेदार को भूमिधर नहीं बना सकते लेकिन आपने कह दिया कि वे भूमिधर हो जायेंगे। धारा ८ के अनुसार यह नहीं हो सकता है। ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उस हिस्सेदार की जमीन राज्य में वेस्ट न हो जाय और वह उस जमीन पर भूमिधर के रूप में सेटिल न हो जाय। वर्तमान जो जमींदारी एबालिशन बिल है उसमें हम यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका नतीजा यह हो सकता है कि बाद में कहीं यह मसला अदालत वगैरह में गया तो मैं समझता हूं कि यह कानून अल्ट्रावायरस हो जायगा।

इसी प्रकार की एक गलती और हुई है और वह यह कि जो थोकदारी और प्रधानाचारी वाली जमीन है, उस पर उनको सीरदार बनने का अधिकार तो हो जायगा, लेकिन जिन थोकदारों या प्रधानों ने हिस्सेदारों से जमीन खरीद ली है उनको इस तरह का कोई अधिकार नहीं होगा। यह बात कोई स्पष्ट नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह से इसमें भी कैटेगरी हो जायंगी, थोकदार, गैरथोकदार तथा प्रधानाचारी और गैर प्रधानाचारी की। इसलिये इसमें कुछ विचार परिवर्तन की आवश्यकता है।

अब मैं माननीय मंत्री जी के उस प्रश्न का जवाब दूंगा कि जिसका वह बड़ी बेकरारी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि रिजेम्पशन का अधिकार किसको देना चाहिये और किसको नहीं देना चाहिये। उन्होंने रास्ते के लिये ढाई नाली रिज्यूम करने का अधिकार उन हिस्सेदारों को दिया है जिनकी जमीन में सीरतान है, खायकर का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने बताया कि ढाई नाली बहुत थोड़ी सी जमीन का हिस्सा है जिससे कोई विशेष असर हीन पड़ेगा। माननीय माल मंत्री जी को याद होगा कि मैंने उनका ध्यान प्लानिंग कमीशन की

सिफारिश की ओर दिलाया था। अपनी सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान का जितना मुझे उत्साह है उससे ज्यादा उत्साह माननीय मंत्री जी को होना चाहिये क्योंकि वह स्वयं, गवर्नमेंट और उनकी महान पार्टी जिसका सदस्य होने का उनको गौरव प्राप्त है वह सब उस को इम्प्लीमेंट करने के लिये प्लेज्ड हैं। मैंने पहले भी इस सिफारिश को पढ़ा था। मैंने बताया था कि प्लानिंग कमीशन ने पहाड़ों में ३ प्रकार की होल्डिंग्ज बताई हैं। लैंड रिफार्म्स पेनल की सिफारिश पर उन्होंने वह बनाई थीं? बेसिक होल्डिंग, फेमिली होल्डिंग और लिमिट होल्डिंग। उसमें कमीशन ने कहा है:

"The economic circumstances of small owners are not so different from those of tenants that tenancy legislation should operate to their disadvantage. It is desirable that a small owner wishing to resume land for personal cultivation should be permitted to do so. At the same time it is difficult to disregard the position of the tenant. There is a concensus of opinion that owners with very small holdings should be permitted to resume their entire area. The limit may be set at what is described as a "basic holding". The expression "basic holding" is employed in legislation relating to the prevention of fragmentation which generally defines the minimum area needed for profitable cultivation."

इसके अर्थ यह हैं कि मसलन् कोई ऐसा सीरतान हो कि जो गवर्नमेंट हाउस में माननीय माल मंत्री का चपरासी हो और उसकी पहाड़ में दस नाली जमीन हो और वह यहां नौकरी पर आते वक्त अपने चचेरे भाई से कह आये कि तू मेरी जमीन को जोत और मैं तुझे मास में १५ रुपया अपने वेतन से भेजूंगा, मेरी बीवी ६ मास यहां तेरे पास रहेगी और ६ मास लखनऊ में मेरे पास रहेगी।

श्री अधिष्ठाता—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं अपने वर्तमान विचार को जो रिजम्पशन का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट कर रहा था। मैंने बतलाया कि वहां पर परकैपिटा लैंड बहुत कम है। किसी परिवार के कोई सदस्य चाहे किसी भी तबके के आदमी हों, अगर उनके भाई यहां चपरासी हैं और अगर घर में भाई को कह देते हैं कि मेरी खेती को जोतों तो यह हो सकता है कि वर्तमान रेकार्ड्स के अनुसार जो नियम हैं वह सीरतान दर्ज हो जायं। अभी यहां जो भाई हैं, कस्टमरी ला के अनुसार उन को हिस्सेदारी के अधिकार हैं। लेकिन नये सर्वे के नियमों के अनुसार सीरतान दर्ज हो जायंगे। चाहे भाई न भी चाहे तब भी वह सारी जमीन का हिस्सेदार हो जायगा। और फिर जमीन का मामला यह है कि अगर किसी के नाम होने लगेगी तो भाइयों, भाइयों में झगड़ा हो सकता है। तो प्लानिंग कमीशन के फैसले को इंटरप्रेट करने का जो मेरा सिद्धान्त है वह यह है कि अगर दस नाली जमीन किसी के पास हो जो बेसिक फेमिली होल्डिंग भी न हो तो सीरतान और हिस्सेदार को भी इस प्रकार का मौका मिलना चाहिये कि तराई भावर में जो जमीन भूमिहीनों को अलाट की जाय वहां पर चाहे हिस्सेदार आप्ट करके जमीन लेना चाहे या सीरतान आप्ट करके जमीन लेना चाहे तो उनको वहां पर जमीन अलाट की जाय। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सीरतान के हाथ में किसी प्रकार की जमीन न रहे। मैं तो सीरतानों की बात कर रहा हूं और जहां पर हिस्सेदार भी टिलर आफ दी स्वायल है और सीरतान भी टिलर आफ दि स्वायल है, जहां दोनों ही एक वर्ग के हैं, दोनों ही मेहनत करने वाले हैं, लेकिन पारिवारिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ दिन के लिये बाहर चले जाते हैं और कोई दूसरा कार्य करने लगते हैं उसके बाद फिर खेती करना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर देने का प्रश्न है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं माननीय विष्ट जी के उस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा—हमने भी इस दृष्टिकोण को व्यक्त किया है कि वहां पर सीरतानों की समस्या का भूमिहीनों की समस्या का और हरिजनों की समस्या का तब तक हल नहीं हो सकता है जब तक तराई भावर क्षेत्र में दस हजार भूमिहीन या सीरतान परिवारों को जमीन अलाट नहीं की जायगी। पर्वतीय क्षेत्र में भी जो जंगलात की नीति है उसमें कुछ रद्दोबदल नहीं की जाती क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जो जंगलाती इलाके हैं उनमें कुछ जमीन ऐसी है जहां पर सीरतानों को, भूमिहीनों को जमीन मिल सकती है। मैं जानता हूं कि हम इसकी इस बिल में व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि इस बिल का उद्देश्य दूसरा है। भूमिहीनों को जमीन अलाट करने का उद्देश्य नहीं है लेकिन सरकार को अपनी नीति की घोषणा करनी चाहिये कि इस बिल के अधीन जिन सीरतानों को वहां जमीन की व्यवस्था नहीं हो सकेगी या जो गरीब हिस्सेदार हैं जिनके पास पांच, दस नाली जमीन है, जो इस बिल के कारण बेदखल हो जायेंगे उनको हम दूसरी जगह रिहैबिलिटेट करेंगे। बारहगुना मुआविजा देने के बजाय अगर उनको जमीन दे दें, रिहैबिलिटेट कर दें तराई भावर में तो मैं समझता हूं कि उनका बड़ा सेवा कार्य होगा। मैं माननीय मंत्री जी, जो हम से बड़ा विषद दृष्टिकोण चाहते हैं, को विश्वास दिलाता हूं कि इन अण्डर डाग्ज के लिए जितनी उनके दिल में सहानुभूति है उतनी हमारे हृदय में भी है। लेकिन केवल वही अंडर डाग नहीं हैं बल्कि जो बच्चे हमारे घरों में हैं, जो बच्चे पहाड़ से भाग कर आते हैं, कितने पहाड़ी बच्चे, आठ-आठ साल के, दस-दस साल के, चौदह-चौदह साल के बच्चे घरों से भाग कर आते हैं और घरों में यहां पर बरतन मांजते हैं। दारुलशफ़ा में कम से कम २५, ३० तो मैंने देखे हैं। यह कहां से आते हैं? जो आप के यहां आर्डरली हैं क्या वे अन्डर डाग की परिभाषा में नहीं आते? १०, १५ रु० माहवार पर काम करते हैं और अपने बच्चों से दूर रहते हैं तो ऐसे लोगों के परिवारों के लिये भूमि की व्यवस्था करना भी हमारा कर्तव्य है।

तो हमें सर्वांगीण दृष्टि से इस विधेयक को परिपुष्ट बनाना है। समाजवाद एकांगी नहीं है। समाजवाद का अर्थ केवल यह नहीं है कि लैंड रिफ़ार्म को रिवोल्यूशनरी और इंडस्ट्रियल रिफ़ार्म को रीएक्शनरी कर दें। तो समाजवाद एकांगी नहीं हो सकता। उस को सर्वांगीण होना चाहिये और इसी पृष्ठिभूमि में इस विधेयक को देखता हूं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे ऊपर कम से कम यह अन्याय न करें। जो हमने प्रस्ताव रखा है उसके लिये हमें अवश्य इजाजत देंगे कि हमें ज्यादा ज्ञान है क्योंकि हम वहां पैदा हुए हैं, पले हैं, इसलिये हमें कुछ थोड़ी सी ज्यादा जानकारी वहां के बारे में हो सकती है।

एक प्रश्न और भी है जिसकी ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह मुआवजे का प्रश्न है। इस विधेयक में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि मुआविजे को कौन देगा। एक तरफ तो जहां खायकरों की जमीन को, जो खायकारी जमीन है उस को, सरकार जब अधिकृत करेगी तो उस जमीन के मुआवजे का पेमेन्ट सरकार करेगी, इनडायरेक्टली जो मुझे लगता है वह कह रहा हूं। लेकिन इसको पढ़ने से प्राइमाफ़ेसी ऐसा लगता है कि खायकरी जमीन का कम्पेन्सेशन का पेमेन्ट सरकार करेगी, खायकर नहीं करेगा। लेकिन जब सीरतान जो खायकर से एक नीचे की श्रेणी का टेनेन्ट होता है अगर सीरतान सीरदारी के अधिकार उपार्जित कर के भूमिधर होना चाहेंगे तो १० गुना लगान वह पे करेंगे, खायकरी का कम्पेन्सेशन सरकार पे करेगी। लेकिन सीरतान से सीरदार हुआ और भूमिधर हुआ तो कम्पेन्सेशन सीरतान खुद पे करेगा। मैं समझता हूं यह गलत है। सरकार ने जिस प्रकार अधिवासी वर्ग को समाप्त कर के उस को सीरदार बना कर के खुद कम्पेन्सेशन २ करोड़ रु० दिया उसी प्रकार मेरा विचार है सरकार को चाहे किसी तरह की जमीन हो मुआवजा खुद पे करना चाहिये, जैसा कि १९५४ जमींदारी लैण्ड रिफार्म्स अमेंडमेंट ऐक्ट में हुआ। तो मैं चाहूंगा कि मुआवजा कौन पे करे इस प्रश्न को भी सरकार को स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखना चाहिये और विचार करना चाहिये। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सेलेक्ट कमेटी को टेहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों के केन्द्रों में जाकर अवश्य वहां की जो

स्थिति विशेष से जानकारी रखते हैं उनसे जानकारी अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिये। जैसे श्रीमन्, टेहरी-गढ़वाल और कुमायें लैंड टेन्योर में फ़र्क है। श्रीमन्, टेहरी-गढ़वाल सन् १९५० से पहले एक राज्य था और टेहरी-गढ़वाल में कुछ कानून भूमि के सम्बन्ध में बने हुए थे, आज वे कानून उस प्रकार से लागू नहीं हैं, उनको माडीफ़ाई कर दिया गया है। लेकिन टेहरी-गढ़वाल में एक पारित किया हुआ कानून वहां राज्य में अधिकृत लागू था। जैसे मौरूसीदार क्लास हमारे यहां कुमायूं में नहीं है वह टेहरी-गढ़वाल में है। न गढ़वाल में, न अल्मोड़ा में, कहीं नहीं केवल टेहरी-गढ़वाल में है। और श्रीमन्, आपने देखा जौनसार-भाबर के लिये एक दूसरा अलग से विधेयक बनाया गया वैसे जौनसार इसी हिमाचल प्रदेश के अंचल में है और टेहरी-गढ़वाल के अंचल से लगा हुआ है। लेकिन वहां की भूमि व्यवस्था के लिये अलग से ऐक्ट बनाया गया। इसलिये सेलेक्ट कमेटी को पिथौरागढ़ के अंचलसे लेकर तथा नन्दादेवी के अंचल से ले कर उधर पिंडारी ग्लेशियर तक और हिमाचल प्रदेश के अंचल में जो वहां के कस्टमरी ला हैं उनकी जानकारी करने के लिये विशेष मेहनत करनी होगी ताकि यह ऐक्ट सर्वांगीण हो। इसलिये मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी दौरा करे, एवीडेंस भी ले और तब कोई ठीक प्रकार से कानून बनाये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं और जहां तक विवरण का प्रश्न है मेरा माननीय मन्त्री जी से मतभेद अवश्य है। लेकिन मुझे भरोसा है कि सेलेक्ट कमेटी में जाकर हमारा मतभेद सम्भवतः दूर हो सकेगा और जो कुछ भी मेरे विचार हैं उनको अधिकृत रूप से व्यक्त करने का मुझ को और अधिक अवसर मिल सकेगा।

नियोजन उपमन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माल मंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वह चार महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे। अधिष्ठाता महोदय, इस विषय पर हमारे भवन के कई माननीय सदस्यों को सम्भवतः पूरी जानकारी न हो, इसी हेतु मैंने भी अपना कर्त्तव्य समझा कि मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते सभी माननीय सदस्यों को उन समस्याओं से अवगत करा दूं।

अधिष्ठाता महोदय, कोई भी कानून जब बनाया जाता है और खासतौर पर भूमि-सुधार के सम्बन्ध में तो सम्भवतः उसके अन्तर्गत एक तो सोशल जस्टिस जिसे कहते हैं वह एक प्रकार का सामाजिक न्याय करने के ध्येय से किया जाता है और दूसरे भूमि-सुधार के अन्दर यह बात आवश्यकीय है कि जो कानून बने उससे उत्पादन में वृद्धि हो और कृषक जो हैं वह सुखी और सम्पन्न हों। जहां तक सोशलिस्टिक समाज लाने का प्रश्न है तो मैं तो समझता हूं कि कुमायूं भूमि विधेयक से यह आयेगा नहीं क्योंकि वह तो एक बहुत छोटी सी समस्या है और सारे प्रदेश के अन्दर जमींदारी विनाश का जहां तक प्रश्न था वह तो आप ने किया क्योंकि उसका सम्बन्ध करोड़ों आदमियों से था, ८० प्रतिशत आदमी जो कि हमारे प्रदेश के किसान हैं उनसे सम्बन्ध था। यहां जो विधेयक पेश है उसका सम्बन्ध तो केवल कुछ लाख व्यक्तियों से है और उनमें भी मेरा अपना ख्याल है कि जिसको माननीय नारायणदत्त जी ने, अन्दर डाग शब्द से सम्बोधित किया, (मैं तो नहीं कहता) केवल उन चन्द लाख आदमियों में दस पन्द्रह प्रतिशत हैं। अगर सोशलिज्म की बात या वैसी व्यवस्था लाने की बात होती तो बड़े-बड़े शहरों में जितनी बड़ी-बड़ी यह कम्पनियां हैं, कारखाने हैं, उनमें यह व्यवस्था लाने की बात कही जाती। तो सोशलिज्म की बात तो मैं नहीं मानता। अब प्रश्न केवल दो ही चीजों का रह जाता है। एक सोशल जस्टिस का, अर्थात् यह कि इस विधेयक के द्वारा सोशल जस्टिस कितनी हो पायेगी और दूसरा यह कि उससे उत्पादन में, हमारी जो आज खाद्य स्थिति है उसमें वृद्धि होगी या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

तो पहले मैं सोशल जस्टिस की बात पर आना चाहता हूं। कुमायूं में जमींदारी शब्द का प्रयोग करना ही पहले बड़ा भ्रमात्मक, है क्योंकि वहां रैयतवाड़ी सिस्टम है या पीजेंट

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

प्रोप्राइटरशिप। वहां किसी भी काश्तकार से जिसको कि चार आने लगान कहें या लैन्ड रेवेन्यू कहें (क्योंकि डाइरेक्ट सिस्टम गवर्नमेंट से है इसलिये लगान तो वहां है ही नहीं) देना पड़ता है, उस पर जो प्रश्न उठाया गया ट्वेल्व टाइम्स या टेन टाइम्स या एट टाइम्स दिया जाय तो इसका तो कोई सवाल ही नही है। सवाल तो है कि हर आदमी, ९९ परसेंट और मान लो थोड़ी देर के लिये ९० परसेंट ही सही, ऐसा है कि जो डाइरेक्ट गवर्नमेंट को लैन्ड रेवेन्यू देता है और वह छः पैसे से लेकर ५ रुपये तक देता है। अधिकांश आदमियों की, ७५ परसेंट की रेवेन्यू ५ रुपये से कम है जो कि वह गवर्नमेंट को डाइरेक्ट देते हैं। तो वहां की पापुलेशन का ७५ परसेंट ६ पैसे से ५ रुपये तक वार्षिक लगान देता है। सवाल यह है कि वहां खेत एक दिन में नहीं बने। आपने जैसे रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात कही वे वहां देख आये हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा देखा लेकिन ऐसे हिस्से भी वहां हैं जिनको बनाने में २ हजार फुट की ऊंचाई से ८ हजार फुट की ऊंचाई तक सीढ़ीदार बराबर काटते रहे। एक थोड़े से जमाने में वे नहीं बने, लाखों वर्षों से जब से सृष्टि प्रारम्भ हुई या जब से वहां आदमी बसे होंगे तब से बराबर बनाते चले गये होंगे और कल जैसी दो बारिशें हो गईं उनसे तमाम सीढ़ियां (खेत) खत्म हो गईं। सारे रेकार्ड प्रकृति ने एक ही दिन में गुड़ गोबर कर दिये। फिर हजारों रुपये लगाकर, फिर मेहनत करके रबी की फस्ल के लिये सीढ़ीदार खेत तैयार करने हैं। साढ़े ४ लाख आदमी टेहरी में, ६ लाख गढ़वाल में और साढ़े ३ लाख नैनीताल में और ७ लाख अल्मोड़े में बसते हैं। यही कुल आदमी हैं। ७५ प्रतिशत उनमें ऐसे आदमी हैं जिनके बाप दादाओं ने २ हजार फुट से लेकर ८ हजार फुट की ऊंचाई तक, अपनी सारी खून पसीने की कमाई लगा कर और मेहनत करके, खेतों को खड़ा किया। उनको हिस्सेदारी का कानूनन हक है। यहां (मैदान में) आपने जमींदारी खत्म की और गवर्नमेंट में वेस्ट की और आम जनता आपके साथ थी। छोटे बड़े मिलाकर २२ हजार जमींदारों को आपने यहां खत्म किया। लेकिन वहां २२ लाख आदमियों से भी अधिक को खामख्वाह हिस्सेदारी से नाम बदल कर भूमिधर रखने की क्या जरूरत है? वहां एक सेंटीमेंट है कि वह हिस्सेदार ही रहना चाहते हैं। कुछ आदमी उनमें ऐसे हैं, जैसा तिवारी जी ने कहा, जो यहां आकर बर्तन मलने का काम करते हैं, चपरासगीरी का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ऊंचे पदों पर मिलीटरी में हैं, लेकिन उन सभी का एक सेंटीमेंट है। पहाड़ पर थोड़ी सी जमीन है। चार भाई हैं। चारों भाई घर बैठे रहें तो सरकार की जो मालगुजारी है उसे भी वे उस खेती पर पैदा करके अदा नहीं कर सकते। तो उनको मजबूरन कुछ न कुछ पेशा ढूंढ़ना पड़ता है। जब पेशा उन्होंने ढूंढ़ा तो दो भाई नौकरी पर गये, दो घर की देखभाल करते हैं। जो नौकरी पर गये वे घर पर रहने वालों के छोटे बच्चों को भी साथ लेते आये। उनको लाकर एजूकेशन भी दे रहे हैं, उनको कपड़ा भी दे रहे हैं और सरकार की मालगुजारी भी दे रहे हैं। इस तरह का एकनामिक स्ट्रक्चर उनका है। लेकिन अगर यह समझा गया कि नहीं साहब "जिनकी जोत उनका खेत" तो फिर चारों भाइयों में से तीन भाई अगर घर पर है और एक बाहर नौकरी पर चला गया तो वह एक खेतों से महरूम हो जायगा। अगर इसको सोशल जस्टिस कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इस सोशल जस्टिस का नतीजा यह होगा कि जो यहां रह रहा है वह भी उनके, जो घर पर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाना बन्द कर देगा, वहां जाना बन्द कर देगा। फिर पहाड़ का कोई आदमी पढ़ेगा भी या नहीं और सरकार की मालगुजारी कोई देगा या नहीं, मेरी समझ में यह बात नहीं आई। इसीलिये सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उस मालगुजारी को कौन देगा? सर्विस वहां रह कर कैसे करेंगे? छोटा हो या बड़ा हो यह उसके एकनामिक स्ट्रक्चर को बदल देगा। मेरा ऐसा खयाल है और मैं यह समझता हूं कि "जिसकी जोत उसी का खेत", यह प्रश्न जैसा कि यहां मैदान में

उठाया जाता है, उसे वहां भी लागू कर दिया तो मैं बता देना चाहता हूं कि वहां के टैन्योर में कोई स्टैबिलिटी नहीं रहेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही। उसकी वजह यह है कि आज किसी गरीब का कोई बैल मर गया तो कहां से उसको रिप्लेस करने के लिये पैसा लायेगा? एक भाई नौकरी पर है वह उसको रिप्लेस करने को पैसा दे देता है कि बैल खरीद लो। अगर बारिश से किसी खेत का पुश्ता उजड़ गया तो उसको कैसे रिपेयर करायेंगे? कुछ समय पहले से वहां ऐसा सिस्टम था कि लोग मिल-जुलकर के सामूहिक रूप से काम करते थे, वह प्रथा भी खत्म हो गयी। अब तो यह है कि मजदूरी हर जगह, हर चीज के लिये, जोतने के लिये, बोने के लिये चलती है आदि आदि। तो जहां तक सोशल जस्टिस करने का सवाल है चाहे वह सीरतान हो, टेनेंट हो, खायकर हो या हिस्सेदार हो, उनको आप अबरप्ट किसी स्टेज पर, जिनके बाप दादाओं ने इतनी मेहनत करके खेत बनाये और उनको बराबर जोतते बोते आ रहे हैं उनको आप बना दें तो उसमें तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, और यह राय भी ठीक है कि जो आदमी अपनी झोंपड़ी में बैठा है, चाहे उसके पास खेत है या नहीं, उसको निकालने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिये, वह उसमें बरकरार रहे। मैं तो आप से कहता हूं कि इस कानून के बाद और इस हल्ले गुल्ले से अगर कोई ऐसे रहे भी हों तो अब तक वह हटा दिये गये होंगे। अब तो लोग इतने सशंक हो गये हैं कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको एक दिन के लिये भी देने को कोई तैयार नहीं है। क्योंकि वह डरते हैं कि अगर खेत दिया तो यह ऊंट वाला किस्सा न हो जाय कि डेरे में केवल सर रखने के लिये इजाजत ली और फिर कहा कि तुम बाहर निकलो, मैं ही बैठता हूं। तो प्रश्न यह है कि इससे कोई सुधार की बात होने वाली नहीं है और इससे अभी दिक्कत ही पैदा हो रही है। जहां तक सोशल जस्टिस का सवाल है, उनके साथ तो आप एक तरह से बड़ा अन्याय करेंगे कि जिनके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत करके उन खेतों को बनाया और मजबूर होकर वह घर छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने आये और आप उसको महरूम कर दें क्योंकि ४ दिन के लिये किसी के आगे सुपुर्दगी में रख दिया तो उससे कहा जाता है कि तू जा ही नहीं सकता। जो आदमी इस नयी दुनिया की सभ्यता में निकला है और यहां रहता है तो उसको अब यहीं रहने दो, उसको अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। जिस भाई ने या चचेरे भाई ने या गांव के बिरादरी वाले ने निकाल करके बाहर कर दिया कि तू पहाड़ आ भी मत, दर्शन भी मत कर पहाड़ के, हमेशा के लिये बिदा हो जा, तो वह काहे को उसकी पैसे से मदद करेगा? वहां यह हाल है कि सन् १४ की लड़ाई से पहले जब तक कि लोग नौकरी में नहीं आये थे कोई आदमी बमुश्किल से एक गिरह यानी एक गज का सोलहवां हिस्सा कपड़े के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता था। और ये नौकरी वाले अगर बाहर निकाल दिये जायं, जिलावतन कर दिये जायं तो वह वैसे ही बे पढ़े लिखे रहेंगे, चूंकि कमाने का और कोई तरीका नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ७५ प्रतिशत लोग इस तरह से रहते हैं, यानी सब्सीडियरी वर्क करके पेट भरते हैं। आप कहते हैं कि उसको अपनी आमदनी बढ़ाने का दूसरा काम हो, तो वहां क्या है आपके पास यहां तो कोई दूसरा काम कर लेगा, वहां कौन सी इंडस्ट्री खोली गयी है, छोटी या बड़ी? एक काश्तकार वहां क्या करेगा? क्या उपज होती है? वहां जो ५ रुपये की सीधी माल-गुजारी, लगान नहीं, सरकार को देता है तो वह बहुत बड़ा रईस माना जाता है मगर उसमें पैदा कितना होता है? अगर सच पूछा जाय तो महीने भर में एक एक पाई एक परिवार के सदस्य पर पड़ेगा।

दूसरी बात है कि नदियों के किनारे पर जिसको आबपाशी वाली जमीन कहते हैं, वह हमेशा तलवार की धार पर रहती है किसी रोज वह जाय, किसी रोज न बह जाय इसमें जरूर ज्यादा पैदावार होती है और इसमें से भले ही कोई रेंट के तौर पर ले लेता होगा लेकिन ऐसे बहुत कम हैं। जहां तक सोशल जस्टिस की बात है, देश में यह होगा कि एक आदमी को मार देने से करोड़ों का फायदा होगा, लेकिन वहां यानी पहाड़ों पर

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

५ फीसदी लोगों के फायदे के लिये ७५ फीसदी को मारा जाय। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं कहता हूं कि इससे वहां का एकोनोमिक स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। मैं इसलिये कह रहा हूं ताकि सिलेक्ट कमेटी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

यह प्रश्न नहीं है जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी की तरह बतला दूं कि इस कानून में वह वेस्ट नहीं होती है। कहां यह वेस्ट होगी और कहां नहीं होगी, इसको तो सिलेक्ट कमेटी में सुधारा जा सकता है। लीगल ऐडवायजर्स ठीक कर देंगे। लेकिन सवाल इस सिद्धांत को ठीक समझ लेने का है। मैं कहता हूं कि यह सोशल जस्टिस नहीं होगी अगर आपने इस गलतफहमी पर देश की जमींदारी और पहाड़ की जमींदारी को एक स्तर पर रखा। दरअसल में अवध में जमींदार लोग ताल्लुकेदार कहलाते थे वैसे ही पहाड़ों में थोकदार कहे जाते थे। अंग्रेजों ने १८७६ के करीब कुमायूं डिवीजन में थोकदारों को नहीं रखा। दरसल वही जमींदार थे, उनको ही हम जमींदार कहते थे। अंग्रेजों ने उनको खत्म करके जमीन ऐक्चुअल टिलर आफ दी स्वायल को बांट दी। अब यह दुबारा नम्बर जमींदारी खत्म करने का यहां पर आया है। जमींदारों को खत्म करके जमीन को सारी कम्यूनिटी में बांट दिया और उस पंच हिस्सेदारी में सारे गांव की सम्मिलित जमीन हो गई। अब क्यों इनको खत्म करने जा रहे हैं जिनका सीधा संबंध गवर्नमेंट से है ? अब जो हिस्सेदार हुये उनको भी खत्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि लोगों के सेंटीमेंट्स को टच करेगा। खायकर को हमने भूमिधर बनाया तो क्या फर्क हुआ ? उनमें मैं बतला दूं कोई फर्क नहीं है। अंडर प्रोप्राइटरी है उसको भूमिधर बनाने से क्या उसको तसल्ली होगी। उसको तसल्ली तब होगी जब वह हिस्सेदार कहलायगा और सरकार क्या करने जा रही है। जो छब्बे थे उनको दुबे बना रही है। टेहरी-गढ़वाल में क्या फर्क है ? वहां राजा हिस्सेदार था और बाकी आदमी सब मौरूसी सीरतान या खायकर थे। लेकिन हमारे यहां गोरखा वार के बाद जो थोकदार थे उनको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया और सीधा संबंध रैयत से कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस रैयतवारी सिस्टम को क्यों बदला जा रहा है ? सिर्फ ७५ फीसदी जो हिस्सेदार हैं उनको आप भूमिधरी में चेंज कर रहे हैं। क्या फायदा इसमें है ? क्या सारे प्रदेश में एक जैसी टेनेंसी लाने के लिये ऐसा किया जा रहा है ? यह बड़ा अच्छा खयाल माल मंत्री जी का होगा मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि एक तरह की टेनेंसी सारे प्रदेश में हो जाय लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आप पहाड़ को पाट कर मैदान की तरह कर दें। उसकी पिक्युलियरिटी तो तब तक बनी रहेगी जब तक पहाड़ की चोटियां कायम हैं। और मान लो कि ऐसा हो भी जाय तो पूर्वी प्रदेश वालों की तरह से हमेशा पानी का दुख लिये फिरेंगे। अगर सोशल जस्टिस करनी है तो एकदम से जितने खायकर हैं, सीरतान हैं उनको हिस्सेदार डिक्लेयर कर दें। मैं मानता हूं कि अल्मोड़े में बहुत पुराने रेकार्ड्स हैं, गलत रेकार्ड्स हैं और वहां जल्दी शुरू हो जाना चाहिये मगर जहां तक गढ़वाल का सवाल है, वह तो सन् ४५-४६ तक बराबर होते रहे, हमारे यहां तो कच्चे खायकर, पक्के खायकर मौरूसीदार, सीरतान, इन सबकी लिस्ट बनी है। ये कम्पेंसेशन भी नहीं मांगते हैं। गो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक देना जरूरी है तो १२ परसेंट दें या ५ परसेंट दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चरणसिंह—फिर हिस्सेदारों को नुकसान तो होगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं होगा, क्योंकि वे तो रेकार्डेड हैं। मैं बहुमत की बात कह रहा हूं। बहुमत में ऐसा है कि ५ रुपये का अगर कोई हिस्सेदार है तो खायकर से वह ज्यादा से ज्यादा सवा रुपया लेता है। फिर तारीफ यह है कि प्रकृति वहां का नक्शा हर साल बनाती बिगाड़ती है। २ लाख ४५ हजार रुपये तो सारे गढ़वाल जिले

का रेवेन्यू है। वहां इतने छोटे खेत होते हैं जितनी बड़ी मेरी मेज। बैल ठीक से घूम भी नहीं सकता। तो १०-१५ लाख रुपये इसमें खर्च होंगे। और उससे फायदा कितनों का होगा?

श्री चरणसिंह—६ लाख मालगुजारी भी तो बढ़ेगी ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक मालगुजारी बढ़ाने का सवाल है, आप कोई भी वहां सर्वे कराइये मगर सरकिल रेट कैसे लगायेंगे। सर्वे वे वैसे करते हैं। पहाड़ की चोटी पर चढ़ गये और जहां हरी घास दिखायी दी वहां के लिये उन्होंने कहा कि ३३ परसेंट रेवेन्यू बढ़ा दिया जायगा। दूसरी जगह गये। वहां भगवान की कृपा से कुछ लाल मिट्टी दिखायी पड़ी। वहां के लिये कहा कि यहां ज्यों की त्यों रहने दो। तो मालगुजारी बढ़ाने के लिये आप भले ही बढ़ाइये मगर कोई कानूनी बेसिस नहीं है। वैसे मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि उनको कुछ देना नहीं चाहिये। अगर देंगे नहीं तो स्टेट से लेंगे कैसे ? मगर ईमानदारी से अगर पूछा जाय तो वहां की लैन्ड रेवेन्यू असेस ही नहीं हो सकती। तो बढ़ाने को आप भले ही ६ लाख कर दें लेकिन यह रिजेन्टमेंट पैदा करेगा। ईल्ड का जहां तक सवाल है, मैं आप को बता दूं कि वहां चकबन्दी मुश्किल है। वह वहां हो नहीं सकती इसलिये कि वहां तीन किस्म की जमीनें हैं।

श्री चरणसिंह—चकबन्दी कर कौन रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं आगे के सुधार की बात कहता हूं। यह मानी हुई बात है कि अगर हम उनकी एकोनामी को डिस्टर्ब कर देंगे तो ईल्ड कम हो जायगी। मैं आप की नीयत पर शक नहीं करता, आप के दिल में यह भाव है कि गरीबों और किसानों की कैसे मदद की जाय और हमारे और आपके विचारों में कोई अन्तर नहीं है, मैं उन विचारों की हृदय से प्रशंसा करता हूं कि आप ने . . .

श्री अधिष्ठाता—"आप" के बजाय यदि आप "सरकार" शब्द कहें तो सुन्दर रहेगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अच्छी बात है। तो मैं इस बात को कह रहा था कि ऐसा करने से उत्पादन में वृद्धि के बजाय कमी हो जायगी। क्योंकि उसके पास वह साधन नहीं रह जायेंगे और साधन न रहने से वह गड़बड़ी में पड़ जायगा। तो यह विधेयक प्रवर समिति में जा रहा है और मैं जानता हूं कि सब जगह से यह मांग रही है कि सीरतानों की परिभाषा बिलकुल ठीक कर दी जाय, किन्तु मुझे उस में एक सब से बड़ी दिक्कत मालूम होती है कि उनकी क्या परिभाषा करेंगे क्योंकि यदि परिभाषा हो सकती होती तो वह अब तक हो गई होती। अंग्रेजों ने वहां इतने साल रह कर देखा, कई स्टावेल मैनुअल, श्री पन्नालाल आदि गये, लेकिन परिभाषा वह भी नहीं कर सके। उन्होंने जब देखा कि कोई डेफनीशन बन ही नहीं सकती तो उन्होंने कहा कि गांवों की लिस्ट बना लो, या उन आदमियों को रेकार्ड में दर्ज कर लो। परिभाषा बननी तो वास्तव में बड़ी मुश्किल है और इसी वजह से उन्होंने परिभाषा नहीं बनाई। अगर वह ऐसा करते कि मालिकों की मर्जी से एक दिन के लिये भी जो कोई जमीन जोते उसे वह हक हासिल हो जायगा कि जो मैदान में सीरदार को या पुराने जमाने में अधिवासी जिन्हें कहते थे, उनको था, और उसी प्रकार का वह नियम बना देते तो उसका यह नतीजा निकलता कि कोई आदमी सब्सीडियरी वर्क बाहर जा कर नहीं ढूंढ़ सकता और उससे उस एरिया की बैकवर्डनेस बढ़ती चली जाती। यह बड़ी भारी समस्या उन्होंने समझी और इसलिये सीरतानों के लिये यह चीज मानी थी कि सीरतान हिस्सेदार की ओर से सरकार को बेगार देता था और एक वह कि जो गांव में सामूहिक तौर पर पंचायती सेवा अर्थात् दर्जी का काम या बढ़ई का काम, या अन्य प्रकार

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

के कामों को किया करता था उनको इन व्यू आफ वेयर सर्विसेज सीरतानों में दर्ज किया जाता था और आज भी इन दो कैटेगरी के लोग वहां हैं। अगर इन दो कैटेगरी के लोगों को सीरतानों में दर्ज कर लिया जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वह पुश्तैनी तौर पर उसमें काम करते आये हैं और उनका हक भी है। लेकिन यह बात कि गांव में १०० आदमी एक ही बिरादरी के हैं, सब तिवारी हैं। अब उन में से एक तिवारी असेंबली में चला आया और वह यहां १० दिन के लिये अपना काम कर रहा है तब तक वहां उसकी जमीन को कोई दूसरा तिवारी हड़प बैठा और कहा कि "तुम आओ" तो वह यहां रेप्रेजेंट नहीं करेगा बल्कि अपनी खेती पर चिपका रहेगा। मैं यह आपका या अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। किन्तु यह बड़ी दिक्कत की बात होगी।

असल में वहां के लोगों के लिये आज डेमोक्रेसी के युग में हमको ऐसा ला तैयार करना चाहिये कि जिस कानून को वे लोग प्रेम से स्वीकार कर लें। जहां तक मेरा ख्याल है माननीय माल मन्त्री जी की यह हार्दिक इच्छा है कि कम से कम आदमियों को इससे दुख हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ पहुंचे। यह उनका ध्येय है इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मगर इसमें कुछ दिक्कत होती है इसको सभी जानते हैं। अगर आप इस तरह की कोई बात कर दें कि वहां पर कोई व्यवस्था ही न बनने दें और एक सीलिंग फिक्स कर दें तो उससे भी उनका लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप इस तरह से सीलिंग फिक्स करेंगे तो उसका लाभ भी किसी के पास नहीं पहुंचेगा। हमारे तिवारी जी कहते हैं कि वहां पर इतनी जमीन है जो भूमिहीनों को दी जा सकती है। मैं कहता हूं अभी तो पूर्वी जिले वाले ही परेशान हैं लेकिन फिर पच्छिम वाले भी परेशान हो जायंगे क्योंकि जिस तरह से आप पहाड़ों पर खेती करने की जमीन पर खुदाई करेंगे उसका असर सारे प्रदेश पर पड़ेगा। अर्थात् अधिक बाढ़ आवेंगी। इसलिये सीलिंग का प्रश्न नहीं आता है और न किसी को वहां पर बसाने का सवाल पैदा होता है। वहां पर तो इस बात की आवश्यकता है कि हर आदमी के लिये उद्योग-धंधों का प्रबन्ध किया जाय। तराई भाबर की बेल्ट में जब तक आप सीधे तरीके से ऐग्रीकलचर और जंगलों को ठीक नहीं करेंगे तब तक वहां पर लाभ पहुंचना कठिन है। इस सर्वव्यापी दृष्टिकोण से आपको इसे देखने की जरूरत है। माननीय माल मन्त्री कहते हैं कि अगर इस विधेयक को पास नहीं किया जायगा तो कुछ दिनों में सचमुच जो वहां पर सीरतान हैं उनको कोई हक नहीं मिलेगा। तो वास्तव में हम इस बात को देखना चाहते हैं कि जो वास्तव में सीरतान हैं चाहे वह किसी तरह के सीरतान हों, चाहे पुराने जमाने में बेगार करने वालों की संतान हों या किसी दूसरे काम के करने वाले हों, उनको हक पूरा होना चाहिये और उनको हिस्सेदार बना दिया जाय, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मगर बिरादरी के गांवों में जो आपस में एक दूसरे के हिस्से का प्रश्न वहां पर चलेगा उससे वहां की इकानामी डिस्टर्ब होगी। वहां पर इकानामी अच्छी हुई तो आनेवाली सन्तान आपका नाम याद करेगी। किन्तु अगर किसी वजह से वहां की इकानामी डिस्टर्ब हुई और अन्धकार छाया और बहुत पढ़े लिखे लोग जिलावतन हो गये और पढ़ने लिखने के साधन उनके पास न रहे तो उस बुराई की जिम्मेदारी हमको और आपको उठानी पड़ेगी। यह सोचने की बात है।

इसलिये मेरा ख्याल है कि तिवारी जी ने जितनी बातें कहीं हैं उतनी बातों का महत्व मेरे सामने नहीं है और अगर वह भी ध्यान से इन सब बातों का अध्ययन करेंगे तो उनको भी कोई दिक्कत सामने नहीं आयेगी। मगर जहां तक इस बात का सवाल है कि सरितान की डेफनिशन क्या हो यह सोचा जा सकता है। इसके सम्बन्ध में मेरा भी यह मत है कि यह समिति हर जिले में पहुंच कर जांच करे। किन्तु मैं यह समझता हूं कि जहां कहीं यह कमेटी जायगी फौरन उनसे यह सावल सबसे पहले किया जायगा कि हम भूमिधर बनना नहीं चाहते हैं। हम तो हिस्सेदार ही रहना पसन्द करते हैं। सीरतान

की खुशी उनको जभी होगी जब उनको हिस्सेदार बना दिया जाय। वह उस पोजीशन को लेना चाहते हैंजो हिस्सेदार की है। मैं अधिक समय नहीं लेता क्योंकि माननीय मंत्री जी को भी काफी अपने विचार रखने हैं। मैं राजनैतिक बात नहीं कहता हूं बल्कि यह प्रार्थना करता हूं कि शान्ति के साथ मंत्री जी इन कठिनाइयों को सोचें कि वहां के आर्थिक ढांचे में कोई अनुचित गड़बड़ी न आवे। इस विधेयक का मन्तव्य यही है कि लोगों के साथ सोशल जस्टिस हो और ईल्ड बढ़े, इससे मैं सहमत हूं। मंत्री जी ने खूबी के साथ इसे प्रवर समिति में निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

*कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय माल मन्त्री जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। कल से अब तक जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनको ध्यानपूर्वक सुनता रहा। गत वर्ष भी यह विधेयक सदन में पेश किया गया था और उस समय भी काफी वादविवाद सदन में हुआ। उसे भी सुनने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूं। वहां की जिन परिस्थितियों का उल्लेख मेरे कुछ साथियों ने किया है उनको मैं भी अच्छी तरह से जानता और समझता हूं। यहां पर कुछ भाषण इस प्रकार के दिये गये हैं जिनसे ऐसा लगता है कि पहाड़ के ८० या ७५ प्रतिशत जो हिस्सेदार हैं वे इस कानून से जमीन से बेदखल हो जावेंगे या उनकी जमीन किसी दूसरे के पास चली जावेगी। किन्तु जहां तक मैं समझ पाया हूं जो ८० फीसदी हिस्सेदार अपनी जमीन पर काबिज हैं उन पर कोई खास असर इस बिल से पड़ने वाला नहीं है। यह ठीक है कि पहाड़ी जिलों में लगभग २० प्रतिशत ऐसे आदमी होंगे जो सीरतान कहे जा सकते हैं या जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और कमाते हैं। आमतौर से यह कहा जाता है, और डिमरीजी ने भी उल्लेख किया कि वह वीकर सैक्शन की मदद करना चाहते हैं। वीकर सैक्शन में वे सभी लोग आते हैं जिनके पास जमीन नहीं है और जो वर्षों से नहीं, बल्कि हजार वर्षों से दूसरों की जमीन को जोतते रहे हैं। हमारे यहां १८६२ में या उसके बाद विकट सैटिलमेंट हुआ। उसमें कुछ लोगों को सीरतान दर्ज किया गया और उसके बाद पाल सैटिलमेंट हुआ। उसमें पहले का नाम काट दिया गया और हिस्सेदार का नाम दर्ज हो गया। किन्तु जिस जमीन में विकट के बन्दोबस्त में उसका नाम था उस समय भी वह काबिज था और आज भी है। कहीं रेकार्ड में उसका नाम दर्ज नहीं है। ऐसे लोगों को अगर इस विधेयक से राहत पहुंचती है तो उसमें हमको किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

यह भी साफ है कि खाली वहां के हरिजन भूमिहीन नहीं हैं। २० प्रतिशत वहां पर हरिजन नहीं रहते हैं। हरिजनों की संख्या वहां ८ प्रतिशत है। जिनको भूमिहीन या सीरतान कहा जाता है उनकी संख्या २० प्रतिशत है। तो इससे अन्दाज लगाया जा सकता है है कि लगभग डेढ़ गुने वहां दूसरे लोग हैं और उनका भी इस विधेयक से सुविधा मिलती है।

कहा जाता है कि वहां इन्टरमीडियरी नहीं हैं। यह ठीक है कि वहां लोगों के पास जमीन कम है और वह इकानामिक नहीं है। उससे उतना गल्ला पैदा नहीं होता कि जिससे उन लोगों का गुजारा हो सके। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कोई १ रुपये का किसी गांव में हिस्सेदार है तो उसके नीचे १ या २ सीरतान जरूर हैं चाहे वे १ आने के लगान पर हों या २ आने के लगान पर हों। अगर उसे इस बिल से राहत पहुंचती है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। नेगी जी ने भी थोड़ा संकेत किया है कि पिछले जमाने में बेगार ली जाती थी और उसके बदले में जमीन दी जाती थी। आप जानते हैं कि १९२१ में हमारे पर्वतीय जिलों में एक बेगार आन्दोलन चला था और उसमें वहां के लोगों ने जबर्दस्त भाग लिये और हमारे नेताओं ने उसका नेतृत्व किया था और वह बेगार प्रथा समाप्त हुई। लेकिन आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

भी काफी गांवों में ऐसी स्थिति है जहां हिस्सेदार अपने खायकर से १ रुपये पर १ रुपया लगान वसूल करता है और उसकी रसीद देता है। इतना ही नहीं, बल्कि आज हिस्सेदार ने अपनी जमीन किसी खायकर को बेची है और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हुई है उसमें भी लिखा है कि १ रुपये पर उसे १ रुपया लगान देना होगा। अगर इस तरह की व्यवस्था बनी रहे तो यह हमारे लिये शोभा नहीं देता है। आज प्रश्न किसी हिस्सेदार को उसकी जमीन से अलग करने का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जो लोग खेती नहीं करते या कमाते नहीं हैं और जिनकी कई गांवों में जमीन पड़ी हुई है, वे नैनीताल या अल्मोड़े या पौड़ी और लैन्सडाउन में बस गये और वे चाहते हैं कि उन गांवों में उनकी मिल्कियत या हिस्सेदारी का स्टेट्स बराबर बना रहे और जो किसान उस खेत को कमाता है, चाहे वह उसे आधा या चौथाई देता है, वह लाकर उसे अल्मोड़े या चमोली में देता रहे, यदि आप यह चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वहां हिस्सेदारी सिस्टम रहना चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि समता हो और सबको बराबरी के अधिकार मिलें तो आज की प्रथा को रोकना होगा। मेरे दोस्त यहां पर कह रहे हैं कि यह केवल उन लोगों की बात है जिन्होंने कभी हल नहीं जोता। यों तो पहाड़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हल पर हाथ लगाना गुनाह समझते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि यह कहां का न्याय है कि वह अपनी मिल्कियत बनाये रखें और दूसरे लोग उसे जोतकर उस जमीन का लाभ उन्हें पहुंचाते रहें। अगर आप इस दृष्टिकोण को नहीं बदलते हैं तब तो आपकी बात सही हो जायगी कि वही हिस्सेदारी सिस्टम वहां जारी रहना चाहिये और उसके द्वारा हिस्सेदारों को जो फायदा होता था वह लगातार होता रहे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां इंटरमीडियरीज हैं। लोग दूसरे गांवों में रहते हैं और कई गांवों में उनकी जमीन है और दूसरे गांवों में उनके किसान मौजूद हैं और वे किसान अपने हिस्सेदार या थोकदार को लगान देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाज-बाज जगहों पर ऐसा है कि रुपये पर रुपया ले लेते हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि उनको आप इंटरमीडियरी कैसे नहीं मानते हैं। तो एक सिद्धान्त होना चाहिये। यह कहना कि इसमें तो माशे भर विष है, हमको इसको विष नहीं मानते जब तोला भर होगा तब विष मानेंगे, इस प्रकार का तर्क मेरी समझ में नहीं आता। जब सारे प्रदेश में ४ जिलों को छोड़ कर भूमिव्यवस्था कानून लागू है तो यह कहां तक ठीक है कि पहाड़ी जिलों में हिस्सेदारी व्यवस्था ही लागू रहे? मेरी समझ में यह नहीं आता कि मेरे दोस्त यह किस बुनियाद पर कहते हैं कि हिस्सेदारी सिस्टम यहां पर लागू रहे और फिर माल मंत्री जी के मूल प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। लेकिन वहां लोग इस बात को समझ जायं कि हिस्सेदारों को खुश करने की कोशिश की गयी है। जब हमने एक सिद्धान्त को मान लिया है तो हमको सही बात कहनी चाहिये चाहे उससे हमें नुक्सान हो या दूसरे किसी को नुक्सान हो। हमें मुल्क और देश के हित की बात, समाज के हित की बात कभी भी कहने में संकोच नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह विधेयक कुमायूं डिवीजन के सभी लोगों के लिये फायदेमंद साबित होगा। मैं उसके सिद्धान्त से ही नहीं बल्कि उसकी सभी धाराओं से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को आज से कई साल पहले आ जाना चाहिये था। इतनी देर इसमें नहीं होनी चाहिये थी। हो सकता है, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा और माननीय नेगी जी ने भी कहा कि उसमें कुछ कानूनी अड़चनें हों, उनको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन जो मूल सिद्धान्त है उस सिद्धान्त पर हम सबको सहमत हो जाना चाहिये। कहते यह हैं कि हम समाजवादी व्यवस्था ला रहे हैं और कोशिश इस बात की करते हैं कि जो हिस्सेदार काबिज है वह उसी तरह से काबिज बने रहें और जो नीचे के सीरतान हैं वे उस जमीन में पक्के न हों, उनको कोई हक न मिले जो इस जमीन को कमाते हैं, उनकी मेहनत का फायदा हिस्सेदार को होता रहे, इस तरह की दलील दी जाती है। मैं नहीं समझ सकता कि समाजवाद की व्यवस्था लोगों को आगे बढ़ा कर और कुछ लोगों को नीचे ही रख कर किस प्रकार से की जा सकती है। यह एक बड़े सोचने की बात है।

एक दलील यह दी जाती है कि बहुत से लोग नौकरियों में बाहर हैं, चपरासी हैं, बर्तन मांजने वाले है लेकिन उन लोगों की दलील नहीं दी गयी जो बड़ी-बड़ी सर्विसेज में हैं, जिनको बाहर बड़ी-बड़ी इनकम हैं, व्यवसाय करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। लेकिन नहीं, बर्तन मांजने वालों की दलील दी जाती है। उसके घर में उसकी स्त्री है, उसके भाई हैं, वह जमीन बोते हैं, खेतों को कमाते हैं। यह भी मुमकिन है सारा परिवार उसके साथ में रहता हो, फिर भी इस प्रकार की दलील कहां तक उचित है, यह बात भी मैं नहीं समझ पाया हूं कि वह तो बेदखल हो जायेंगे। अगर ऐसा भी है कि पूरा परिवार साथ रहता है और शिरकत हो रही है लेकिन उसके लिए हम जमींदारी एबोलीशन कानून में क्यों न इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें कि अगर वह खाद के लिए कुछ देता है, हल की मदद करता है, बैलों की कीमत देता है तो उसके लिये क्रापशेयरिंग (Crop sharing) की जैसी व्यवस्था की जाय। इधर तो हम बड़े साहब बनते हैं, बड़ी-बड़ी नौकरियां करते हैं, बड़ा-बड़ा व्यवसाय करते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, लैन्सडाउन के बंगलों को नहीं छोड़ते, हम तो वहां जमे रहें और वे बेचारे जो पुश्त दर-पुश्त से उस जमीन को खाते कमाते रहे हैं और जिन्होंने मेरा भी पालन पोषण किया है वे बराबर उसी तरह की व्यवस्था में पड़े रहें, मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था इस मुल्क के लिये और हम सब के लिए फायदेमन्द नहीं है।

तो मैं अन्त में अधिक न कहते हुए माननीय माल मन्त्री जी के इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, वैसे उन्होंने ४ महीने की बात रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह दो महीने के अन्दर ही पास हो जाय तो उतना ही अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी है कि विरोधी दल के भाइयों ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनके विचार इस बिल के पक्ष में हैं, और मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में भी उनका विचार वही बना रहेगा जिससे यह बिल जल्दी ही सेलेक्ट कमेटी से पास होकर इस सदन में आये और यहां जल्दी पास हो जाय। मैं समझता हूं कि हमारे सोशलिस्ट भाई और दूसरे भाई जो समावजाद का ज्यादा प्रचार करते हैं वे भी इस बिल का साथ देंगे। अन्त में मैं फिर माननीय माल मन्त्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी माननीय सदस्य माननीय मालमंत्री जी के इस विधेयक के प्रस्ताव से सहमत होंगे।

श्री अधिष्ठाता—कल मैंने निवेदन किया था कि जिस समय माननीय सदस्य भाषण कर रहे हों, उस समय कोई चपरासी या और कोई इस तरह से आकर खड़ा रहे तो भाषण में विघ्न पड़ता है। आशा है कि आयन्दा इस बात का ध्यान रखा जायगा।

*चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिठाता महोदय, ८ अगस्त सन् १९४६ को गालिबन इस भवन से ही हमारी मौजूदा सरकार ने रेज्योलूशन पास किया था कि हम जल्द से जल्द इस तरीके जमींदारी को, जिसमें दरमियानी लोग हैं, खत्म कर देंगे। इस सूबे के बहुत बड़े हिस्से में जमींदारी खत्म हो चुकी। मुझे अव्वल तो यही हैरत रही कि आज १२ साल के करीब हुए, जिस हिस्से में जमींदारी बाकी रह गयी, उसके लिये कानून अब तक क्यों नहीं पेश किया गया? इसके मुताल्लिक तो मैं कोई रायजनी नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ही कहूंगा "रमुजे सल्तनत शाहां बिदानंद" कोई सल्तनत की मसलहत होगी जिसकी वजह से देर हुई होगी। बिल आखिर यह कानून इस भवन के सामने आया। मैंने उसकी सुर्खी को पढ़ा और उसमें वही पुराने अल्फाज हैं "जमींदारी एबालिशन ऐंड लैण्ड रिफार्म्स"। श्रीमन्, इसमें जमींदारी एबालिशन और लैंड रिफार्म्स का तो किस्सा ही नहीं है। सिर्फ इसमें जो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव मालूम हुआ वह "एबोलिशन आफ जमींदारी" ही है। हमारी कांग्रेस सरकार के हाथों में यह एक बुलबुल है जो हजारों बोलियां बोलती है। "बुलबुले हजार दास्तां" ही की वजह से सरकार की जीस्त में भी इजाफा होता रहता है। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि सूबे के बाज हिस्से से जमींदारी खत्म हो चुकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी रघुराजसिंह]

और उनको इस बात का तजुर्बा जाती हो चुका है और अमली भी हो चुका है कि दरहकीकत इससे क्या फायदा हुआ। मैं नहीं समझता कि इस कानून के अन्दर कौन सी बात ऐसी है जिससे कुमायूं के लोगों की गरीबी दूर हो। जहालत दूर हो या कि वह तन्दुरुस्त हों। मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई सिवा इसके कि जिस तरह से कुमायूं के रहने वाले मुअज्जिज मेम्बरान ने वहां की तफसीलात को बयान किया और उसी जानिब से नहीं बल्कि इस जानिब से भी काफी कहा गया, चाहे इसको जंगेखानगी कहा जाय लेकिन उन्होंने इसके नतायज को अपने जाती तजुर्बे पर बताया। वह वहां के रहने वाले हैं, वहां के जो कानून हैं, रस्मोरिवाज हैं, जो वहां के तरीके हैं गर्जे कि हर शोबे जिन्दगी से वाकिफ हैं। इस सूबे के जिस हिस्से में जमींदारी खत्म हुई है वहां की हालत देख कर मुझे शर्म आती है, शर्म से हमारी आंखे ऊपर नहीं उठतीं कि हमारे सूबे के एक हिस्से में यानी पूर्वी अजला में भुखमरी फैली हुई है और वह हालत इस हद को पहुंच गई कि इस भवन के मुअज्जिज मेम्बरान भी अनशन कर रहे हैं। जो तसावीर हमारे सामने जमींदारी एबालिशन के बाद की खींच कर दिखाई गई थी क्या उसके नतायज यही थे जो आज हमें अपनी आंखों से देखने पड़ रहे हैं कि इन्सान भूखे मरते हैं और हमारा दिल नही पसीजता ? अगर कुमायूं की भी वही हालत होने जा रही है तो ऐसी उसूली बात को तर्क किया जाय। असलियत में यह तमाम बातें अवाम के फायदे के लिये की जाती हैं। इसलिये नहीं कि किसी जमाने में अंग्रेजी सरकार पहाड़ पर जाती थी और आजकल हमारी सरकार पहाड़ों पर तफरीह के लिये जाती है या इसलिये कि वहां पर मजदूरों की इफरात है कि वह उनका बोझ उठावें, इस वास्ते यह तजवीज कर रही हैं। कुमायूं में बहुत छोटी-छोटी कलील आमदनी और जमीनों के काश्तकार हैं। वहां ६ आना से ५ रुपया सालाना तक आमदनी के लोग हैं और इससे जायद आमदनी के तो गिने चुने लोग हैं। तो क्या उन चन्द लोगों के लिये जिनको उंगली पर गिना जा सकता है यह कानून बनाया जा रहा है ? इस भवन का एक दिन का कितना सर्फा होता है और इस तरह की चीजों पर कानून बनाने से पबलिक फंड पर कितना भारी बोझ पड़ता है उसे हमें समझना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि उससे क्या फायदा होता है। वह फायदा भी अभी उस तरफ के मोअज्जिज मेम्बरान ने बताया कि हजारहा की तादाद में पहाड़ी इलाके में ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजी नहीं है और क्या मैं आपके जलिये से यह इल्तमास कर सकता हूं कि इस बिल में उन लैंडलेस लोगों का क्या हल निकाला गया है। मैं समझता हूं कि कोई हल उनके लिये इसमें नहीं है। वहां के लोग जो गुरबत की वजह से बाहर जाकर नौकरी करते हैं और वहां पर अपनी रोजी का इंतजाम अपनी ही हैसियत के दूसरे आदमी के जरिये से करते हैं तो महज इतने तबादले से ही ऐसा क्या फर्क पड़ जायगा, मैं तो नहीं समझता कि इसके माने यह हुये कि एक गरीब की जगह दूसरे गरीब को रख दिया, वह तो अब भी पुश्तहापुश्त से काश्त करते हैं और जो जमीन के मालिक है वह बाहर जाकर कमाते हैं उनका जरिया तो मौजूद है लेकिन वह लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनका जरिया क्या है ? उनके लिये गवनमेंट ने क्या तजावीज रखी है ? "राब पोटर एण्ड पे टु पाल" इससे ज्यादा मतलब इसका मैं नहीं समझ सकता। इसके अलावा बताया गया कि इस कानून के जरिये जिन चन्द लोगों को हक मिलकियत हासिल नहीं है उनको भी मिलकियत का हक हासिल हो जायगा। मुझे इसमें भी हैरत है इसलिए कि मिलकियत के लिए कानून के अल्फाज हैं ---

"hereinafter provided, vest in the State free from all incumbrances."

इन अल्फाज के श्रीमन्, साफ मानी यह है कि इस बिल के मुताबिक मिल्कियत तो सरकार में वेस्ट होगी, बाकी जिनको यह सब्ज बाग दिखलाया जाता है कि वह इसके मालिक हो जायंगे। वह दरहकीकत मालिक नहीं होते। लेकिन इसमें एक और भी खूबी की बात है और वह यह है कि वह कहते हैं कि हम राइट्स और यह सब मिल्कियत हासिल करेंगे लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कर्जा है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। 'फ्री फ्राम आल

इनकम्बेंसेज ।" तो जिस भूमि, जिस जायदाद और जिन हुकूक के आधार पर किसी गरीब ने अपने किसी जरूरी काम के वास्ते, या अपनी गुजर के लिए कर्जा ले लिया है तो उसकी अदायगी जबकि आप उसके हुकूक लेते हैं तो आपके ही जिम्मे हैं, अखलाकन आप को ही देना चाहिए। लेकिन वह उस बेचारे के लिए छोड़ दिया जाता है कि वह अपनी जिन्दगी का बकाया हिस्सा इसकी उलझन में काटे ।

यह कहा जा सकता है कि यू० पी० का जो दूसरा ऐक्ट है उसकी दफा ८ इस पर लागू कर दी है और उसके साथ-साथ कर्जे की कमी का कानून भी हमने बना दिया है। उस कर्जे के कानून में सीक्योर्ड और अनसीक्योर्ड दो कर्जे माने हैं। जहां तक अनसीक्योर्ड डेट्स का ताल्लुक है, उस कानून में कोई हिफाजत या रिलीफ डेटर को नहीं मिलती। उसी हालत में रिलीफ मिलेगी जबकि उसे जो मुआवजे के बांड्स मिले हैं वह कुर्क किये जायं। तभी उसको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से भी चाहे अनसीक्योर्ड डेट को कर्जख्वाह उससे उसूल कर सकता है। जहां तक सीक्योर्ड डेट का सवाल है उस कानून में है वह भी बहुत महदूद शक्ल में उसमें रखा गया है। जो दफा १००, ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के मुताबिक चार्ज क्रिएट होगा वह उसमें नहीं आता। सिर्फ उन्हीं पर जो प्रापर्टीज किसी शक्ल में मार्गेज थीं उन पर आता है। जहां तक अनसीक्योर्ड डेट का ताल्लुक है, बिलकुल महदूद कर दिया है। अगर वही कर्जा कानून यहां पर भी ऐप्लाई करने जा रहे हैं तो श्रीमन्, आपके जरिये से इस बात को वाजेह कर देना चाहता हूं कि उससे कोई रिलीफ इन गरीबों को नहीं मिलेगी जिसके लिए कहा गया जाय कि साहब उससे कर्जा खत्म हो जायगा। तो चीज यह थी कि जब आप किसी के हुकूक को ले रहे हैं तो उसके कर्जे को भी साथ लीजिये। ऐसी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि मैं भैंस खरीदने के लिए जाऊं और पड़वे को उसके जिम्मे डाल दूं और दूध खुद पिऊं। इसके अलावा इसमें कुछ हुकूक के पाने के लिए यू० पी० ऐक्ट में जो शक्ल है उससे कुछ दूसरी शक्ल इसमें तब्दील कर दी है। बहरहाल वह करीब-करीब एक-सा है। अगर कोई शख्स भूमिधरी राइट हासिल करना चाहता है तो उसको कुछ रकम देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी अनुचित बात है। वैसे ही वह डेफिसिट एरिया है। उसके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तसल्लीबख्श नहीं हैं, हमारी सूबे की सरकार के लिए बायसे फख्र नहीं है, जब ऐसी हालतें हैं और उसको हम सब मानते हैं, इधर के ही नहीं, बल्कि उधर के लोग भी मुत्तफिक हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि उन गरीबों से एक खासी रकम हुकूक हासिल करने के लिए दिलायी जाय, वह कहां से देंगे ? एक जमीन का पुराना हक और रिवाज था, उसकी दिलचस्पी और लालच ऐसा चला आता है कि उसमें आ कर मुमकिन है कि वह ऐसे हुकूक हासिल करने की कोशिश करें और जरूर करेंगे। लेकिन वह अपने मीन्स के बाहर जाकर करेंगे, कर्जा उठायेंगे और उस कर्जे की अदायगी किस तरह से होगी इसको तो सरकार या खुदा ही बेहतर जानता है।

जहां तक वसूलयाबी लगान का ताल्लुक है हमारे सूबे की मिसाल कुमायूं के सामने मौजूद है कि इस कानून के बनने से पहले किसान की गिरफ्तारी नहीं होती थी, कुर्की नहीं होती थी, नीलाम नहीं होता था उसकी चीजों का लेकिन आज वे सारे हुकूक खत्म हैं। तो इस तरह से अगर यहां भी वे हुकूक खत्म होने के लिये जा रहे हैं तो मैं समझूंगा यह उनके लिये ज्यादती है। इसमें लिखा है कि "इट विल वेस्ट इन दी स्टेट"। तो इसके माने यह हैं कि सरकार जमींदार हो रही है। मैंने तो पहले भी कहा था कि जमींदारी सिर्फ कंधा बदल रही है, काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होगा। गांधी जी ने कई दफा यह फर्माया भूमि किसकी है ? टिलर आफ दी स्वायल की। ओनरशिप शुड वेस्ट इन दी टिलर आफ दी स्वायल। अगर सरकार उनके अल्फाज की कोई कीमत समझती है तो क्यों इसको नजरन्दाज कर रही है ? तो मैं समझता हूं और मुनासिब है कि वह इन अलफाज की जगह यह लिख दे कि "इट शुड वेस्ट इन दी टिलर आफ दी स्वायल" तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि अपोजीशन की तरफ से सरकार को यह बतलाया जाय। तो वह नौबत हम नहीं

[चौधरी रघुराज सिंह]

चाहते हैं कि आये। तो जैसा कुमायूं के रहने वाले लोगों ने बताया, वहां कोई रिकार्ड ही नहीं हैं और आपरेशन आफ रिकार्ड की शुरुआत एक, दो साल से हुई है। बन्दानवाज, जमींदारी एबालीशन का नारा तो आप २०, २५ साल से लगा रहे हैं, काफी अर्सा हो गया, आपके हाथ में हुकूमत है। अगर आपको यह करना था तो अब तक आप कहां आराम कर रहे थे कि आपसे वहां कागजात की दुरुस्ती भी न कराई जा सकी? मुझे हैरत है कि इस बिल के दर पर्दा क्या मसलहत है।

कहा गया कि सीरितान की डेफनीशन ही नहीं है। जिसकी परिभाषा नहीं और उस पर आप यह कानून लागू करने जा रहे हैं और हर जगह आपने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है। तो जैसा अभी चंद रोज हुए देखने में आया कि हाई कोर्ट में चूंकि ऐसा फैसला दे दिया गया इसलिये आइन्दा इस कानून में कोई रुकावट न हो कई तरमीमें लायी गईं। तो ऐसा ही कहीं इसमें भी न हो, मुझे डर है। अगर सीरतान की डेफनीशन नहीं है तो क्या आप यह समझते हैं कि वहां इतने गरीब हैं और इतने जाहिल लोग रहते हैं कि वे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते? अगर ऐसा आप समझते हैं तब तो ठीक है। और अगर वहां भी पढ़े लिखे लोग हैं तो वे अदालत में जा सकते हैं और अदालत में जाने के बाद अगर ऐसी चीजें इस कानून में हैं तो वह कानून कैसे कायम रह सकेगा? मुझे शक है कि यह कानून खत्म और रद्द न हो जाय। तो अगर यही चीज है कि वक्त जाया करना है, रुपया खराब करना है, एक परेशानी पैदा करनी है, उससे तो कोई फायदा नजर नहीं आता। जहां के लोगों के बारे में इस कानून को लाया गया है वहां गरीबी बेइन्तहा है। अन्न का सवाल है, कपड़े का सवाल है, इलाज का सवाल है और बच्चों की तालीम कर सवाल है। तो जहां ऐसी हालात हों वहां सिर्फ नाम अदल-बदल करने से तो यह चीजें हल नहीं होंगी। अभी इधर से एक सजेशन हुआ कि तराई भावर में या और किसी जगह आप इनकी व्यवस्था कीजिये। आप तजवीज पेश कीजिए, इसी बिल में आना चाहिए था कि वह लोग जो इसके असर से या इसके अलावा जिन लोगों पै जमीन नहीं है उनको दूसरी किस जगह जमीन दी जायगी। अगर आपके पास आराजी नहीं है और वह बटवारे से नहीं बचती है तो यही गौर कीजिए कि उनके लिए और कौन से ऐसे उद्योग-धंधे खोले जायं जिससे कि उनकी गुजर औकात हो जाय। यह सिर्फ कहना कि एक बहुत पुराना सिस्टम था जो बिलकुल आउट आफ डेट था और यह लोग खून चूसते थे और यह करते थे और हमने उनको अलाहिदा कर दिया, बिलकुल खत्म कर दिया, तो इसके कहने से काम नहीं चलता है। इसके कहने से सिर सेहरा नहीं बंधता है। यह तो एक बहुत पुरानी कहानी हो गई। मुझे इस पर एक बहुत छोटी सी बात याद आ गई। कोई साहब जंगल में रहते थे एक दरवेश की हालत में और जंगल की फूल-पत्ती खाकर गुजर करते थे। एक दिन शहद की मक्खियों के एक छत्ते को देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें तो शहद है। एक लजीज खाने की चीज है। सात्विकी भोजन है। तो एक छड़ी से मक्खियों को उड़ाकर उसको पीने लगे। बड़ा अच्छा लगा और पेट भी भर गया। फिर वह रोज ऐसा करने लगे और यह उनकी आदत पड़ गई। लेकिन इत्तफाक से उस जंगल में एक भिडों का छत्ता था। एक दिन उन्होंने उसका रस पी लिया। नतीजा उसका बिलकुल उल्टा निकला। तो जनाबवाला, मुझे इस बात का अन्देशा है कि उस जमीदारी एबालीशन के नशे में कहीं दूसरे छत्ते में हाथ न पड़ जाय जिसका कि नतीजा एक दूसरा निकले तो हर वक्त यह न समझें कि 'वह बुलबुले हजार दास्तां' जिसका गला बैठ चुका है और उसकी आवाज में वह स्वर भी नहीं रहा कि हमारी मदद करेगी, खिलाफ अक्ल है अब वह पुरानी बात हो गई, लोगों को पता भी चल गया कि इस एबालीशन आफ जमीदारी के क्या माने हैं। हां, यह जरूर है कि इस खेती में मुकाबिला होता है, कम्पेंटीशंस होते हैं कि इतना मन गेहूं पैदा कर दिया, और इतने मन आलू पैदा कर दिया। यह हो सकता है कि

सरकार जब आइन्दा कभी कोई और टैक्स लगाये नया खेती पर, या लगान बढ़ाने की सोचे तो उसके वास्ते एक बहुत बड़ी उम्दा दलील है कि जमीन में तो इतनी पैदावार हो सकती है। श्रीमन्, हम और आप सभी जानते हैं, अब दुनिया बिलकुल बदल चुकी है। वह जमाना नहीं रहा। लोग इस बात को जानते हैं कि जहां ऐसी मुकाबिले की खेती की जाती है वहां कितना इन्वेस्टमेंट होता है और उससे क्या आमदनी होती है। बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी उतने इन्वेस्टमेंट से उतनी पैदावार नहीं कर सकते जिसमें कि थोड़ा सा भी मुनाफा बाकी रह जाय। तो जबकि उनमें कोई मुनाफा नहीं होता तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह दुनिया में किस काम की चीज है और उन किसानों के लिए जिनके कि बिलकुल मीन्स के बाहर है उनके लिए क्या फायदा पहुंचाती है सिवाय इसके कि एक यह खयाली पुलाव है जो पकाया जाता है और खाया जाता है। इसके आगे कोई दूसरी चीज नहीं है। यह उस जमाने के लिए है जबकि नये टैक्स लगाये जायं और वह इसी नाम पर कि चूंकि आमदनी में बहुत बड़ा फर्क है इसलिए उसको ऊपर और नीचे से कम किया जाय हालांकि उसका हल भी आज तक दसियों वर्ष में नहीं निकला। तो चूंकि इस बिल के लिए तजवीज है कि इसको दोनों हाउसेज की एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस वास्ते कि वहां मुमकिन है कि इस पर कुछ और उम्दा विचार हो और कुछ गवर्नमेंट के भी खयाल में यह आवें कि उसमें वे तब्दीलियां की जायं जो वाकई जरूरी हैं।

एक बात और कहना चाहता था। उधर से कहा गया कि साहब बेगार खत्म हो गई और अब इससे वहां खत्म हो जायगी। मैं श्रमदान की बाबत हुजूरवाला के जरिये से गोशेगुजार करना चाहता हूं कि जब हम देहात में जाते हैं, इस बिल के मुताल्लिक फर्माया जाता है कि बेगार वहां खत्म हो जायगी.....

श्री छोटेलाल पालीवाल (जिला एटा)—मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता था। क्या माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं या अपने दल के विचार ?

चौधरी रघुराज सिंह—एक दल का सदस्य होने के नाते यह तो मिली हुई चीज है। दल के सदस्य के नाते भी और निजी तौर पर भी अर्ज कर रहा हूं।

तो मैं श्रमदान के मुताल्लिक अर्ज कर रहा था। बावजूद इसके कि देहात के किसान और मजदूर मुख्तलिफ हैसियत से और मुख्तलिफ तरीकों से काफी टैक्सेज देते हैं, ताहम जब कभी कोई वहां काम का सवाल आता है तो यह नहीं कि सरकारी खजाने से कोई २–४ हजार रुपया वहां भेज दिया जाता हो मजदूरों के लिये और खाली वक्त में उनको मजदूरी देकर कोई काम कराया जाय, बिना मुआवजा काम कराया जाता है। कहा जाता है श्रमदान है। केवल नाम का तबादला है। उनसे काम कराया जाता है और दिया कुछ नहीं जाता। बेगार नहीं है तो क्या है ? लखनऊ में सड़क कुटती है। उसमें इस माननीय सदन के सदस्य या सरकार की नुमायां हस्तियों या चुंगी में रहने वाले दूकानदार जो सोने और चांदी का काम करते हैं उनसे कभी यह कहा जाता है कि आज चुंगी की सड़क कुट रही है, आइये यहां श्रमदान करिये या केवल किसान और मजदूर ही श्रमदान कर सकता है और उसी के हिस्से में यह चीज आयी है ? अगर ऐसा है तो मुझे कोई बात नहीं कहनी है, वर्ना मैं समझता हूं कि यह बेगार है। जमींदारी खत्म हो गई लेकिन बेगार रही और जितने बंजर हैं सरकार उनकी मालिक बन गई। फिर पहले जब जमींदारी थी तो जमींदार के खिलाफ किसान अदालत में फौजदारी, दीवानी और माल का हर दरवाजा खड़खड़ा सकता था, लेकिन सरकार ने कानून अब जमींदारी का इतना सख्त बना दिया है कि जब से कुमायूं की सरकार मालिक हो जायगी तो बेचारे किसान और मजदूर के लिये अदालत के जितने दरवाजे हैं सब बन्द हो जायंगे। इतना ही कह कर मैं सरकार से यह मतालबा करूंगा, हुजूरवाला के जरिये से, कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही हो सके और दो महीने के अन्दर

[चौधरी रघुराजसिंह]

वहां से यह खत्म हो कर यहां आ जाय, तो बहुत ही अच्छा होगा। यह जहमत भी खत्म होगी और सरकार को एक नई जायदाद मिलेगी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—अभी ठहर जाइये। एक स्पीच हो जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो दिन की बहस के बाद मुझे यह अवसर मिला कि मैं भी इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूं। श्रीमन्, आज सरकार के सामने सवाल इस बात का है कि वह समाजवाद लाये और उस ढांचे का समाज तैयार करे। इस बिल में हमें उसका प्रतिबिम्ब मिलना चाहिये था और प्रयास यह होना चाहिये था कि हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था जो पहाड़ पर, कुमायूं डिवीजन में है उसमें बदलाव हो और बराबरी आये। लेकिन इस बिल को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि उस प्रकार की बात कि जिससे बराबरी आये और समाज बदले वह मौजूद नहीं है।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सदन का ध्यान उन धाराओं की ओर खींचूंगा जिन में सही कृषक, जो वास्तव में टिलर आफ दि स्वायल हैं, उनके द्वारा अधिकार प्राप्त होने में ऐसी अड़चनें पैदा कर दी गई हैं कि जिसके कारण इस बिल का वह मंशा समाप्त हो जाता है और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे उस व्यवस्था में कमी नहीं आ सकती। श्रीमन्, अभी इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर ऐसे भी लोग हैं, और मेरी जानकारी में में भी ऐसे लोग हैं जो हल छूते नहीं। अब यह स्पष्ट बात है कि जो हल न छुएं उनकी जमीन कौन जोतता होगा? वह दूसरे लोग होंगे, वही टिलर आफ दि स्वाइल हैं जो पृथ्वी के गर्भ को फाड़ कर गल्ला पैदा करते हैं और अपने परिश्रम से अन्न उगा कर दूसरे को दे देते हैं। एसे आदमियों के हाथ में जमीन का अधिकार आता तो यह महसूस होता कि उस ओर सरकार कुछ प्रयत्न कर रही है, लेकिन इसी की एक धारा में स्पष्ट कहा गया है कि जब ऐसी अवस्था हो कि जहां असामी के द्वारा अधिकार प्राप्त करने की बात हो और वह वही लोग हैं जो दूसरे का काम करते हैं, कहीं उनका नाम असामी में दर्ज हो गया, तब भी अधिकार उनको नहीं है, जब उनको अधिकार मिलने की बात आयेगी तो यह प्रश्न पूछा जायगा कि जो भूमिधर हो जायगा वह उसको अधिकार देना चाहता है या नहीं, बावजूद इसके कि रुपया जमा कर दे, तब भी उसकी राय के बिना अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मैं तो माल मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि जब उसकी अनुमति के बिना अधिकार प्राप्त न हो तो इसमें कितना तथ्य रह जाता है और मैं समझता हूं कि यह कार्य अच्छी तरह से सम्पन्न नहीं हो पायेगा कि टिलर आफ दि स्वाइल को भूमि पर अधिकार प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इसमें एक बात और देख कर मुझे परेशानी हुई कि हिमांचल प्रदेश का वह भू-भाग जो अपनी गरीबी और मुसीबतों के लिए इतना प्रसिद्ध हो चुका है और जिसमें आज भी बड़ी दयनीय स्थिति है, जहां के कई प्रतिशत लोग बाहर के भू-भागों में अपनी जीविका अर्जन के लिये आज भी मिलते हैं और बहुत बड़ी तादाद में वैसे ही नीच काम करते हैं जिनको साधारण स्थिति में लोग करना कम पसन्द करते हैं और उस भू-भाग के लोगों के लिए जब यह कर दिया गया कि उन टिलर आफ दि स्वाइल से जब यह मतालबा किया जायगा कि वह १५ गुना या १२ गुना दें, तो श्रीमन्, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत कम लोग, एक प्रतिशत से ज्यादा लोग नहीं उठ पायेंगे और निश्चित रूप से वह लोग इस कानून बनने के बाद अपनी जगह पर रहेंगे और कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

इसलिये मेरी दूसरी मांग माननीय माल मंत्री जी से यह है कि वह इस सम्बन्ध में जहां उन्होंने यहां पर अधिवासियों को समाप्त कर के सरकार की तरफ से मुआवजा दिया, मैं समझता हूं ऐसे गरीब प्रदेश के लिए, ऐसे गरीब स्तर के लोगों के लिए, जो जमीन में पूरी तरह से परिश्रम करते हैं और उसके बाद उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता, उनकी आर्थिक अवस्था इस योग्य नहीं है, कि वह १२ गुना या १५ गुना देकर अपनी भूमि का अधिकार प्राप्त कर सकें, सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि उनको वह अधिकार प्राप्त हो जायं और सरकार उस मुआवजे को अदा करे, जैसा कि उसने यहां किया है।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, इस बिल में ऐसी कोई बात मुझे देखने को नहीं मिली यद्यपि यहां के प्रदेश के लोगों के भी लगान में कोई तरमीम नहीं हुई कि लगान उनका कम हो जाता कि ऐसे छोटे-छोटे भू-भाग जिनका उस प्रदेश से आने वाले माननीय सदस्यों ने चित्रण किया है वहां भी लगान में कोई कमी नहीं की गयी है। इस हालत को देखते हुये उनका अनुभव करना मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से वर्तमान व्यवस्था चल रही है। बिना लगान में कोई संशोधन किये हुये माननीय माल मंत्री जी कौन सा क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके? जैसा कि उन्होंने इसके उद्देश्य में कहा है कि छोटे-छोटे आदमियों को जिनको अधिकार प्राप्त नहीं हैं, उनको फायदा पहुंचायेंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से वहां के लोगों को फायदा पहुंचायेंगे? लगान के सम्बन्ध में वह यह कह सकते हैं कि जब यहां जमींदारी एबालिश हुई और उसका बिल पेश हुआ तो उसमें भी कहीं लगान की बात नहीं थी और वह ज्यों का त्यों बना रहा। यही पहाड़ पर रहेगा। लेकिन यहां के कानून के सम्बन्ध में भी मेरी यह निश्चित राय थी कि लगान कम किया जाना चाहिये और जो बिना मुनाफे की जमीन है उस पर लगान नहीं लगाना चाहिए था लेकिन माननीय माल मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया।

पहाड़ों पर, जहां तक मुझे आंकड़ों से ज्ञात है, ८० फीसदी जमीन ऐसी है जो अलाभकर है। मैं समझता हूं कि इस जमीन पर लगान लेने की व्यवस्था करना, उन गरीबों के साथ जो इस भूमि में परिश्रम कर के कुछ दिनों के लिये रोटी पाने का प्रयत्न करते हैं, अन्याय होगा। साथ ही साथ उन लोगों को कुछ रियायत होती अगर वह इस सीमा तक तैयार नहीं हैं तो कम से कम आधा लगान कर दिया जाता या कम कर दिया जाता तो वहां के लोगों को महसूस होता कि अब तक वह ज्यादा पैसा हिस्सेदारों को दे रहे थे। अब उनको जाकर राहत मिली है।

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कोई विधान नहीं किया है और सिर्फ यह फर्क हुआ कि हिस्सेदारों के अलावा जो असामी वगैरा हैं उनको कुछ पैसा देने पर अगर हिस्सेदारों की स्वीकृति प्राप्त हो जायगी तो उनको कुछ अधिकार मिलेंगे और बाकी लोग ज्यों के त्यों रहेंगे और इनको क्रान्तिकारी परिवर्तन कह दिया जायगा कि कुमायूं में जमींदारी विनाश हो गया। श्रीमन्, वहां के गरीबों को मालूम होना चाहिये था कि हम गरीबों के साथ न्याय हुआ। उनका लगान कम हुआ। लगान की ही बात नहीं बल्कि जमीन प्राप्त करने की भी बात है। इस तरह से इस दृष्टि से यह हमारी मुरादों की पूर्ति नहीं करता है जो समाजवाद के लिये अपेक्षित हैं।

श्रीमन्, एक बात इस सम्बन्ध में जो खासतौर से लिखी हुई है और उसमें तीन किस्में बनाई गई हैं। इसमें यह है कि असामी अपने लगान से १५ गुना देकर अधिकार प्राप्त करेगा। जहां तक मैं समझता हूं यह निश्चित है कि असामी का लगान ज्यादा होता है। अगर उसका १५ गुना देना पड़ा तो बहुत ज्यादा बोझ उस पर पड़ जायगा और मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग उसको देने की स्थिति में होंगे। इस वजह से यह आवश्यक है कि जो लगान हिस्सेदार दे रहे हैं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिये। अगर उसका कैल्कुलेशन असामी के लगान से होगा तो अनुचित होगा। इस प्रकार इन व्यवस्थाओं से रहित होते हुये भी और

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, माननीय तिवारी जी ने कहीं उनको देखते हुये हम आशा नहीं कर सकते हैं कि वहां के लोगों को खास तरीके से फायदा होगा।

एक बात वहां के साथियों ने जमीन के लेखे के बारे में कही कि वह बहुत मुश्किल है और माननीय नेगी जी ने कही कि असम्भव सा है। मैं समझता हूं उन्होंने यह भी कहा कि मालगुजारी छः लाख है तो उस पर १०-१५ लाख रुपया खर्च करना कहां तक उचित है? सवाल इस बात का नहीं है कि कितना खर्च करना पड़ता है। सवाल तो आज इस बात का है कि टिलर आफ़ दि स्वायल और उन लाखों भूखे और अपने पसीने की कमाई को भी न खा पाने वाले आदमियों के अख्तियारात का कोई संरक्षण है या नहीं। अगर सरकार कोई रेकार्ड्स नहीं तैयार करवाती है जिसमें उनके अधिकारों का ज्ञान हो और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध हो तो मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश के लाखों गरीब आदमियों का भला कैसे होगा? उस हालत में मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में वे मुट्ठी भर लोग जो अधिकार पा गये हैं और जो आज भी बिना परिश्रम के परिश्रम करने वाले लोगों को एक्सप्लायट कर रहे हैं उनके अधिकार ज्यों के त्यों रहेंगे। मैं इतना महसूस कर सका हूं कि नेगी जी का एक निश्चित मत है कि इस तरह के अधिकारों को चलने दिया जाय क्योंकि वे उसमें किसी किस्म का परिवर्तन नहीं चाहते हैं और इस बहाने कि रेकार्ड्स तैयार कराने में खर्च ज्यादा होगा वे इस काम के लिये सलाह नहीं देते हैं। इस बात के लिये भी मैं इस बिल में ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि जिन लोगों के आज अधिकार नहीं हैं लेकिन जो वास्तव में कृषक हैं और जो वास्तव में उस जमीन के अधिकारी होने चाहिये उनको अधिकार मिले। अगर ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि इसका उद्देश्य किसी प्रकार से भी सफल नहीं होगा और यह केवल थोथा बिल होगा जिससे वहां के सही कृषकों का फायदा नहीं हो पायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह महसूस करता हूं कि जहां तक इन तमाम चीजों का प्रश्न है उन पर विशेष रूप से विचार प्रवर समिति में हो सकेगा। इसलिये संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की मांग बहुत ही उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय शिवराज बहादुर, आप ५ मिनट बोलें।

श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—दस मिनट दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—समय कम है, मंत्री जी भी तो बोलेंगे। फिर भी आप ७ मिनट ले लीजिये।

*श्री शिवराज बहादुर—माननीय सदर साहब, यों तो बिल पर बोलने के लिये बहुत टाइम होता है और कोई लिमिट नहीं होती लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से बहुत कम टाइम है। मैं तो इस बिल पर शायद न भी बोलता लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इस बिल के सिलसिले में अभी तक तज़किरा नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं मुनासिब समझता हूं कि इस पर कुछ अपनी रायजनी करूं।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसका नाम "कुमायूं जमींदारी एबालिशन ऐण्ड लैंड रेफ़ार्म्स बिल" इस पर लिखा हुआ है। लेकिन कुमायूं में कोई जमींदार नहीं है, सिर्फ हिस्सेदार हैं। इसलिये अगर जमींदारी के बजाय हिस्सेदारी एबालिशन नाम दिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह से सारे प्रदेश में जमींदार थे वैसे कुमायूं में नहीं हैं, वहां हिस्सेदार हैं। दोनों में बड़ा अन्तर है। जब हम चाहते हैं कि सारे प्रदेश में यकसां कर दें, यहां भी भूमिधर हो, सीरदार हो, असामी हो तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो कुमायूं में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिस्सेदार हैं और यू० पी० के दूसरे हिस्सों में जो जमींदार थे उनमें कोई अन्तर है या नहीं। जमींदार अपनी पूरी जमीन का मालिक होता था लेकिन यहां पर हिस्सेदार सिर्फ जो जमीन उसके नाम होती है उसी का वह मालिक होता है, पूरी जमीन का नहीं। तो जमींदार और हिस्सेदार में काफी फर्क है। खायकर और सीरतान में भी बहुत फर्क है जिसको टाइम के कम होने की वजह से मैं नहीं बता सकता। यों भी पहाड़ की जिन्दगी और प्लेन की जिन्दगी में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिये इन लोगों के लिये यकसां कानून बनाने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी।

जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें कुछ तब्दीलियां भी की गयी हैं। इसमें हिस्सेदार को मुआवजा कुछ ज्यादा दिया है और बजाय ४० साल के बांड देने के उनको कुछ कम अर्से में या एक मुश्त देने की बात है। इसके अतिरिक्त यहां पर यह भी किया है कि असामी भूमिधर बनाने के लिये १५ गुना दाखिल करे। मैं समझता हूं कि १५ गुना ज्यादा है। यह नहीं होना चाहिये, बल्कि इससे कम होना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा वह ६ गुना या ८ गुना हो, तो उन को ज्यादा सहूलियत हो सकती है। इसके अलावा १२ गुना भी उनको दिया जाता है, उस से कुछ ज्यादा हिस्सेदारों को मिलना चाहिये, यह मेरी तजवीज है। इसके साथ साथ जब हम हिस्सेदारों, खायकरों और सीरतानों का मुकाबला करें और यहां के काश्तकार को देखें तो बड़ा जबरदस्त फर्क हम को दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो यू० पी० में सिचुएशन है वह यहां दायभाग के मुताबिक नहीं है, बल्कि वह कस्टमरी राइट्स के मुताबिक है। तो यहां के और कुमायूं के सक्सेशन में फर्क होगा। यहां पर खतौनी है, खसरा है, खेवट है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाकों में देखें तो वहां न खेवट है, न खसरा है और न खतौनी है। अब तक उनके जो रेकर्ड्स हैं, जिनको वहां फांट कहते हैं, उन्हीं में दर्ज है कि किस की कितनी जमीन है। गालिबन वहां १८७२ ई० में बंदोबस्त हुआ था, उसको ८० साल हो गये और उसके बाद अब तक वहां बंदोबस्त नहीं हुआ। सरकार का कहना यह है कि बन्दोबस्त करने में ३०, ४० लाख रुपया सर्फ होता है इसीलिये वह नहीं हुआ। लेकिन ऐसी दशा में कि जब वहां के कागजात दुरुस्त नहीं हैं, मैं यह चाहता हूं कि वह दुरुस्त हो जायं।

मैं जज्बात की तहत में कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इस काम को अच्छी तरह से करने में दो महीने के समय में कासिर रहेगी, चार महीने का समय भी कम है। यह तो सही है कि उस में १३ सदस्य पहाड़ी इलाके के हैं और तीन सदस्य यहां प्लेन के हैं, क्योंकि आप उनको प्लेन के सिस्टम से मिलाना चाहते हैं। यह तो ठीक था, जरूरी था, लेकिन इसके लिये जरूरी है कि आप उन को पूरा वक्त दें। सब चीजों पर वह उस वक्त में विचार कर सकते हैं। यह ठीक है कि मंत्री जी का जो प्रस्ताव है वह इसलिये कि इस में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं वह दूर हो जायं, लेकिन उस को पूरा करने में कुछ वक्त लगेगा और मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति को बजाय ४ महीने के, अगर मुनासिब समझा जाय तो ६ महीने का समय दिया जाय। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो काम हो ठीक होना चाहिये। अगर रेकार्ड ठीक नहीं हुये तो आप किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वैसे भी आप समाजवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, हिस्सेदारों को आप समाप्त कर दें यह ठीक है लेकिन सवाल टाइम का है। आठ, दस साल में आप बिल लाये हैं, अब उस को ऐक्ट बनने में काफी टाइम लग जायगा। मैं आप का ज्यादा वक्त न ले कर इतना ही अर्ज करूंगा कि मैंने कुछ तजवीजें आप के गौर के लिये रखी हैं।

आखिर में मैं मिनिस्टर साहब से रेक्वेस्ट करूंगा कि वह पेपर्स की दुरुस्ती की तरफ खासतौर से ध्यान दें और वहां जो १५ गुना जमा करने की बात है वह उचित नहीं है, उसे कम होना चाहिये। इसके साथ साथ कुछ मुआविजा भी बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि वहां के जमींदार नाम के लिये जमींदार हैं। हिस्सेदारों की मालगजारी बहुत कम है। तो आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको जितनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं हमको देनी चाहिये।

*श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, जो तकरीरें कल से यहां माननीय सदन में हो रही हैं उनसे जाहिर होता है कि आमतौर पर इस विधेयक का स्वागत किया गया है लेकिन बिला शक के स्वागत बहुत कम लोगों ने किया है। जिन लोगों ने स्वागत और बहुत बड़े स्वागत के साथ अपनी तकरीर शुरू की उनकी तकरीर में हिस्सेदार को सीरतान से अपनी जमीन वापस लेने का अधिकार तो मिलना चाहिये, इस तान पर खत्म हुई। फिर भी मैं इतना मशकूर हूं कि कलमये खैर हर साहब ने पढ़े। अब जो बातें कही गयी हैं उनमें से कुछ बातों का जिक्र करने की कोशिश करूंगा।

पहला तो यह मतालबा किया गया है कि यह विधेयक जनमत जानने के लिये सरकुलेट कर दिया जाय। मैं समझता हूं इसकी बिलकुल जरूरत नहीं है क्योंकि इस बिल के तैयार करने के पहले हमने एक स्पेशल आफिसर मुकर्रर किया था ताकि बार एसोसियेशन से ३, ४ जिलों के आफिसरों से, पब्लिक-मेन से और ऐसे भी जो लोग हो सकते हैं, जो दिलचस्पी इसमें रखते हों, इन वर्गों के अलावा, भूमि-व्यवस्था में, उन सब से मशविरा करके एक नोट गवर्नमेंट को भेजे। वह नोट सन् १९५४ में हमारे पास आया। उन्होंने उसके लिये एक साल लिया और अक्तूबर, सन् १९५४ में जितने उस समय के मेम्बर कुमायूं डिवीजन से तशरीफ लाते थे और इस माननीय सदन के सदस्य थे, उन सब की हमने एक इन्फार्मल मीटिंग बुलायी। माननीय नारायणदत्त तिवारी भी उस में मौजूद थे। उस मीटिंग में इस बात पर विचार हुआ और कुछ चीजों की सिफारिश उस मीटिंग ने की।

पहली सिफारिश यह थी कि नाम हिस्सेदार से भूमिधर बदल दिया जाय। सारे सूबे में एक ही टर्मिनालोजी रखना, एक ही शब्दावली रखना मुनासिब नहीं है। किसी खास शब्द से मोह क्यों हो यह मैं नहीं समझता। मोह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है और दिल से बड़े बड़े काम होते हैं लेकिन कभी-कभी मोह गुमराह कर देता है। यहां ऐसा ही एक मौका है। जैसे कि हमने मोह से उन लोगों से काम लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे यह होगा कि कोई सर्वसाधारण अगर यह देखता है कि यह वही हिस्सेदार है जो भूमिधर हुआ तो जरूर अन्तर होगा और जब उनके अधिकारों में अन्तर नहीं होगा तो नाम क्यों दो हों। मैं समझता हूं कि इसमें माननीय नेगी जी को कोई एतराज नहीं होगा। दो प्रतिबन्ध अगर आज हिस्सेदारों के अधिकारों पर लगा दें तो वे भूमिधर हो जायेंगे। एक तो यह कि वह दूसरे को अपनी जमीन लगान पर न दे सकेंगे और दूसरा यह कि इतनी जमीन से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेंगे यानी सीलिंग आफ फ्यूचर ऐक्वीजीशन्स कर दें। जब यह दो प्रतिबन्ध हम हिस्सेदारों के अधिकारों पर लगा देते हैं तो भूमिधर और हिस्सेदार में कोई अन्तर नहीं रह जाता। जब कोई अन्तर नहीं रह जाता तो किस वजह से हम दो नाम रक्खें। सिफारिशें जो कमेटी ने की थीं वह सब मेम्बरान को सप्लाई कर दी गयीं। इस वक्त मैं उन सिफारशात में जाना नहीं चाहता। आफीसरों ने भी उन पर बहुत गौर किया और मैंने भी गौर किया और उस गौर और मेहनत का यह नतीजा निकला। यही बिल पिछली बार असेम्बली में पेश हुआ था, सेलेक्ट कमेटी में उसको भेजा गया। इसको साल भर से ज्यादा हो गया। जुलाई, ५६ में सेलेक्ट कमेटी को यह सुपुर्द हुआ। मैं इसके द्वारा माननीय मित्रों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जब से यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ तब से, यानी १५ महीने से यह बिल पब्लिक के सामने है और इस सिलसिले में तथा सेटिलमेंट आपरेशन्स के बारे में काफी चिट्ठियां आयीं, और उन अखबारों में जो कुमायूं से निकलते हैं काफी चर्चा रही क्योंकि माननीय मित्रों की राय, वहां की पब्लिक की राय उन अखबारों में भी प्रतिबिंबित रहती है। तो ५–६ महीने काफी चर्चा रही लेकिन मेरे खयाल से कोई नयी चीज उसके द्वारा नहीं लायी गयी। इसलिये पब्लिक ओपीनियन इलिसिट करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये माननीय सदस्यों ने जो मेरे सामने सरकुलेशन की तजवीज रखी, उनके उस सुझाव को मानने से मैं कासिर हूं।

एक बात और कही गयी कि वहां जमींदारी कहां है ? वहां जमींदारी है ही नहीं। और इस बिल को बनाने से जो ९० प्रतिशत लोगों का जीवन प्रवाह चल रहा है वह अस्तव्यस्त हो जायगा, नुक्सान होगा, फायदा न होगा। जमींदारी मैदान में थी, वह खत्म हो गयी। अधिष्ठाता महोदय, बस यही जो एतराज है और उसका गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब है, जो दृष्टिकोण उसका है, वही बुनियादी बात है। क्या माने हैं जमींदार के ? जमींदार के माने केवल उस व्यवस्था के हैं जिसके मातहत मनुष्य को जमीन में कुछ अधिकार हों लेकिन उसका कब्जा न हो। टाइटिल और पजेशन जिस व्यवस्था में इकट्ठे न हों, एक के हाथ में न हों, एक के हाथ में टाइटिल हो और दूसरे के हाथ में पजेशन हो। तो इसमें जो पजसर है वह टेनेंट है और जिसके हाथ में टाइटिल है वही जमींदार है, हिस्सेदार है, लैंडलार्ड है। कहीं जमींदार की परिभाषा में यह नहीं है कि एक हजार एकड़ का टाइटिल हो तो वह जमींदार कहलायेगा और १०-५ एकड़ का टाइटिल हो तो वह जमींदार नहीं कहलायेगा। तो जमींदारी खतम करने का मतलब सिर्फ यह है कि यह जो रिलेशनशिप है लैंडलार्ड और टैन्योर का उसे समाप्त कर दिया जाय और जो आदमी वाकई खेती करता है, जो किसान है उसका सीधा सम्बन्ध गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया जाय।

अब कहा यह जाता है कि साहब, यह तो बहुत छोटे-छोटे हिस्सेदार हैं। उसूल में छोटा हो या बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है बल्कि यहां तो जो रिलेशनशिप है उससे है और उसी को हम तोड़ना चाहते हैं। श्रीमन्, मुझे ताज्जुब तो यह हुआ कि मेरे कई बड़े बड़े समझदार दोस्त जिन लोगों का मैं बहुत आदर करता हूं, अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने कहा कि वे जमींदार नहीं हैं। यह दलील न मालूम कैसे उन्होंने दे दी कि साहब वे छोटे छोटे हैं। जहां तक छोटे और बड़े का सवाल है उससे इसका कैरेक्टर तो कोई बदलता नहीं है। यहां तो सीधी सी बात यह है कि एक आदमी एक्सप्लायटर है और एक आदमी एक्सप्लायटेड है। तो इस तरह का जो खयाल है कि मैदानों में बड़े-बड़े जमींदार थे, यह खाम खयाल है और बड़ा गलत खयाल है। जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट की जिल्द (२) के पहले ही सफे पर गालिबन पूरा डिटेल दिया हुआ है। उससे जाहिर हो सकता है कि २०,१६,७८३ प्रोप्राइटर थे कुल उत्तर प्रदेश के मैदान में जिनमें से १७,१०,५३० जो जमींदार थे उनकी मालगुजारी थी २५ रु० फी कम से कम और टोटल मालगुजारी थी उनकी १०,४९,४२५ रु० तो इस तरह से मैदान के १७ लाख जमींदार एक करोड़ मालगुजारी देते थे। इस तरह से ८५ परसेंट जमींदार, जिनके बारे में माननीय नेगी जी व माननीय तिवारी जी का खयाल है कि वे सब बड़े-बड़े जमींदार ही थे, ऐसा नहीं है बल्कि वे नाम को ही जमींदार थे। उनको इंसान का कोई वर्ग ही कहें जो मैदान में थे तो वे ऐसे नहीं पनप सकते थे। जब ६ रुपये से कम मालजुजारी देने वाले भी जमीदार कहलाये जा सकते हैं और हमने उनकी जमींदारी खतम की है तो फिर यह दलील उचित नहीं कही जा सकती कि वे तो बहुत छोटे छोटे हैं। जिस वक्त यहां पर जमींदारी एबालीशन बिल पेश था उस समय किसी माननीय सदस्य की तकरीर इधर से नहीं हुई कि साहब जो ५ रुपये तक मालगुजारी देने वाले हैं उनको बख्श दिया जाय और उनकी जमींदारी उनके पास वैसे ही रहने दी जाय। बस्ती जिले की हरैया तहसील में जहां शायद डेढ़ लाख मालगुजारी मिलती थी करीब डेढ़ या दो लाख जमींदारों से उनके लिये यह कह दिया जाता कि ये तो बहुत छोटे-छोटे जमीदार हैं, उनके पास जमींदारी वैसे ही रहने दी जाय और उनको बख्श दिया जाय। लिहाजा छोटे होने की कोई दलील नहीं है।

एक सदस्य—हरैया में १,३२,००० जमींदार थे।

श्री चरणसिंह—खैर, माननीय सदस्य का कहना है कि एक लाख बत्तीस हजार थे तो इस तरह से एक जमींदार के ऊपर दो रुपये से भी कम मालगुजारी पड़ी। लिहाजा यह कहना कि वे जमींदार नहीं हैं और वे छोटे-छोटे हिस्सेदार हैं, कम से कम यह दलील किसी भी तरह से मेरी अक्ल में नहीं बैठती।

एक बात यह कही गई कि सेटिलमेंट आपरेशन हो रहा है इसलिये मालगुजारी नहीं बढ़नी चाहिये। आया हम मालगुजारी का रेट बढ़ायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे यह तो दूसरा सवाल है, लेकिन सन् १८६२ फ० में जो मालगुजारी का रेट था, क्या वह भी न बढ़ाया जाय? क्यों, कोई दलील है? तब से कम से कम दो बन्दोबस्त यहां मैदान में गुजर चुके और हर बन्दोबस्त में हर जमींदार की मालगुजारी बढ़ी है, तो वहां क्यों न बढ़ायी जाय?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—गढ़वाल में बढ़ चुकी है।

श्री चरणसिंह—गढ़वाल को छोड़ दीजिये, और वहां भी कितनी बढ़ी है, मुझे मालूम है, बहुत थोड़ी बढ़ी है लेकिन उसके बाद भी नैनीताल, टेहरी-गढ़वाल आदि जगह जहां नहीं बढ़ी है, वहां क्यों न बढ़ायी जाय? लेकिन १८६२ फ० की मालगुजारी के जो रेट्स हैं, वह अब क्यों न बढ़ें? उस की कोई वजह है? अगर वहां गरीबी है, तो उसके लिये जो रूल्स सारे सूबे के लिये है, वही वहां के लिये भी रहें कि ग्रास असेट्स और नेट असेट्स का जो प्रोपोर्शन होता है और जो भाव सन् ६२ में थे, उसकी चारगुना या ५ गुना मालगुजारी होगी, 'इन टर्म्स आफ रुपी' जो भी आये। अगर वहां की पैदावार उस वक्त से नहीं बढ़ी है, तब भी मालगुजारी बढ़नी चाहिये। भाव तो सन् ६२ के मुकाबले में जरूर बढ़े हैं। अगर वहां के किसान गल्ला खरीदते हैं तो कितने ऐसे हैं जो खरीदते हैं और अगर उन के लिये तय हो तो सारे सूबे के लिये तय हो कि सारे सूबे के किसान जो गल्ला खरीदते हैं, उनकी मालगुजारी किस हद तक माफ की जाय, इसलिये यह बात भी समझ में नहीं आती। अगर हम वहां यह रियायत देते हैं तो हमारे यहां देवरिया और आजमगढ़ में भी बहुत बड़ा प्रतिशत किसानों का ऐसा है जिसे बाहर से कभी-कभी गल्ला खरीदना पड़ता है। दूसरे यह कि जितने भी एक्सटेंशन्स वहां हुये हैं, उनके हिसाब से वहां मालगुजारी नहीं बढ़ी है। अगर २ एकड़ जमीन किसी खायकर पर थी और ४ एकड़ उसके पड़ोस में थी तो उसने जितनी भी जमीन या कुल अगर अपने खेत में शामिल कर ली है तो उससे मालगुजारी केवल उस २ एकड़ की ही ली जा रही है। आप नयाबाद ऐक्ट सन् ४८ का देखें। सन् १८६२ फ० में जितना क्षेत्र हिस्सेदारों और खायकरों के पास था, आज वह दुगुना हो गया लेकिन मालगुजारी उसी आधे क्षेत्र पर चली आती है, उसके बाद वहां जब पैमाइश हुई तो डोरी की पैमाइश हुई और जानबूझकर क्षेत्र कम रखा गया। अब हर जगह पर पेडस्टल सर्वे कर रहे हैं तो वह क्षेत्र ४० प्रतिशत बढ़ रहा है। मैं यह नहीं कहता कि यह तीनों रियायतें उनसे ले ली जायं, लेकिन मुझे शिकायत यह है कि उनको इनका अहसास होना चाहिये और समझना चाहिये कि अभी तक हमारे साथ यह ३ रियायतें चली आती हैं। पहली रियायत यह है कि उस क्षेत्र पर मालगुजारी उतनी ही चली आती है, अगर सेटिलमेंट होता २ बार तो वह मालगुजारी जरूर बढ़ जाती। दूसरे जो एक्सटेंशंस हैं उन पर मालगुजारी नहीं बढ़ी। तीसरे यह कि डोरी की पैमाइश हुई और क्षेत्र भी ऐक्चुअल क्षेत्र से ४० प्रतिशत कम रहा। इसके बाद भी अगर शिकायत हो तो वह कहां तक मुनासिब है। अगर कोई भी रियायत की जाय तो वह सारे सूबे में की जाय, कोई डिसक्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते।

पैदावार के बारे में जो कहा गया उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। जो बैकेट रिपोर्ट है, वह मैं बता दूं कि क्या कहती है। वह रिपोर्ट मैं अभी सुनाये देता हूं जो कि

मेरे पास अभी सेटिलमेंट कमिश्नर साहब ने भेजी है। आप की इजाजत से मैं उसे अंग्रेजी में पढ़े देता हूं, वह जरा सी ही है—

"It is thus clear that there has been no increase in revenue incidence in the hill districts since 1860.

It is another myth that the field of crops in the hills is low. Mr. Backett estimated the average produce on page 4 of his report as follows".

तो यह भी एक प्रचार है कि पैदावार पहाड़ों की बहुत कम है, बैकेट ने अपनी रिपोर्ट के चौथे पृष्ठ पर इस प्रकार पैदावार दी है। धान—इर्रीगेटेड बीस मन फी एकड़ औसत लिखा है। फर्स्ट क्वालिटी, ड्राई लैंड १२ मन। सैकेंड क्वालिटी ड्राई लैण्ड आठ मन बीस सेर। फिर उसने मनी वैल्यू दे रखी है उस जमाने की। व्हीट सोलह मन, जब कि मेरठ डिवीजन में नहीं पड़ेगा १२ मन से ज्यादा और १६ मन इर्रीगेटेड का है। १२ मन, फर्स्ट क्वालिटी ड्राई लैण्ड, ६ मन सेकेंड क्वालिटी ड्राई लैण्ड।

मडुआ दे रखा है। मंडेरा दे रखा है। उड़द की दाल दे रखी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह फीगर्स ६२ फसली की हैं। १९५६ की फीगर्स क्या हैं? अब प्रोडक्शन कितना है?

श्री चरणसिंह—अब प्रोडक्शन कम हो गया है, यह अब तक किसी तकरीर में नहीं कहा गया कि कम होता जा रहा है। मैं इसके भी फीगर्स मंगा सकता हूं, लेकिन ६२ में जब बैकेट ने लिखा था तो उसको यह पता नहीं था कि १९५७ में बहस होगी और नारायणदत्त जी तिवारी उस वक्त यह जवाब देंगे। ६२ में ही सेटिलमेंट रिपोर्ट्स में दूसरे जिलों की भी पैदावार मिल जायगी और उससे मालूम हो जायगा और घटने का बर्डेन आफ प्रूफ जनाब के ऊपर रहेगा। लो है, लो है, मैं इससे सहमत नहीं। फैक्ट्स इसके खिलाफ हैं।

एक बात यह कही जाती है कि मालगुजारी न बढ़ायें, और कम्पेंसेशन ज्यादा दिया जाय। कम्पेंसेशन बड़ा लो है। यह कैसे? मैदान से ज्यादा पड़ता है। यहां हमने रेंटल का बारह गुना किया और वहां नेट रेंटल का ८ से २८ गुना था। अगर हम नेट रेंटल को निकालें तो नेट रेंटल ग्रास रेंटल का ४५ प्रतिशत पड़ता है अगर १२ नेट रेंटल है तो ग्रास रेंटल साढ़े छब्बीस पड़ेगा। यहां हमने दिया ८ से २८ गुना। वहां सब को दे रहे हैं हम साढ़े छब्बीस गुना। फिर भी कहा जाता है कि कम्पेंसेशन कम है और वह भी कहते हैं जो कि साथ-साथ कहते हैं कि सीरतान से कम लेना चाहिये। उधर कम लेना चाहिये, इधर ज्यादा देना चाहिये। गवर्नमेंट को अपने पास से देना चाहिये और मालगुजारी बढ़ानी नहीं चाहिये। खूब, मुबारक लोगों का खयाल।

माननीय चन्द्रसिंह रावत जी ने कल एक बात कही थी कि जिन लोगों ने धोखे से खायकरों की जमीन पर कब्जा कर लिया और खायकर दूसरों को दर्ज करा दिया, अपने को हिस्सेदार दर्ज करा लिया। दर्ज था वह खायकर, हिस्सेदार ही दर्ज होना चाहिये था अंग्रेजों के जमाने में। उनको मुआविजा नहीं मिलना चाहिये, उस जमीन का। मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहे थे। उनका शायद मंशा था कि खायकरों को हिस्सेदार ही करार दे देना चाहिये। मुझे बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आप की इजाजत से मैं यह अर्ज करूंगा कि कौन आदमी कैसे जमींदार हो गया और धोखे धड़ी से, जागीर पाकर, अंग्रेजों को खुश करके, डिग्री से, खरीदारी से, इस चीज में हम मैदान में नहीं गये और इस तफसील में कहीं नहीं जाना चाहते। हो सकता है कि १९५७ में जो ट्रैटर रहा हो उसका पोता आज पैट्रियट हो गया हो। तो कौन

[श्री चरण सिंह]

सा कंसीडरेशन करना होगा, जो मौजूदा होल्डर है उसकी पैट्रियाटिज्म का या उसके फोर फादर की ट्रेचरी का ? तो यह सवाल हमारे सामने जब हमने मैदान में जमींदारी खत्म की थी तब आया, लेकिन हमने यह तय किया था कि ओरिजिन आफ टाइटिल में नहीं जायेंगे। आज जो टाइटिल आफ होल्डर है, उसको सही मानकर हम मुआवजा देंगे, इसलिये यह वहां भी सवाल नहीं उठा।

अब एक बात यह कही है कि सभी छोटे हिस्सेदार हैं, उन्हें सीरतानों को बेदखल करने का हक होना चाहिये और यह जो ६०० गज के रिज्यूम करने का अधिकार है, यह तो रिडीक्युलस है। तो मैं पहले ६०० गज की बात साफ कर दूं। यह खेती के लिये नहीं वापस ली जा रही है यह तो रास्ते के लिये है। लिहाजा इसको यों कहना कि ६०० गज बहुत थोड़ी है यह कोई दलील नहीं है। यों समझ लिया जाय कि राइट आफ रिजम्प्शन नहीं दिया जा रहा है और फिर उस पर बहस की जाय कि देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये।

अब कहा जाता है कि छोटे-छोटे हिस्सेदार हैं ठीक है। लेकिन छोटे आदमी हैं, उनको हिस्सेदार मान लिया जाय मैं यह भी बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं। १ करोड़ २३ लाख किसानों का नाम दर्ज था सन् १९४५-४६ में मैदान में और ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन थी तो ३.३ एकड़ एक किसान पर जमीन पड़ती थी, नामों को ही ले रहा हूं। लेकिन उसी बैकेट ने १८६२ फ० में यह लिखा पर प्रोप्राइटर जो जमीन पड़ती है ३ एकड़ और साढ़े चार एकड़ पड़ती है १८६२ फ० ही में। तो यहां के किसान में और वहां के किसान में कुछ फर्क होगा। मैं मैटिक्युलस फिगर्स सेलेक्ट कमेटी के सामने रख दूंगा। इतना फर्क नहीं है कि जिसकी वजह से उसूल को बदल दिया जाय। बल्देव सिंह जी ने कहा था कि उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। मान लिया जाय मैंने टेनेंट भी शामिल कर लिया, लेकिन जब १९५४ में सब टेनेन्ट्स को अधिकार दे रहे थे जिनकी तादाद ५८ लाख है और जिनकी जमीन साढ़े २५ लाख एकड़ है तब हम सब-टेनेंट्स को अख्तियार दे रहे थे। अधिष्ठाता महोदय, मुझे यकीन नहीं पड़ता कि टेनेंट्स को तो आपने अधिकार दे दिया जमींदार के, लेकिन जमींदार की सीर खुदकाश्त जो छोटे-छोटे हैं या टेनेंट्स के जो सब टेनेंट्स हैं वह तो बहुत छोटे हैं उनको आप क्यों अधिकार दे रहे हों। टेनेंट्स को अधिकार दे दिया, छोटे-छोटे जमींदार को अपने शिकमियों को बेदखल करने का अधिकार दे दिया तब यह दलील नहीं दी गई। मैं तो कहता हूं कि ५८ लाख शिकमी, अगर एक आदमी का नाम दो बार रिपीट हुआ तो २९ लाख आदमी हो गये, जमीन २५ लाख एकड़ और उनके जमींदार और काश्तकार बहुत छोटे-छोटे जो कलकत्ते में मुलाजिमत करते हैं, जो मेरठ में जाकर मुलाजिमत करते हैं, जो गोरखपुर और देवरिया के बाहर जाकर मुलाजिमत करते हैं और यहां नहीं जो चपरासगीरी करते हैं सिविल सेक्रेटेरिएट लखनऊ में, उनके शिकमियों को जो अधिकार दिया गया ? अधिष्ठाता महोदय, मैं फिर दुहराता हूं कि कहीं से भी इधर से या उधर से यह आवाज उठी कि क्यों अधिकार दिया जाता है छोटे लोगों के शिकमियों को ? अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि माननीय मित्र जो उस वक्त खामोश रहे या जिन्होंने उस वक्त उस बिल का स्वागत किया था और आज उसका विरोध कर रहे हैं वह अपने दिल को टटोलें उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। नारायणदत्त जी ने कहा कि जो माननीय मंत्री के यहां चपरासगीरी करते हैं, खैर, मेरे यहां इत्तफाक से एक पहाड़ी चपरासी है और जमीन भी है उसके घर, मैंने पूछा नहीं, पूछ लूंगा कि उसके शिकमी भी मालिक हो गये या नहीं ? तो गरीबी का ठेका केवल पहाड़ पर ही नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह कहता कौन है ?

श्री चरणसिंह—तो फिर जब यह सवाल यहां हुआ तब यह क्यों नहीं कहा ?

अब हमने यह किया है कि जो मिलिटरी में मुलाजिम हैं, वह अपनी जमीन सीरतान से बेदखल करा सकेंगे और सबसे ज्यादा हमारे सूबे के जो मिलिटरी में मुलाजिम हैं,वह अल्मोड़े के और नेक्स्ट गढ़वाल के हैं। मुझे तो अफसोस यह है कि हजारों सीरतान बेदखल हो जायेंगे, लेकिन एक उसूल की बात थी। जो लोग अपनी हथेली पर जान लेकर देश की सेवा करने के लिये गये हैं, उनके लिये हमने नीचे के मैदान में कानून में भी एक अपवाद रखा है और वह अपवाद हमने यहां भी रखा है। माइनर्स के लिये भी अपवाद है, विडोज के लिये अपवाद है, डिस्एबिल के लिये अपवाद है, यानी जितने एक्सेप्शंस हमने यहां रखे हैं, वह वहां भी रखे हैं।

हमारे यहां सेटिलमेंट कमिश्नर ने कुछ गांवों की रिपोर्ट वहां से भेजी है। रानीखेत में हिस्सेदारों की १७ फीसदी जमीन सीरतान के पास है। ८३ फीसदी उनके पास है। खैकार की जमीन सिर्फ ७ प्रतिशत सीरतान के पास है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हिस्सेदारों के पास ८० फीसदी जमीन है और २० फीसदी जमीन सीरतानों के पास है और खैकार के पास ९० फीसदी जमीन है, १० फीसदी जमीन सीरतानों के पास है। यह हैं जिनकी हिफाजत इस कानून से होगी, लेकिन जो हमने एक्सेप्शंस रखे हैं मुझे अंदेशा यह है कि इसमें से आधे या एक तिहाई जरूर बेदखल हो जायेंगे। तो यह कहना कि सब लोगों की जमीन छिन जायगी, यह बात भी गलत है। फिर सोचना यह है जैसे कि माननीय बल्देव सिंह जी ने कहा कि चपरासी की जब मिसाल दी गई तो फेयरनेस डिमांडेड, इंसाफ का तकाजा था कि माननीय नारायणदत्त जी कलेक्टर का भी नाम लेते, हमारे यहां कलेक्टर, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, गजटेड आफिसर भी तो पहाड़ के हैं। केवल चपरासी का ही क्यों नाम लिया। तो प्वाइंट यह है कि चपरासी की दलील देकर अपने मन के अन्दर की जो बात है, उसकी पुष्टि करना चाहते हैं न? तो यह हुआ कि एक आदमी तो सर्विस भी करेगा, लगान भी लेगा, रिटायर होने के बाद पेंशन भी लेगा और उस गरीब को जाकर बेदखल भी करायेगा। यही तो हुआ। ठीक है, यह भी बहुत गरीब थे, हमारे कलेक्टर रिटायर होके गये, चपरासी भी रिटायर होकर गया, लेकिन वह तो स्टिल पुअरर था जो कि उस जमीन पर ही गुजर कर रहा था। सवाल हिस्सेदार की गरीबी का नहीं है। वह तो मुझे तस्लीम है ही कि हमारा सूबा गरीब है, लेकिन यहां कम्पेरिजन का सवाल है। गरीबी और अमीरी हमेशा दुनिया में निस्बती चीज होती है, कोई ऐबसोल्यूट टर्म्स नहीं है। मैं एक के मुकाबिले में अमीर हो सकता हूं दूसरे के मुकाबिले में मैं गरीब कहलाऊंगा। दूसरे भी गरीब हैं, लेकिन जो कम्पेरेटिवली पूअरर है उसकी हिफाजत करने का सरकार का इरादा है। यह ठीक है कि हिस्सेदार को तकलीफ होगी, लेकिन क्या दुनिया में कोई काम हुआ है कोई रिफार्म, कोई तब्दीली, कोई चेंज दुनिया में हुआ है 'अनलेस सम पीपुल आर अदर आर ऐडवर्सली अफेक्टेड' (unless some people on other are adversly affected) ? सवाल सिर्फ बैलेंस का है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझता हूं कि जिन जजबात के मातहत हम अब तक सराबोर रहे हैं, जिन नारों को उठाते रहे हैं उनको भूल न जायं, चाहे उधर बैठे हों या इधर बैठे हों। अधिष्ठाता महोदय, उधर से यह बात कह दी जाती है कि साहब बेदखल होने चाहिये और फिर सीरतान के लिये आंसू भी बहुत बहाये जाते हैं, दोनों चीजें कैसे मिलती हैं ? मसलन कहा गया सीरतान को कोई नफा नहीं होता। नफा नहीं होता यह मेरी समझ में नहीं आया कैसे नहीं होता। सीरतान को कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिये। यह कहा गया कि बड़ा लम्बा प्रोसीजर है। काहे में लम्बा है ?

पहली विज्ञप्ति निकली कि सीरतान असामी कहलायेंगे। हम सारे राइट्स उस विज्ञप्ति के जरिये ऐक्वायर नहीं कर रहे हैं। अगर राइट्स ऐक्वायर कर लेते जैसा कि मैदान में किया तो जो हमने साल भर के लिये सीरतान करार दिया है इसकी जरूरत

[श्री चरण सिंह]

नहीं होती। अब हम एक मौका इस विज्ञप्ति के बाद परचेज का बाई म्युचुअल एग्रीमेंट दे रहे हैं। १५ गुना लगान दे देता है सीरतान अपने लगान का या असामी दे देता है या गरीब आदमी दे देता है और वह राजी हो जाता है खैकार या हिस्सेदार,जो भूमिधर कहलायेगा। तो जमा करने के बाद वह भी भूमिधर हो जायगा और आगे को भूमिधरी की मालगुजारी देगा जो आज दे रहा है। अधिष्ठाता महोदय, कल मैं गलती से कह गया कि भूमिधर जो लगान दे रहा है, उसका आधा वह देगा। ऐसा नहीं है। भूमिधर आज जो लगान दे रहा है वही देगा। वह १/३ होगा। आम तौर पर सन् ५४ के ऐक्ट के मुताबिक कम्यूटेशन कर दिया है। पहले जिन्स में रेंट दिया जा रहा था। वह अब कैश में होगा और वह कम्यूटेशन इस आधार पर किया है कि जो मालगुजारी भूमिधर या खैकार देगा उसके तिगुने से ज्यादा उसका लगान नहीं होगा। जो लगान बहुत से लोग पाते रहे हैं वह था २०, २० गुना उनकी मालगुजारी का। १० गुना तो मामूली बात थी। जो काइंड में रेंट है वह बहुत ऊंचा रहा है। सन् ५४ में उसे कम किया। उसमें शर्त लगा दी कि जो सरकार को मालगुजारी दी जा रही है, उसके तिगुने से ज्यादा लगान नहीं होगा। अगर १५ गुना उस लगान का वह दाखिल कर दे तो वह भूमिधर हो जायगा और आगे को उसके राइट्स भूमिधर के हो जायेंगे और वह भूमिधरी का ही लगान देगा, जो आज हिस्सेदार दे रहा है। अगर यह साल भर में नहीं होता तो फिर हमने असामी को सीरदार राइट अवे डिक्लेयर कर दिया। कोई उसका मुआवजा नहीं ले रहे हैं। सब-टेनेंट, शिकमी और अधिवासी तीनों को एकदम सीरदार कर दिया मैदान में, उसी तरह से साल भर के बाद हम वहां उसे सीरदार कर देंगे, वह भूमिधर बने या न बने।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अभी क्यों नहीं करते ?

श्री चरण सिंह—मैंने कुछ कानूनी दिक्कतें बतलाई थीं। वह भूमिधर बने या न बने सीरदार वह बन जायगा। इस तरह से परमानेंट राइट्स उसको मिल जायेंगे। बेदखल वह नहीं होगा। अब सीरदार, अगर भूमिधर बनना चाहता है तो उसे अपने लगान का १० गुना देना होगा यानी १५ गुने के बजाय मालगुजारी का ड्योढ़ा देगा।

एक कम्पेन्सेशन तो यह रहा और दूसरा कम्पेंसेशन यह है कि दूसरी विज्ञप्ति के अनुसार अगर कोई सीरतान है, जिसको हम सीरदार डिक्लेयर कर देते हैं वह अगर भूमिधर बनता है तो खैकार या हिस्सेदार को १२ गुना मुआवजा मिलेगा। तो इस तरह से इस हिस्सेदार को, भूमिधर को चाहे कुछ कह लीजिये अगर रजामन्दी से ले लेता है तो १५ गुना मिल जाता है, इसका ऐडवांटेज है, अट्रैक्शन है। पहली साल अगर वह भूमिधर होना चाहे तो १२ गुना देगा और उसके बाद १५ गुना देकर रजामन्द हो जायगा। अगर साल भर के अन्दर नहीं बनता है तब भी बिना कुछ दिये वह सीरतान सीरदार बन जाता है। तो कोई कम्पेंसेशन का सवाल नहीं है।

अब मैं यह चाहता था कि कुछ समय बढ़ा दिया जाय—आध घंटे का बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—तो इस तरह का कोई प्रस्ताव आ जाना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री चरण सिंह—नहीं, आध घंटा बढ़ा दिया जाय, मैं उससे पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि समय ५ बजे के बाद आध घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, यह जो बात कही जा रही थी कि सीरतान को कोई फायदा नहीं है, यह गलत है। हां, कल एक साहब जो मैनपुरी से तशरीफ लाते हैं, उन्होंने कहा कि साल भर का वक्त तो बहुत नाकाफी है, क्यों कि उस गरीब को कैसे पता लगेगा जब कि ९ दिनों में पटवारी हेडक्वार्टर से आता है। जब अल्मोड़े में लैंड स्लाइड हुआ तो ९ दिनों में पटवारी पहुंचा यह बात जो उन्होंने कही यह गलत है। ११ की रात को लैंड स्लाइड हुआ, १२ की सुबह को पता चला और १६ को पहुंच गया, सिर्फ ४ दिन लगे और साथ ही मीन्स आफ कम्युनिकेशन कट आफ हो गये थे, इस वजह से देर हो गयी। दूसरी बात यह कि ९ दिन की जरूरत नहीं, एक दिन की नहीं, हमारे तो रेकार्ड आपरेशंस और सर्वे आपरेशंस चल रहे हैं। हर आदमी को परची मिलेगी अपनी जमीन की बाबत, वह उसके पास होगी। जब यह कानून पास हो जायगा तो इसकी शोहरत घर घर में हो जायगी, जब उसको मौका हो वह परची को लेकर रुपया जमा कर दे। पहले हिस्सेदार से बात कर ले, साल भर में न बनना चाहे तो ? तो मुआविजे का कोई ताल्लुक इससे नहीं है, हम तो उसे सीरदार डिक्लेयर करने जा रहे हैं।

फिर यह कहा गया कि साहब हरिजनों को अख्तियार मिलने तो चाहिएं लेकिन जो सिर्फ दर्ज हों, जिनके नाम कागजात में दर्ज हों। पहली तो बात यह है कि यह खयाल अपने मन से निकाल देना चाहिये कि सीरतान जो हैं, वह हरिजन हैं, जैसा माननीय बलदेव सिंह आर्य ने कहा। यह बात नहीं है। उनमें और ऊंची बिरादरी वाले लोग भी हैं। आधे उनमें ऊंची बिरादरी के और आधे शिल्पकार होंगे। आधे-आधे का अनुपात होगा। अब आज अगर सीरतान को अधिकार देना मुनासिब है तो फिर यह इम्तियाज करना कि जो रेकार्डेड है, उसको दे दिया जाय और अनरेकार्डेड को न दिया जाय, यह किस बिना पर है ? माननीय प्रताप सिंह जी से जानना चाहूंगा, अगर उन्होंने वैसा कह दिया।

श्री प्रतापसिंह—मैंने यह कहा था कि जो रेकार्डेड है, उनको अभी से राइट द दीजिये।

श्री चरणसिंह—फिर बाद को देखा जायगा कि मिले या न मिले। मैं आपके जरिये अपने मित्रों के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १८६२ में, या १८९२ में और १९४५ प और कुछ थोड़े से हिस्से में १९३६ में नाम दर्ज हो गये, लेकिन जो आदमी कई जेनरेशंस से जोत रहा हो उसको अधिकार न मिले, यह कहां तक उचित है ? हम सेटिलमेंट आपरेशंस कर रहे हैं, मुकाम पर जाकर लोग कर रहे हैं और जहां सीरतान आबाद है और वह दर्ज हो जाता है तो क्यों न उसको राइट दिया जाय ? हमने तो राइट दे दिया कि जिसका १३५९ में हल खड़ा हो गया और उसी को नहीं, जो ट्रैस पासर था कानून की रूह से उसको भी हम राइट्स देते हैं। यहां यह कह रहे हैं कि १८६२ वालों को मिले और बाकी को न मिले कोई युक्ति है ? कोई नहीं है। कहा जा रहा है कि सर्वे और रिकार्ड आपरेशन्स में बड़ा अन्याय हो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि मैंने सैटिलमेंट कमिश्नर से फैक्ट्स ऐंड फीगर्स मंगाये थे जो उन्होंने पत्र भेजा है, उसके आखिरी पैरा में लिखा है कि:—

"Only sometimes some zamindars say that names of Sirtans are being wrongly recorded and some public workers say that names of Sirtans are not being recorded. I asked them to give instances which they could not

[श्री चरणसिंह]

furnish. I have always emphasized on the staff to make correct entries and asked public workers to see to it without creating any agitation. Now only a case or so comes to notice when a public worker backbites to a high personage against settlement for cheap popularity and not from conviction. I am always available to hear any grievance and take action, but they do not enter this wide open door."

मेरे पास भी अगर मुझे ठीक याद पड़ता है तो सिर्फ एक शिकायत आई है कि फलां गांव में ऐसा हुआ है तो फौरन मैंने सैटिलमेंट कमिश्नर को भेजा है। अगर सैटिलमेंट के अधिकारी ऐसी गल्तियां गांव-गांव में कर रहे हैं तो वहां के जो माननीय सदस्य रहने वाले हैं उनमें से कोई साहब तो मेरे नोटिस में लाते, लेकिन नहीं लाई गई।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात अर्ज कर दूं कि लोगों का खयाल है कि छोटे-छोटे लोग हैं। लेकिन १८६२ के कागजात के देखने से पता चलता है और सेटिलमेंट कमिश्नर ने गढ़वाल के बड़े-बड़े लोगों की लिस्ट मेरे पास भेजी है। मैंने १२ आदमी बतलाये थे, वह गलत है आजकल के कागजात से तो बिल्कुल नया नक्शा निकलेगा? उन्होंने १६ नाम भेजे हैं। एक साहब के पास २०० एकड़, दूसरे के पास १९०, और तीसरे के पास १०० एकड़ और दो के बारे में लिखा है कि ठीक नहीं बतला सकता लेकिन काफी ज्यादा है। एक के पास २७० एकड़, एक के पास ३६० एकड़ और चार के बारे में लिखा है कि इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन काफी बड़े हैं और बाकी थोकदार लोग हैं उनमें से किसी के पास ३३, ४१ और ५३ आदि हैं। कहने का मतलब यह है कि "नाट सो स्माल" जैसा कहा जा रहा है।

खैर, सीतानों की बात यह है। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया कि रेंट नहीं घटाया गया। मालगुजारी १८६२ या १९०१ की है उससे तिगुने से ज्यादा नहीं हो सकता है। यह ऐक्ट हम पास कर चुके हैं। प्लानिंग कमीशन की बात कही जाती है। उसने तो यह कहा है कि जो मौजूदा प्रोडक्शन है उसका एक चौथाई या पांचवां हिस्सा मालगुजारी होनी चाहिये। अगर कोई मित्र इस पर राजी हों तो मैं सैटिलमेंट कमिश्नर के पास आर्डर भेज दूं। कम्यूनिस्टों ने जो केरल ऐग्रेरियन रिलेशनशिप बिल रखा है उसके बारे में माननीय बिष्ट जी नाराज हो गये कि उन्हें उसका जिक्र करना पड़ा।

एक साहब ने कहा कि जब रिकार्ड आपरेशन्स कम्पलीट हो जाते तब ऐक्ट लागू किया जाता। अजीब मजा है। एक तरफ तो शिकायत यह है कि देर हो रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जब रिकार्ड आपरेशन्स कम्पलीट हो जाते तब यह ऐक्ट लागू किया जाता। लेकिन हम यह कहने जा रहे हैं कि हर जिले की एक-एक तहसील ली जा रही है। जैसे ही एक जिले की एक तहसील खत्म होती जाय वहां ऐक्ट लागू होता जाय। कौन सा नुक्स हो गया इसमें? माननीय प्रतापसिंह जी बैठे हैं मेरे सामने, वही कह रहे थे कि सैटिलमेंट आपरेशन्स जब कम्पीलट हो जायं तब ऐक्ट लागू होना चाहिये। तो इसका मतलब यह है कि देर हो गयी, बड़ी गलती की, लेकिन अब और देर करो तब सही होगा।

एक बात यह कही गयी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनका क्या होगा। अधिष्ठाता महोदय, गवर्नमेंट ने कब दावा किया कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको वह जमीन दे देगी? यह क्या बात है कि जब भी कोई लैंड रेफार्म का बिल आता है तो दुनिया भर की गरीबी की बात कही जाती है? क्या उसी से सब गरीबी दूर हो जायगी? होगा क्या इस बिल से? होगा यह कि माननीय प्रतापसिंह जी एक बार उसे नमस्ते करेंगे तो वह दो बार करेगा लेकिन जो पीढ़ियों से उसे हुजूर कहने की आदत पड़ी हुई है, वह छूट जायगी। वह भी सिर ऊंचा उठा कर चल सकेगा और आंख में आंख डाल कर बातें कर सकेगा और सिक्योरिटी आफ टेन्योर उसको मिलेगा।

एक यह बात बहुत कही गयी कि इससे जो किसान हैं वे सब गरीब हो जायंगे जमीदारी मिटते ही और ९० फीसदी आदमी अस्तव्यस्त हो जायेंगे। जो सज्जन यह कहते हैं कि इससे ९० फीसदी आदमियों की जिन्दगी पर असर पड़ेगा वही साथ ही यह भी कहते हैं कि सिर्फ ५ फीसदी सीरतान होंगे। तो ५ फीसदी के पास ५ आदमियों की जमीन होगी, ८ की होगी, १० की होगी, ९० फीसदी का कहां नुक्सान हो रहा है। ९० फीसदी जमीन उनके पर्सनल कल्टीवेशन में है। वह उनके पास छोड़ी जा रही है। फिर यह तारीक नक्शा क्यों खींचा जाता है ? मेरी समझ में नहीं आता।

माननीय नेगी साहब ने कहा कि मैदान की तरह का कानून पहाड़ में तभी लागू हो सकता है जब वहां बुलडोजर चला दिया जाय। क्यों लागू नहीं हो सकता बिना बुलडोजर चलाये ? आखिर मनुष्य तो मनुष्य ही है। एक्सप्लायट करने की टेंडेंसी, आराम करने की टेंडेंसी तो सबकी है। हर मनुष्य चाहता है कि :—

"with the expenditure of minimum energy, he may derive the maximum benefit."

अब रहा यह कि साहब बैल कहां से खरीदेगा। मैं कहता हूं कि जमींदारी मत खत्म करो, सीरतानों को अधिकार मत दो, लेकिन एक जनरेशन के बाद फिर क्या होगा ? अगर हमारे कुछ और रोजगार न बढ़े तो जमीन कहां से बढ़ जायगी ? जब आबादी बढ़ जायगी तब बैल कहां से खरीदे जायंगे ? अधिष्ठाता महोदय, पहाड़ में ही नहीं, हमारे पूर्व के जिलों में भी और एक या दो जनरेशन के बाद पश्चिम के जिलों में भी किसान बैल नहीं रख सकगा। उसे हाथ से खेती करनी पड़ेगी जैसे जापान करता है। एनिमल हस्बैंडरी का काम इस देश के अन्दर ही नहीं रह जायगा। जापान में खेती के लिये बैल वगैरह नहीं हैं। वहां के लोग अपने हाथ से खेती करते हैं और यहां के मुकाबले में तिगुना पैदा करते हैं। हमारे यहां के काछी जो शहर के इलाकों में रहते हैं जिनके पास औसतन दो एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है और जिनके पास ज्यादातर बैल भी नहीं होते हैं वे जो दस मील अन्दर देहात में किसान रहते हैं उनके मुकाबले में दुगुनी-तिगुनी पैदावार कर लेते हैं। तो जब जमीन थोड़ी होगी तो लामुहाला यह करना पड़ेगा। अगर हम सीरतान को यह अधिकार न दें और यह सिचुएशन न आये तब तो बात गौर करने की है, लेकिन यह सिचुएशन तो पापुलेशन बढ़ने से आयेगी ही।

अधिष्ठाता महोदय, अब यह कहा जा रहा है कि सेटिलमेंट आपरेशन्स का फायदा क्या है ? फायदा यह है कि मालगुजारी के बारे में जो एक्सटेंशन्स हो रहे हैं और जो पैमाइश हो रही है उससे जमीन निकलेगी और उससे भी ज्यादा फायदा यह कि रेकर्ड्स करेक्ट हो जायंगे। ५०—१०० वर्ष पुराने रेकार्ड्स हमारे नेगी जी कह रहे थे कि अगर रेकार्ड्स दुरुस्त होंगे तो लेखपाल रखने होंगे। यह दूसरी बात है, लेकिन क्या उनका यह भी सुझाव है कि रेकार्ड न दुरुस्त कराये जायं ? जिन कागजों में किसी का पता नहीं चलता, कीड़े जिनको खा गये हैं, नाम लिखने के लिये उन कागजों में जो परदादों के जमाने से चले आ हैं, जगह नहीं है, तो उनको बदला जाना जरूरी है। आगे के लिये लैंड रेकार्ड रखना या न रखना यह दूसरी बात है, लेकिन हर १०० बरस के बाद अजसरेनौ उनको तैयार तो करना चाहिये। वहां के लिये कोई रिपोर्टिंग एजेन्सी नहीं है। लिहाजा कोई प्लानिंग अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसलिये सेटिलमेंट आपरेशन्स करना जरूरी है।

अब यह कहा जाता है कि मैदान के लोग पहाड़ पर सर्वे नहीं कर सकते। हमारे दोस्त प्रतापसिंह जी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैदान के लोगों को पहाड़ की कंडीशन्स का पता नहीं रहता। फिर यह कहा कि मेरा यह मतलब नहीं कि मैदान के ही आदमी वहां रखे न जायं, पहाड़ के भी रखे जायं। उसके बाद कहा कि मैदान के आदमी वहां ठीक से काम नहीं कर सकते। मतलब यह कि अगर मैदान के आदमी वहां सर्वे के काम के लिये तैनात किये जायं तो भले ही उनको कितनी ट्रेनिंग दी जाय, वह वहां काम नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं कर सकते ? क्या बात है ? क्या मुश्किल है ? एक पहाड़ का आदमी आ कर मैदान में काम कर सकता

[श्री चरणसिंह]

है या नहीं ? वह तो यहां काम कर सकता होगा। कौन सी मुश्किल है मैदानी आदमी के लिये वहां काम करने में, यह मेरी समझ में नहीं आता। सेटिलमेंट में मेजारिटी पहाड़ के लोगों की ही है। इस सिलसिले में मैंने कई बार सुना। हमारे सेक्रेटरी जहूरुलहसन साहब जब पहाड़ पर गये थे उन्होंने भी कहा कि यह हालत है, तो इस हिसाब से एक रेवेन्यू सेक्रेटरी बलिया के लिये, एक पहाड़ के लिये, एक मिर्जापुर के लिये, एक बुन्देलखंड की रियासतों के लिये और एक लखनऊ के लिये रखना होगा, क्योंकि यह हेडक्वार्टर है।

माननीय तिवारी जी ने बिल में थोड़ा नुक्स बतलाया। होगा, बहुत से नुक्स होंगे। मुझे भी कुछ मालूम हैं। मैंने सेटिलमेंट कमिश्नर को लिख रखा है कि मुझे सुझाव लिख कर दें। मुझ को आप लोगों से और दूसरे मित्रों से सब सुझाव लेकर, इसको ठीक करना है। हमने कभी परफेक्शन का क्लेम नहीं किया, लेकिन अगर दो एक नुक्स हैं तो यह कहना कि पूरा बिल बुरा है, ड्राफ्ट ही बेकार है, मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित है और अगर है तो क्या ड्राफ्ट करने के लिये भी कोई पहाड़ी रखा जाय ?

श्री प्रताप सिंह---सिंघाड़ा.....

श्री चरण सिंह---मान लीजिये कि एक सिंघाड़े की बात बेवकूफी की हो गई तो क्या उसकी वजह से वह सारे अफसर नाकाबिल हो गये यह कहां की बात है ? मैं एक नोट अपने पहाड़ी मित्रों को दे देता हूं---लैंड टैन्योर इन कुमायूं। वह एक मैदानी आदमी का लिखा हुआ है और तमाम मेम्बरों को दे दिया गया है। उसके बाद भी मैं माननीय सदस्यों को कहूं कि आप पहाड़ के रहने वाले हैं, इस नोट को पढ़ जाइये और फिर उसको नोट कर दीजिये तो आप सभी गलती कर जायंगे। मैदान के लोगों ने ही मैदान का कानून बनाया, लेकिन उसमें भी गलती हुई। कांस्टीट्यूशन में ८ बार अमेंडमेंट हो चुका है, हालांकि बड़े-बड़े भारत के विद्वान उसको बनाने के लिये बैठे थे। तो क्या इससे यह नतीजा निकला कि पहाड़ के आदमी ही पहाड़ का काम कर सकते हैं ? यह कितनी छोटी बात है कि जिस पर हमारे दिमागों में नैरोमाइन्डेडनेस आ जाती है। यह नहीं हो सकता कि हर बात के लिये रेवेन्यू सेक्रेटरी या रेवेन्यू अफसर बदल दिये जायं। अधिष्ठाता महोदय, चाहे कोई दलील दिमाग में सही भी बैठती हो लेकिन उसको कहने के पहले सोच लेना चाहिये कि उसका कहीं दूसरा मतलब तो नहीं निलकता है। कहीं इस प्रकार के लफ्ज तो न निकल जायं जिनसे कुछ छुटपन जाहिर हो। इतनी बड़ी हमारी स्टेट है तो उसमें किसी प्रकार से मिलकर चलने की बात हमको सोचनी है और उसी प्रकार से हमको काम करने चाहिये।

यह कहा गया कि कोई न्यू इनैक्टमेंट आना चाहिये और इसके अन्दर जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सेक्शन्स का हवाला दिया गया है, वह नहीं होना चाहिये। हमारे जमींदारी अबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के दो हिस्से हैं। एक तो जमींदारी को एक्वायर करना और कम्पेन्सेशन देना और दूसरा लैन्ड रिफार्म करना। तो यहां पर जो लैन्ड रिफार्म किया गया है, वही वहां पर हो तो इसमें कोई वहां पर अन्तर नहीं हो सकता। लिहाजा उन सेक्शन्स के अनुसार अगर कोई तब्दीली करनी होगी तो वह की जायगी और तब वह लागू होगा लेकिन वह कहते हैं कि न्यू इनैक्टमेंट आना चाहिये। अगर आप कोई भी ऐक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको पिछले लेजिस्लेशन का हवाला देना ही होगा और जो उसमें कीड़ा कांटा लिखा हुआ है उसको लिखना होगा कि यह उसमें से ले रहे हैं। इस जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में आगरा टेनेन्सी ऐक्ट का जिक्र आया है और न जाने कितने ऐक्ट्स का जिक्र आया है। इसमें भी इसी तरह से उस ऐक्ट का जिक्र किया गया है। मैं चैलेन्ज करता हूं कि बिना किसी दूसरे ऐक्ट का जिक्र किये हुये कोई ऐक्ट बनाकर, वह दिखायें, तो मैं मान लूंगा।

एक बात यह कही गयी कि कुमायूं के लिये जमींदारी अबालिशन का कोई विधेयक बहुत दिनों से नहीं आया। अच्छा होता नारायणदत्त तिवारी जी कोई बिल ले आते। उनकी तरफ से भी कोई बिल नहीं आया। कुमायूं जमींदारी के सिलसिले में या किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई प्राइवेट बिल वह ले आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर देर करने की शिकायत करने का मौका क्यों? या इससे बेहतर बिल बनाकर अब भी वह ला दें। उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे मालूम होता है कि कहने की बात और होती है और करने की और।

कहा गया कि इसमें जमींदार की डैफनीशन नहीं है। मैं कहता हूं कि जमींदार की डैफनीशन जमींदारी अबालिशन ऐन्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के अन्दर भी नहीं की गयी है। उसमें जमींदार की डैफनीशन सिर्फ मध्यवर्ती है जो बीच में विद्यमान हो। सिर्फ यही कहा गया है कि जो मध्यवर्ती है उसको निकाल दिया जाय चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो या कोई लैन्ड-ओनर हो। इस वजह से इसमें जमींदार की डैफनीशन की जरूरत नहीं थी।

कहा गया कि सारी स्टेट के लिये एक ही नाम का कानून हो तो ठीक रहेगा। हमारा मंशा जब इससे पूरा होता है तो फिर सारी स्टेट के लिये एक ही नाम रखा जाय इसकी क्या जरूरत है। इसके पहले सेक्शन में ही यह लिखा हुआ है कि:—

"1. (1) This Act may be called the Kumaun Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1957."

और १(२) में यह है कि "It shall extend to the whole of Kumaun Division." और २ में लिखा है कि "The State Government may, by notification in the official *Gazette*, apply the whole or any provision of this Act subject to such exceptions or modifications, not effecting the substance as it may consider necessary to any estate or part thereof owned by the Central Government, State Government, or any local Authority."

क्या मतलब है इसका? कोई जीशऊर इसका क्या मतलब निकालेगा? जीशऊरों स ही कानून का काम पड़ता है। बड़ी मेहनत की बात है।

कहा गया कि प्रीएम्बिल में लिखा है कि:—

"Whereas it is expedient to provide for the acquisition of rights, title and interests of persons between the State and the tiller of the soil in Kumaun and for the introduction of land reforms therein."

तो कुमायूं में टिलर और स्टेट के बीच में जो बिचौलिया है, उसे निकालना है। कहा गया कि हिस्सेदार मालिक है। वहां गवर्नमेंट थोड़े ही मालिक है जो बीच का निकाला जा रहा है। हिस्सेदार को निकाल कर उसकी जगह गवर्नमेंट लेना चाहती है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में भी यही है। वहां भी गर्नवमेंट मालिक नहीं थी। जमींदार थे और उनको निकाला गया। तो उनकी दलील मेरी समझ में नहीं आई। क्लाज ३ के (१७) में यह लिखा है कि—

2. Words and expressions "cess", "fee simple estate", "Gaon Sanjait", "padhanchari land", "sirtan", and "thokdari land", used in this Act shall have the meaning assigned to them in the existing law relating to land tenures applicable to Kumaun Division.

कहा यह गया कि वहां पर कोई कोडीफाइड ला ही नहीं है। वहां क्या डैफनीशन मिलेगी। इसमें यह अल्फाज हैं कि सीरतान वह होगा—

"Used in this Act shall have the meaning assigned to them in the existing law relating to land tenures applicable to Kumaun Division."

तो क्या वहां पर आज कोई कानून नहीं है? मैं, माननीय नारायणदत्त जी आ गये, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वहां कोई कानून नहीं है?

श्री अधिष्ठाता--माननीय नारायणदत्त जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप भाषण दे रहे थे तो माननीय मंत्री जी उस समय मौजूद थे तो यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब वे भाषण दे रहे हों तो आप भी सदन में मौजूद रहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं अपने उत्तरदायित्व को महसूस करता हूं। मुझे यह अंदाज नहीं था कि हाउस का समय आधा घंटा बढ़ जायगा। मुझे एक आवश्यक एन्गेजमेंट था, मुझे उसको पूरा करना था, इसलिये मजबूरन मुझको यहां से जाना पड़ा वरना मैं सदन में ही हाजिर रहता और माननीय मंत्री जी को सुनता।

श्री चरणसिंह--खैर, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो मैं यह कह रहा था कि वहां पर कस्टमरी लाज हैं। कोर्ट्स किसी ला को एडमिनिस्टर करती है और वह है वहां के कस्टमरी लाज। उसमें जो सीरतान के माने लिये जाते हैं, वही माने इस कानून में भी सीरतान के समझे जायेंगे। उसमें सीरतानों की किस्म बना दी है लेकिन हमने सब सीरतानों को एक मान लिया है। इस प्रकार कुमायूं ला में सीरतानों का जिक्र है और उसमें सीरतानों को जो कुछ माना गया है वैसा ही हम भी मानते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, यह कहा गया कि सीरतान आसामियों और खायकरों की तादाद मालूम नहीं है तो फिर कानून किस प्रकार से नाफिज हो जायगा। अधिष्ठाता महोदय, सदके जाऊं इस दलील के, न उठाई जाय न धरी जाय। मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी बिल में तादाद भी लिखी जाती है कि १,२६,५२८ खायकर हैं और इतने हिस्सेदार हैं आदि-आदि? क्या इस प्रकार किसी कानून में तादाद लिखी जाती है?

एक बात यह कही गयी कि समरी कार्यवाही में सीरतान का नाम लिखा जाय, उसका नाम दर्ज किया जाय। शायद यह चीज टम्बरेश्वर प्रसाद जी या ऊदल जी ने दी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह रिकार्ड और सर्वे आपरेशंस किस लिये हो रहे हैं। यह समरी कार्यवाही ही है।

अब माननीय नरेन्द्रसिंह जी बिष्ट ने कहा कि यदि आज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती, आज तो है नहीं, उन्होंने कहा कि अगर होती, तो जिन लोगों के पास आज जमीन नहीं है, उनको मैदान में बसा देती, फैक्ट्री लगा देती, और गार्डन लगा देती। लेकिन अगर वह दस हजार को नीचे मैदान में बसाती तो मैदान के नौ हजार को वह कहां ले जाती। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती तो पहला काम लिक्वीडेशन का करती। अब मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि अगर नैनीताल, अल्मोड़ा में लिक्वीडेशन होता तो कहां से शुरू होता? तो पहले लिक्वीडेशन होता। (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) लेकिन उसूल यह है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे कुत्ते को भी तुम्हें प्यार करना होगा। ऐसी तकरीर जो आज यहां हुई है उनमें से अगर १०० वां हिस्सा भी बिस्पर होकर, काना-फूंसी होकर, यदि बाहर चला जाय तो वहां लिक्वीडेशन आज ही से शुरू हो जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---ऐसा नहीं होगा।

श्री अधिष्ठात---मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी ५-२५ पर खत्म कर देंगे।

श्री चरणसिंह---अवश्य।

जहां आ गया है अब वहां की बात सुन लो। केरल एग्रेरियन रिलेशन्स बिल पायोनियर तारीख ४ अगस्त, १९५७ के चौथे पेज के आखिरी कालम में छपा है। उसमें क्या लिखा है? केरल ऐग्रेरियन रिलेशंस बिल में एक तो यह लिखा है जहां हमारे कानून का उसूल है कि कुछ रुपया देकर लोग खायकारी राइट्स तो खरीद सकते हैं वहां उन्होंने अपने बिल में लिख रखा है कि जो १० साल का काश्तकार हो वही परमानेंट राइट्स खरीद सकता है। यानी मतलब यह है कि उसी को परमानेंट राइट दिया

जायगा जो १० साल से खेती करता है। हमने तो अपने यहां यह कर दिया है कि जो ६ महीने, एक दिन का भी काश्तकार है वह परमानेंट राइट्स खरीद सकता है और दूसरी बात यह कि दस गुना लगान देकर खरीद सकता है लेकिन उन्होंने लिखा है कि बीस गुना लगान देकर खरीद सकता है। यानी दस साल का काश्तकार हो और बीस गुना लगान दे। तीसरी बात यह कि लगान कैसे फिक्स होगा? प्रोडक्शन का एक चौथाई लगान होगा। और यहां पर लगान क्या है? ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का वन फिफ्टींथ या वन ट्वेंटीएथ, जिसके लिये चन्द्रजीत यादव जी और श्री झारखंडे राय जी की तरफ से कहा जाता है कि लगान घटाओ, लगान माफ करो। केरल में ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का एक चौथाई लगान फिक्स होता है, क्या माननीय नरेन्द्रसिंह जी विष्ट एक चौथाई लगान फिक्स कराने के लिये तैयार हैं?

श्री चन्द्रजीत यादव---केरल में जमीन भी बंट रही है।

श्री चरणसिंह---ठीक है जमीन बंट रही है, लेकिन कितनी जमीन तकसीम होती है इसका भी पता लग जायगा। खैर, उसको मैं छोड़ देता हूं। यह तो कम्युनिज्म की बात हुई। अधिष्ठाता महोदय, जो किसान है, वह किसान ही रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को माननीय सदन स्वीकार करेगा और मैं, अगर मेरे किसी भी शब्द से मेरे किसी भाई को जरा भी ठेस पहुंची हो तो माफी चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---अब मैं श्री घनश्याम डिमरी जी के प्रस्ताव को आपके सामने रखता हूं।]

प्रश्न यह है कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५७ को जनता की राय के लिये तीन मास तक प्रसारित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं श्री प्रतापसिंह के संशोधन को लेता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय माल मंत्री के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय, शब्द "चार महीने" के स्थान पर शब्द "दो महीने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं माननीय माल मंत्री जी के प्रस्ताव को आपके सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि कुमायूं जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह---समिति के सदस्यों के नाम मैं बाद में दूंगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
४ सितम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर)

To

THE HON'BLE CHIEF MINISTER,
UTTAR PRADESH (GOVERNMENT),
LUCKNOW.

Subject : **The petition of Sri Surendra Sharma, son of Pt. Gulzari Lal Sharma, resident of no. 2051, Beldari Lane, Lucknow, for an enquiry into the tragic circumstances caused by the negligence of the Government Railway Police and the U. P. Government Police which brought about the unexpected death on September 22, 1956 of the petitioner's son, named Sri Jagdish Prasad Sharma, an ex-student of B. A. Previous of the Lucknow University.**

SIR,

THE above named humble petitioner respectfully submits the following :

1. That the petitioner's eldest son Sri Jagdish Prasad Sharma was a student of B. A. (Previous) of the Lucknow University and used to live in a house in Mohalla Rakabganj with his friend Jagdish Prasad Agarwal *alias* "Gandhi" due to his occupation as a teacher in the Adarsh Shiksha Kendra situate in Rakabganj, Lucknow.

2. That it is alleged that the petitioner's son left his Rakabganj residence with some money in the morning of September 19, 1956 for the University from where he did not retrun to his residence and remained absconding till the news of his death was broken out to his parents (including the petitioner) on November 10, 1956, by the Railway Police, Charbagh, Lucknow.

3. That Sri Jagdish Prasad's mysterious disappearance from his residence caused an anxiety to his friends and colleagues, as a result of which, one of his colleagues Sri Jagdish Prasad Agarwal *alias* "Gandhi" came to the petitioner's house at Lucknow, and informed the petitioner's wife, the only senior member of the family, then present in residence, about her son's disappearance from Rakabganj.

4. That as regards the above said petitioner, he had left Lucknow on September 17, 1956 for Hathras due to some work there, so in his absence his wife on receipt of the above alarming information, did whatever she could, to find out whereabouts of her son, but failed to get any information. The petitioner from Hathras also contacted a number of places both personally and through letters to trace out his son, but was ultimately disappointed and returned to Lucknow on or about October 3, 1956.

5. That the petitioner on hearing at Lucknow that some information was available at G. R. P. Office, Charbagh, Lucknow, contacted the official concerned there and was told that the above named son of the petitioner having been found in a precarious and unconscious condition, due to poisoning, was taken out from a second class compartment at Bareilly in the morning of September 20, 1956 and was admitted to the Civil Hospital, Bareilly, by the G. R. P. on the same date who had been discharged from the hospital on September 21, 1956 after his treatment and recovery.

6. That the petitioner on receipt of the above said information from the in-charge of the G. R. P. Charbagh, Lucknow, was greatly relieved and carried the impression that his son would very soon be at Lucknow, but to

the petitioner's great disappointment, he did not come to him at Lucknow, for a number of days, causing him and his family again a great anxiety, which prompted him to lodge a report to the S. S. P. Lucknow on the 8th October, 1956. The peiitioner thereafter kept himself in constant touch with the G. R. P. authorities at Lucknow who after some time informed the petitioner that above named son subsequent to his discharge from the hospital had disappeared from Bareilly while he was under the care of G. R. P. Bareilly and his whereabouts were afterwards not known to the G. R. P. either at Lucknow or Bareilly. This information completely upset the petitioner and his family who found themselves in a fix for determining the future course of action. However, the petitioner and his relation kept on running from place to place in search of the petitioner's son till November 10, 1956 when the petitioner again contacted the G. R. P. authorities and the news of the said death of Srl Jagdish Prasad was revealed to him at Charbagh Railway Station, by Sri Abid Ali, Incharge of the G. R. P. at Lucknow Station. The petitioner was also told that he could get the details of his son's death from the Civil Surgeon, Bareilly and the In-charge of the G. R. P. Bareilly.

7. That the petitioner thereafter went to Bareilly on November 12, 1956 and contacted Sri Ram Murti, the In-charge G. R. P. Bareilly Junction in the morning of November 13, 1956 who contradicted the news of the death of Sri J. P. Sharma. The petitioner after meeting the G. R. P. In-charge, Bareilly, went to the Civil Surgeon's Office there wherein he learnt that his son had died and his post mortem examination was done on September 23, 1956. The petitioner subsequently went to the S. P.'s office and near the court he happened to meet the S. O. of P. S. Sahi, district Bareilly who told the petitioner that his son had died in the night of September 23, 1956 in village Fatehganj, P. S. Sahi and he could get the full information at the said police station.

8. That the petitioner went to the P. S. Sahi and village Fatehganj of the said police station, where the petitioner's son had died. Whatever details, the petitioner was able to gather at Bareilly Junction, Civil Surgeon's Office, P. S. Sahi and village Fatehganj of the said police station leave no doubt in the mind of the petitioner that his son's death could have been certainly avoided, had the authorities concerned not acted in a callous and negligent manner.

9. That the conduct of the G. R. P. in not taking any steps to inform the petitioner about his son while he was in their care after his discharge from the Civil Hospital Bareilly, when Lucknow address of the deceased was known to them. Further their continued silence even after his disappearance from their care on September 21, 1956 and an all along endeavour to conceal the fact of his death from the petitioner both at Lucknow and Bareilly Junction is very suspicious and leads the petitioner to conclude beyond doubt that the neglect on the part of the G. R. P. had ultimately resulted in the death of Late Sri Jagdish Prasad, owing to which the petitioner and his family have been caused to sustain the greatest shock and suffer the heaviest loss.

10. That the petitioner is at a loss to understand the treatment meted out to his son by the police of P. S. Sahi when the petitioner's son was dying and was also crying for medical aid at least 6 hours before his death, in not securing for him the required medical aid at Bareilly, a place only 12 miles from Fatehganj where both rail and road transports were available. The petitioner is sorry to state that no efforts were made to inform him or his

family to take the dead body for cremation after his death, rather the body was disposed of in the most improper and irresponsible manner when Lucknow address of the deceased was known to them. The petitioner has up till now, not understood the reason why the information of his son's death was not communicated to him.

The above continued neglect on the part of the Police has deprived the parents of the deceased of their duty to perform the last rites towards the deceased which has been causing a great mental agony to all the members of the family concerned.

11. That your humble petitioner has throughout his life remained a Congress man and has been actively associated with the struggle for independence. It would extremely pain him if the truth is not found out and justice done.

Wherefore, it is most respectfully prayed that your Honour may be pleased to order an enquiry into this case through some responsible officer, preferably a C. I. D. Officer, so that true facts about the mysterious death of the petitioner's son may be brought to light and justice done to all concerned.

(Sd.) SURENDRA SHARMA,
Petitioner.

LUCKNOW;
December 16, 1956.

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

जिला बुलन्दशहर में १९५६ में पड़ी डकैतियों तथा कत्लों का विवरण

१	२	३	४	५	६	७	८	९
नाम अपराध	रिपोर्ट हुई	जांच हुई	चालान हुआ	सजा हुई	छूट गया	अदालत में विचाराधीन	पता न चला	टिप्पणी
डकैती	१३	१३	११	५	२	४	२	—
कत्ल	३१	३१	१७	३	१०	४	१४	—

विधान सभा बुलन्दशहर

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२-८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर)

[प्रश्न ८२ से संबंधित]

जिला आजमगढ़ के थानों के अन्तर्गत धारा १०७/११४/११७/१५१ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमों का विवरण।

अप्रैल से जून, १९५७ तक

क्रम-संख्या	नाम थाना			मुकदमों की संख्या
१	मऊ	..	..	९
२	सरायमीर	..	..	१०
३	तरवा	..	..	७
४	दोहरीघाट	..	..	४
५	बरदह	..	..	१०
६	मुबारकपुर	..	..	४
७	गंभीरपुर	..	..	१०
८	चिरियाकोट	..	..	५
९	देवगांव	..	..	६
१०	घोसी	..	..	७
११	मधुबन	..	..	१५
१२	मोहम्मदाबाद	..	..	—
१३	कोतवाली	..	..	१५
१४	अतरौलिया	..	..	२
१५	अहरौला	..	..	८
१६	महाराजगंज	..	..	१०
१७	जीयनपुर	..	..	१
१८	पवई	..	..	१३
१९	रोनापार	..	..	५
२०	कंधरापुर	..	..	१४
२१	निजामाबाद	..	..	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न सं० ८३ से संबंधित

थाना मधुवन के अन्तर्गत विभिन्न गांवों के व्यक्तियों पर चलाये गये धारा १०७/११९/११४/१५१ जाब्ता फौजदारी के मुकदमों का विवरण।

अप्रैल से जून, ५७ तक

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		कितने व्यक्तियों पर चलाया गया	टिप्पणी
१	कटघर शंकर	..	१२	२ अलग मुकदमों में इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। प्रत्येक मुकदमें में ६ व्यक्ति हैं।
२	दुबारी		२	..
३	बैलोली	..	३	..
४	लौवासाथ	..	१८	..
५	तिघरा	..	६	..
६	नरहरपुर	..	५	..
७	कंधरापुर	..	४	..
८	मखमैलपुर	..	५	..
९	बनपोखरा	..	१०	..
१०	आदमपुर	..	८	..
११	जाजौली	..	३	..
१२	कटघर महल	..	५	..
१३	खिरीकोठी		१७	..
१४	देवनाथपुर	..	१५	..

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर)

जिला आजमगढ़ के थानों के अन्तर्गत अपराधों का विवरण (जुलाई, १९५७ तक)

थाना	डकैती	रहजनी	कत्ल	चोरी	टिप्पणी
अतरौलिया ..	—	—	—	१८	चोरी की संख्या में धारा ३७९, ३८० तथा ४५७ भा० दं० वि० में दर्ज की गई सभी चोरियां सम्मिलित हैं।
पवई ..	२	—	—	६	
कन्धरपुर ..	—	१	—	१७	
महाराजगंज	—	—	१	२०	
निजामाबाद ..	—	—	१	२३	
सरायमीर ..	१	—	—	१५	
गंभीरपुर ..	२	—	—	२१	
योग ..	५	१	२	१२०	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९२ पर)

हरदोई जिले के थाना बिलग्राम मल्लावां सांडी और हरपालपुर तथा चौकी अरवल में १९५५–१९५६ तथा १९५७ (३० जून तक) में हुई चोरियों, कत्लों और डकैतियों का विवरण।

थाना अपराध		चोरियां (जिसमें साधारण चोरियां मवेशियों की चोरियां तथा (Burglary) के मामले सम्मिलित हैं।)	कत्ल	डकैती
१—बिलग्राम	१९५५	७६	५	२
	१९५६	८८	—	६
	१९५७ (३० जून तक)	२२	—	१
२—मल्लावां	१९५५	९४	—	३
	१९५६	८८	४	५
	१९५७ (३० जून तक)	१९	१	१
३—सांडी	१९५५ ..	४१	२	—
	१९५६ ..	७६	१	२
	१९५७ .. (३० जून तक)	१३	१	०
४—हरपालपुर				
	१९५५ ..	४५	२	४
	१९५६ ..	४७	५	१
	१९५७ .. (३० जून तक)	११	१	१
५—चौकी अरवल				
	१९५५ ..	१७	२	—
	१९५६ ..	१८	१	—
	१९५७ .. (३० जून तक)	८	—	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१४० एल० ए०—१९५७—७९६।